लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-12-84
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, बुधवार, 29 मार्च, 1967/8 चैत्र,1889 (शक)

No. 9, Wednesday, March 29, 1967/Chaitra 8, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
109. चुनावों में पी० एल० 480 निधि की राशि का उपयोग	PL 480 Funds used in Elections	489—495
110. मिजो विद्रोहियों द्वारा मतदान केन्द्रों पर आक्रमण	Attacks by Mizo Hostiles on Polling Booths	495—497
111. मोहित चौधरी का जासूसी का मामला	Mohit Chaudhuri Espionage Case	497—505
112. संसद् सदस्य, श्री मधु लिमये पर आक्रमण	Assault on Shri Madhu Limaye, M. P.	505—508
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
113. गो हत्या पर प्रतिबन्ध आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तारियां	Arrests under 'Ban Cow Slaughter' Movement	509
114. शिमला में दिल्ली उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच	Circuit Bench of the Delhi High Court at Simla	510
115. पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	510
116. तार	Telegrams	510—512

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
117. निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा दिल्ली के विद्यार्थियों को धोखा देना	Cheating of Delhi Students by Private Institutions ..	512—513
118. इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry ..	513
119. 7 नवम्बर, 1966 को पुलिस द्वारा गोली बारी	Police Firing on 7th November, 1966 ..	513—514
120. राजनीतिक कारणों से अनशन और आत्मदाह को रोकने के लिये कानून	Law against resorting to Political fasts and Self-Immolations ..	514
121. सरकारी कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता	Code of Discipline for Govt. Employees ..	514—515
122. निजी थैलियां	Privy Purses ..	515
123. अहिन्दी भाषी लोगों को आश्वासन	Assurance to Non-Hindi Speaking People ..	515—516
124. विद्रोही मिजो लोगों का जेल से भाग जाना	Escape of Hostile Mizos from Jail ..	516
125. इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry ..	516
126. जलपाईगुडी जिले में पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	E. Pak. Raid in Jalpaiguri Distt. ..	517
127. आगरा में बोईलेवगंज डाकघर में गबन	Embezzlement at Boileauganj Post Office, Agra ..	517—518
128. कलिंग एयरवेज के साथ संविदा	Contract with Kalinga Airways ..	518
129. शनिवार की छुट्टी	Off Saturdays ..	518
130. श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalists ..	518—519
131. मिजो लोगों द्वारा त्रिपुरा में लोक निर्माण विभाग के शिविर पर आक्रमण	Attack by Mizos on P. W. D. Camp in Tripura ..	519
132. औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अर्जित छुट्टियां	Earned Leave for Industrial Staff ..	519—520

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
133. एक नागा व्यक्ति के पास से बरामद विस्फोटक पदार्थ	Explosives recovered from a Naga ..	520
134. केन्द्रीय छात्रवृत्तियों का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Central Scholarships ..	520—521
135. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये समुद्रपार छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships for S. C. and S. T. Students ..	521
136. महाराष्ट्र मैसूर केरल सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Kerala Border Dispute ..	522
137. कालेज अध्यापकों के वेतन मान	Salary Scale of College Teachers ..	522
138. विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations sent abroad ..	522—523
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
93. संत फतह् सिंह् को आश्वासन	Assurances to Sant Fateh Singh ..	523
94. कोयला खान भविष्य निधि	Coal Mines Provident Fund ..	523
95. उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployment in Orissa ..	524
96. उड़ीसा में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रिक्त पद	Vacancies in the Public and Private Sector Establishments in Orissa ..	524
97. भारत और पाकिस्तान के बीच दूर संचार सम्पर्क की पुनः स्थापना	Restoration of Indo-Pak Tele-Communications Link ..	524—525
98. विदेशों के छात्रों द्वारा ब्रिटेन में दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क में वृद्धि	Increase in Fees paid by Overseas Students in U. K. ..	525
99. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय अधिनियमों का लागू किया जाना	Enforcement of Central Acts in the Union Territory of Chandigarh ..	525—526
100. विदेशियों से भारत से चले जाने के लिये कहा जाना	Foreigners asked to leave India ..	526

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
101. राष्ट्रीय संग्रहालय, मुर्शिदाबाद	National Museum, Murshidabad ..	526—527
102. विद्रोही नागा	Naga Hostiles ..	527
103. शिक्षा आयोग की सिफारिशें	Education Commission's Recommendations..	527
104. समुद्र विज्ञान सम्बन्धी भारतीय संस्था	Indian Institute of Oceanography ..	527—528
105. विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति	Appointment of Vice-Chancellors of Universities ..	528
106. प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	528
107. विद्रोही नागाओं तथा मिजो लोगों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां	Anti-National Activities of Nagas Mizo Hostiles ..	529
108. दिल्ली बीकानेर ट्रंक टेलीफोन तथा तार सेवा	Delhi Bikaner Trunk Telephone and Telegraph Services ..	529—530
109. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Hindustan Lever Ltd. ..	530—531
110. दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	Admission in Delhi Colleges ..	531
111. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पर हमला	Attack on Aligarh Muslim University Vice Chancellor ..	531
112. अस्पृश्यता के मानने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Government Employees for Practicing Untouchability ..	531—532
113. तेल कम्पनियों द्वारा मद्रास में छंटनी	Retrenchment in Oil Companies in Madras ..	532
114. फरवरी, 1967 में उड़ीसा के दौरे में प्रधान मंत्री की सुरक्षा	Protection to Prime Minister during her visit to Orissa in February, 1967 ..	532
115. हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee ..	532—533
116. हिन्दी स्टेनोग्राफरों का संवर्ग	Cadre of Hindi Stenographers ..	533
117. दिल्ली में कार चुराने वाले गिरोह का पकड़ा जाना	Arrest of Car Lifters in Delhi ..	533
118. आसाम नागालैंड सीमा विवाद	Assam Nagaland Boundary Disputes ..	534
119. धर्मपुरा, दिल्ली में मकान का गिर जाना	House Collapse in Dharmpura Delhi ..	534

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

120. राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में चोरी	Theft in National Museum, Delhi ..	534—535
121. तार बाबुओं का प्रशिक्षण तथा वेतनक्रम	Pay Scales and Training of Telegraphists ..	535
122. तारबाबू (टेलीग्राफिस्ट)	Telegraphists	535
123. नई दिल्ली के सेन्ट्रल टेलीग्राफ आफिस से भेजे गये तार	Telegrams Sent from New Delhi C. T. O. ..	536
124. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 ..	537
125. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिलिटेड	Bharat Heavy Electricals, Ltd. ..	537
126. सरकारी क्षेत्र के कारखानों में महंगाई भत्ते में वृद्धि	Revision of D. A. in Public Sector Units ..	537—538
127. 7 नवम्बर, 1966 की घटना के फलस्वरूप हुई क्षति	Damage caused in the 7th November, 1966 incident ..	538—539
128. सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष	Dissatisfaction among Government Employees ..	539
129. असिस्टेंटों की शिकायतें	Grievances of Assistants ..	539
130. मिजो पहाड़ी के गांव	Mizo Hill Villages ..	540
131. कछार जिले में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा हमला	Raid by Mizo Rebels in Cachar Distt. ..	540
132. जयपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Jaipur ..	541
133. भारतीय प्रशासनिक प्रणाली	Indian Administrative System ..	541
134. बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployment Insurance Scheme ..	542
135. आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया जाना	Special Status for Hill Areas of Assam ..	542—543
136 दार्जिलिंग जिले में पाई गई नवपाषाण बस्तियां	Neolithic settlements traced in Darjeeling District ..	543
137. गांधी हत्या कांड	Gandhi Murder Case ..	543—544
139. उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchange in Orissa ..	544

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

140. डाक तथा तार सर्किल, लखनऊ	P. and T. Circle, Lucknow ..	544—545
141. पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश में सेवाओं का विभाजन	Division of services in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ..	545
142. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education ..	545
143. भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrests made under D. I. R. ..	546
144. होम गार्ड	Home Guards ..	546
145. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme ..	546—547
146. देश में रोजगार की स्थिति	Employment Situation in the country ..	548
147. उड़ीसा में नये विश्वविद्यालय	New Universities in Orissa ..	548
148. दिल्ली में नये कालेज	New Colleges in Delhi ..	548—549
149. सैक्शन आफिसर	Section Officers ..	549
150. चमड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Leather Industry ..	549—550
151. अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट	Award of Industrial Tribunal Andaman and Nicobar Islands ..	550
152. नाविक द्वारा राष्ट्रध्वज का अपमान	Insult to National Flag by a Seaman ..	550
153. तार बाबुओं और टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के वेतन	Emoluments of Telegraphists and Tele-printer Operators ..	550—551
154. जिला तारघर, वाराणसी	District Telegraph Office, Varanasi ..	551
155. तार कर्मचारी	Telegraph Employees ..	551—552
156. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति	Repatriates from Ceylon ..	552
157. जन शक्ति योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण	Training for Man-Power Planning ..	552
158. पुस्तकों को जब्त करना	Proscription of Books ..	552—553
159. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against Government Employees ..	553
160. उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in Industry ..	553

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
161. भुवनेश्वर की सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता	Assistance to Cultural Institutions of Bhubaneshwar ..	554
162. भुवनेश्वर में सेंट्रल स्कूल	Central School in Bhubaneshwar ..	554
163. संतानम समिति की शिफारिशें	Santhanam Committee's Recommendations ..	554—555
164. अश्लील प्रकाशन	Obscene Publications ..	555
165. गांधी भवन	Gandhi Bhavans ..	555—556
166. हिन्दू त्यौहारों की तारीखें	Dates of Hindu Festivals ..	556
167. साहित्य रत्न स्नातक	Sahitya Ratna Graduates ..	556
168 अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली	School of International Studies, New Delhi ..	556—557
169. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के एक गवेषण-छात्र को विचार गोष्ठी से निकाला जाना	Expulsion of a Research Scholar of School of International Studies from Seminar ..	557
170. पूरन छपरा (बिहार) में उप-डाकघर	Sub-Post Office at Puran Chhapra (Bihar) ..	557—558
171. शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन	Publications brought out by the Ministry of Education ..	558
172. पश्चिम बंगाल के 24 परगना में डाक व्यवस्था	Postal Facilities in 24 Parganas, West Bengal	558
173. चम्पाहती डाक घर (पश्चिम बंगाल)	Champahati P. O. (West Bengal)	559
174. डाकघरों में अंशकालिक रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी	Part Time Employed Staff in Post Offices ..	559—560
अतारांकित प्रश्न संख्या 2618 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Unstarred Question No. 2618	560
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	561—562
दिल्ली में कुछ लड़कियों के अपहरण का समाचार	Alleged abduction of some girls in Delhi	561—562
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	561
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	561—562

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक द्वारा क्षमायाचना	Apology by Editor of "Hindustan Times" ..	563
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Privilege ..	563—564
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	564—568
सभापति तालिका के बारे में घोषणा	Announcement re. Panel of Chairmen	569
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
सैंतीसवां, अड़तीसवां तथा उन्तालीसवां प्रतिवेदन	Thirty-seventh, Thirty-eighth and Thirty-ninth Reports ..	569
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण श्री मी० रू० मसानी	Personal Explanation by Member ..	569—570
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरन्तरता विधेयक	Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill ..	570—578
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	570—578
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	570
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	570—571
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	571—572
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh ..	572—574
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh ..	574—575
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla ..	575
खंड 1 से 3	Clauses 1 to 3 ..	578
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	578
देश में अनाज की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Food Situation in the Country ..	579—590
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram ..	580
श्री के० एम० कौशिक	Shri K. M. Kaushik ..	581—582
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ..	582
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ..	582—583
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	583—585
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil ..	585
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan ..	585—587
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	587—588
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor ..	588—589
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	589—590

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
भारत-श्रीलंका करार के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Indo-Ceylon Agreement	.. 590—596
श्री उमानाथ	Shri Umanath	.. 590—592
श्री च० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	592
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 592
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 592—593
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurthi	593
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	.. 593
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	.. 593
श्री एस० के० सम्बन्धन	Shri S. K. Sambhandhan	.. 593
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	593
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 593—594
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	.. 594
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla	.. 594—596

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 29 मार्च, 1967/8 चैत्र, 1889 (शक)
Wednesday, March 29, 1967/ Chaitra 8, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चुनावों में पी० एल० 480 निधि की राशि का उपयोग

+

*109. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **डा० रानेन सेन :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री जे० एम० बिस्वास :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरदायी नेताओं द्वारा लगाये गये इन आरोपों की जांच की है कि हाल के आम चुनावों में पी० एल० 480 जैसी निधियों की राशि का उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार ने अभी हाल ही में गुप्तवार्ता विभाग को आदेश दिया है कि वह इन आरोपों की जांच करे कि हाल के आम चुनावों में विदेशी श्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग किया गया था ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : गत वर्ष 1 दिसम्बर को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया था कि पी० एल० 480 की निधि से अमरीकी दूतावास द्वारा

30 दिसम्बर, 1966 तक 41.54 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई थी। जबकि भारतीय दूतावासों पर भारतीय सरकार का व्यय कभी भी पूरे वर्ष में 5 करोड़ से अधिक नहीं हुआ है तथा अमरीकी सूचना सेवा का व्यय 16.47 करोड़ रुपये हुआ था, जबकि हमारे सारे प्रसारण कार्यक्रम पर इसके आधे से भी कम खर्च होता है। इस बात को देखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका सरकार से कहा जायेगा कि वह पी० एल० 480 निधि से खर्च किये गये धन का ब्योरा दे, अन्यथा हमारे निर्वाचन में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित जांच बेकार सिद्ध होगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता था कि पी० एल० 480 निधि के धन को आम चुनावों में खर्च किये जाने की जांच किये जाने के बारे में यह एक सीमित प्रश्न है। जहां तक पी० एल० 480 के धन का प्रयोग करने की सामान्य प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वह एक ऐसा मामला है जिसका तुरन्त उत्तर इस मंत्रालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जांच वित्त मंत्रालय ने करनी होगी। सभा के समक्ष आज जो विशिष्ट प्रश्न है वह आम चुनावों में विदेशी धन के उपयोग से सम्बन्धित है तथा पी० एल० 480 भी उसका एक श्रोत हो सकता है। अतः जांच का प्रश्न यही है और इसी की जांच करने के लिये सरकार ने गुप्तवार्ता विभाग को आदेश दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान संयुक्त अरब गणराज्य के समाचार - पत्र "**अल गमहोरिया**" में प्रकाशित इन समाचारों की ओर गया है कि उत्तर बम्बई में जहां श्री कृष्णा मेनन चुनाव लड़ रहे थे, पी० एल० 480 का धन चुनाव में खर्च किया जा रहा था तथा क्या इस तथ्य की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कई वर्ष पूर्व अमरीका के समाचार-पत्रों में वे फोटो छपे थे, जो श्री कृष्णा मेनन के विरुद्ध चुनाव लड़ने वालों को पी० एल० 480 के अमरीकी अभिकरणों द्वारा दिये गये थे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने ये समाचार नहीं देखे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि जांच का आदेश दिया गया है। इस बात को देखते हुये कि सभा में यह कहा गया था और सरकार ने भी इस बात का खण्डन नहीं किया था, कि चुनाव के मोके पर पी० एल० 480 की निधि से अमरीकी दूतावास द्वारा लगभग 30 करोड़ की राशि निकाली गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पी० एल० 480 करार में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके द्वारा सरकार पर यह पाबन्दी लगाई गई है कि वह इच्छा होने पर भी यह जांच नहीं कर सकेगी कि वास्तव में उस धन का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं न तो इस वक्तव्य को स्वीकार ही कर सकता हूं और न ही इसे अस्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसका गृह-मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यदि जांच के दौरान ऐसी किसी बात का पता चला, तो अवश्य ही मैं उसे सभा के सामने लाने को रजामन्द हो जाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पी० एल० 480 निधि के अधीन कोई ऐसा करार है जिसके अनुसार सहायता प्राप्त करने वाले देश पर यह पाबन्दी लगाई गई है कि वह यह जांच नहीं कर सकता कि दान देने वाले देश ने धन का वास्तव में किस प्रकार उपयोग किया है। यदि ऐसा है, तो सारी जांच बेकार होगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि चुनाव के दौरान अथवा चुनाव से पहले दिसम्बर के महीने में पी० एल० 480 निधि का प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों द्वारा 30 करोड़ अथवा 31 करोड़ रुपये की राशि निकाली गई थी, जो कि असमान्य रूप से बहुत बड़ी राशि है और यदि हां, तो क्या यह धन किन्हीं व्यक्तियों को अथवा किन्हीं राजनैतिक दलों को चुनाव में वित्तीय सहायता देने के लिये निकाला गया था ? यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि नहीं तो क्या गुप्तवार्ता विभाग द्वारा की जाने वाली जांच में इस बात की भी जांच की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरा उत्तर तो वही है, जो मैं पहले दे चुका हूं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that the ex-Finance Minister Shri T. T. Krishnamachari has levelled a charge that an amount of Rs. 31 crores of P. L. 480 has not been accounted for and that amount can be utilised either for election purposes or for any other purpose ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने क्या कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, वित्त मंत्री को भी यहां उपस्थित होना चाहिये था। इस प्रश्न का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से भी है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करता है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वह इस बात का खण्डन करते हैं कि श्री कृष्णामाचारी ने ऐसा वक्तव्य दिया था अथवा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : महोदय, भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने यह वक्तव्य अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में दिया था। क्या माननीय मंत्री कहते हैं कि वह उस बैठक में उपस्थित नहीं थे अथवा उन्हें सुनाई नहीं दिया कि क्या कहा गया है ?

वह इस बात को उचित क्यों नहीं समझते कि इस मासले पर श्री कृष्णामाचारी के साथ विचार विमर्श किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वह वहां पर उपस्थित हों, परन्तु उन्होंने उसे ध्यान-पूर्वक न सुना हो ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : महोदय, जब एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा वक्तव्य देता है तो क्या यह उचित नहीं है कि उस मामले पर उसके साथ विचार विमर्श किया जाये ? क्या किसी ने इस मामले पर उनके साथ विचार विमर्श किया है ?

Shri George Fernandes : When various types of allegations have been levelled regarding the use of P. L. 480 fund in this country and Government itself feels the necessity of constituting an enquiry by the Intelligence Bureau, may I know whether it would be possible at this stage for the Government to obtain the right to constitute a thorough enquiry regarding the entire amount of P. L. 480 from the U. S. Government ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस माननीय सदन में पुन: यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पी० एल० 480 का पूर्ण प्रबन्ध एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है तथा उसका ब्योरा इस समय देने में मैं असमर्थ हूं । मैं मानता हूं कि अवश्य ही यह एक संगत प्रश्न है तथा यदि अपेक्षित पूर्व सूचना देकर इसे सरकार से पूछा जायेगा तो अवश्य ही कोई सरकार की ओर से यह सूचना देगा । मेरा सम्बन्ध इस समय आम चुनावों में उस धन के उपयोग के बारे में लगाये गये आरोपों से है । मैं अपना उत्तर इसी विशेष पहलू तक सीमित रखने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, this is not my question. My question relates to the Home Minister. My question is that when the Home Minister himself now feels the necessity of an enquiry by the Intelligence Bureau, I want to know whether he is ready to admit that the entire operation of P. L. 480 funds is controlled by U. S. Government and the Government of India have no interference in it ? If it is so, whether the Home Minister would urge upon the U. S. Government to give the right of checking the P. L. 480 funds to Government of India ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जांच के दौरान जिन तथ्यों का पता चलेगा, अवश्य ही उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Member says that the Government has no control over a certain portion of the funds and he wants that we should have control over the entire funds. He wants you to take up this matter with U. S. Government. This should be replied.

Shri Y. B. Chavan : What answer can I give to this question. He has given a suggestion. How can I give a reply to a suggestion ?

Shri Madhu Limaye : He has asked whether the matter is being taken up with U. S. Government ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं कि क्या भारत सरकार को उनके लेखों की जांच पड़ताल करने का अधिकार तथा शक्ति है। वह कहते हैं कि वह इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हैं।

श्री जितेन्द्र मोहन बिस्वास : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या पी० एल० 480 निधि से 6 लाख रुपये की राशि पुरुलिया जिले के लिये नियत की गई थी और इस निधि के उपयोग का कार्य स्वर्गीय श्री सुधीर घोष सदस्य राज्य सभा को सौंपा गया था? क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब उस धन की क्या स्थिति है ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उस धन का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया तथा यह समझा जाता है कि सारे धन का चुनाव के लिये उपयोग कर लिया गया है। क्या माननीय मंत्री सभा को उस धन की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पुन: कहूंगा कि यह विशिष्ट मामले हैं तथा इन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके सिवा मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं। मूल प्रश्न का उद्देश्य ही यह था कि जांच आरम्भ की जाये। जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच आरम्भ होने से पूर्व ही मुझसे विशिष्ट सूचना पूछी जा रही है तथा विशिष्ट राशि के बारे में मेरी राय पूछी जा रही है, जिसका उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Some days ago, while taking part in the discussion over the C.I. A's affairs, the External Affairs Minister, Shri Chagla had assured the House that he would consult the Cabinet regarding the constitution of a high level commission to look into the question of use of foreign money in Indian politics, whether its source be P. L. 480 or something else and inform the House about the outcome of his talks with his cabinet colleagues. I want to know from the Home Minister whether this question has since been considered by the Cabinet and whether any decision has been arrived at in this regard ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस मामले पर मुझसे विचार विमर्श किया था तथा इस सम्बन्ध में मेरे और उनके बीच कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ था। उन्होंने अवश्य हमें इस सभा में हुई चर्चा के रुख से अवगत कराया था। उन्होंने मुझे उस आश्वासन से भी अवगत कराया था, जो उन्होंने यहां दिया था कि इस मामले की जांच की जायेगी। इसी के परिणामस्वरूप जांच का आदेश दे दिया गया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : में जानना चाहता हूं कि क्या इस जांच को पी० एल० 480 के उस धन तक ही सीमित रखा जायेगा जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि उसे चुनाव के लिये खर्च किया गया है अथवा विदेशी सरकारों एवं विदेशी संगठनों से भारत में राजनैतिक दलों को प्राप्त सारे धन की जांच की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जांच विस्तृत होगी तथा इसका विषय हाल के आम चुनावों

में विदेशी धन का उपयोग होगा। पी० एल० 480 निधि का धन भी इस जांच में शामिल होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : कुछ श्रोतों से यह कहा जा रहा है कि इस धन का उपयोग कुछ चुने हुये नेताओं जैसा कि कांग्रेस के प्रधान आदि के विरुद्ध किया गया। इन आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये क्या इस जांच को जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारा प्रयत्न इस जांच को यथाशीघ्र जल्दी पूरी करने का होगा।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यह एक बहुत गम्भीर मामला है, जो बहुत अधिक समय से देश के समक्ष अनिर्णीत पड़ा हुआ है। इसलिये माननीय मंत्री को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये कि जांच अब किस अवस्था में है ताकि हम समझ सकें कि इस मामले का क्या किया जा रहा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस माननीय सदन में चर्चा के उपरान्त तथा वैदेशिक कार्य मंत्री के आश्वासन के उपरान्त अभी हाल में ही जांच का आदेश दिया गया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख: इस जांच में निर्वाचन आयोग से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जायगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि इस मामले से निर्वाचन आयोग का कोई सम्बन्ध है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know from the Hon. Home Minister whether it is a fact that an article was published in the last edition of a newspaper—'New Statesman and Nation'—which is published from England that American, Russian, Chinese and Pakistani money has been used in Bombay during the elections and whether it is also a fact that money has been sent by various embassies situated in Veerganj city of Nepal and that money has been used for election purposes ?

Shri Y. B. Chavan : These are all allegations and an enquiry had been ordered to look into them.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the enquiry covers all these points.

Shri Y. B. Chavan : Yes, it covers all these points.

श्री वी० कृष्णा मूर्ति : इस आरोप की गम्भीरता को देखते हुए कि पी० एल० 480 के धन का चुनावों में उपयोग किया गया है तथा कांग्रेस दल की सदस्या द्वारा लगाये गये इस आरोप को देखते हुये कि पी० एल० 480 के धन में 41 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं रखा गया है मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस 41 करोड़ रुपये में से अधिकतर रुपया कांग्रेस दल को देश में चुनाव जीतने के लिये दिया गया है ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

Shri S. C. Jha : I want to ask as to how it can be said that the P. L. 480 fund has not been used for election purposes and how it can be said that it is not a part of American conspi-

racy. I want to say that wheat was given as gift, when Pt. Jawahar Lal Nehru visited America for the first time, but later on that gift became a part of American conspiracy. Roughly it may be said that the assistance given in the name of P. L. 480 etc. are the part of American imperialistic tactics.

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know from the Hon. Minister whether the reports to the effect that P. L. 480 funds are being given to the Congress Party by American Government through a big industrialist—Shri Birla—have reached himand if so, whether an enquiry will be made into them ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सभा से प्रार्थना करता हूं कि किसी एक दल के विरुद्ध आरोप लगाना बहुत अनुचित है। आरोप तो सब राजनैतिक दलों के विरुद्ध लगाए जा सकते हैं। आप इस दल के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं तथा यह दल उस दल के विरुद्ध आरोप लगा सकता है।

Attacks by Mizo Hostiles on Polling Booths

\+

*110. **Shri Biswanarayan Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mizo Hostiles have been indulging in considerable loot and murder activities for the last two months ;

(b) whether it is also a fact that during the elections, they attacked a number of polling booths ;

(c) if so, the extent of damage done and the number of murders committed by them during the last two months ; and

(d) the steps taken to check their activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There have been some incidents of murder and looting by the Mizo hostiles during the last two months.

(b) The Government have no such information.

(c) Five civilians have been reported killed during the period. The extent of loss is reported to be : 3 huts burnt ; 1 typewriter, Rs. 9,079/- in cash and some valuables looted.

(d) The steps taken to check the hostile activities of the Mizos include implementation of grouping scheme and intensification of operations by the Security Forces.

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मिजो पहाड़ियों में तीन निर्वाचन क्षेत्र हैं—ऐजल पूर्व, ऐजल पश्चिम और लुंगलेह हैं। जहां तक मुझे सूचना मिली है केवल एक उम्मीदवार ने दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामजद की पत्र भरे थे और वह दोनों ही जगह से विना मुकाबले के निर्वाचित हो गया। और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि उन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कब चुनाव होंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात का निर्णय चुनाव आयोग करेगा ।

श्री स्वैंल : अभी कल ही सभा में गृह-मंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि बहुत से मिजो विद्रोही कैदी ऐजल जेल से भाग गये । इसके पश्चात् ही नई खबर आई थी कि बहुत से विद्रोही सिलचर जेल से भाग गये । तकरीबन रोज ही हम मिजो पहाड़ियों पर इन घटनाओं के विषय में सुनते हैं । और आज सुबह ही एक पुलिस इन्सपेक्टर के ऐजल में, कत्ल होने का समाचार मिला है । ऐजल शहर के बीचो बीच है और सुरक्षा गतिविधियों का केन्द्र है । माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ियों के ग्रामों में दल बनाने के बावजूद भी विद्रोही मिजो की गतिविधियां बढ़ गई हैं और यह उपाय विद्रोही मिजो की गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य में सफल नहीं हो सका है, बल्कि इसके कारण विद्रोही मिजो की गतिविधियां और जोर पकड़ गई हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह स्थिति के निर्धारण का मामला है । मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं । वास्तव में दल बनाने की योजना का उद्देश्य विद्रोहात्मक आन्दोलन को रोकना है । यदि हम इस दल बनाने की योजना को शान्तिपूर्वक पूरा होने दें तो मुझे विश्वास है कि यह अवश्य सफल होगी ।

Shri O. P. Tyagi : Whether it is not a fact that by continuously arranging meetings with the Naga hostiles, the Government have not encouraged them to rebel. In addition to that I want to know whether in hill areas which are thinly populated, whether the Government finish this rebellion by rehabilitating the Jawans, ex-servicemen or farmers etc. and thereby intend to solving the problem once for all.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रथम भाग में यह व्यक्त किया है कि नागा विद्रोहियों से बात करने के कारण उन्हें विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिला है । मेरा स्वयं का यह विचार नहीं है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग, कि क्या हम भूतपूर्व सैनिकों को मिजो क्षेत्र में बसाने का विचार रखते हैं का सम्बन्ध है, इस सुझाव पर पहले भी विचार किया गया था और इसको किसी प्रकार क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया गया था । परन्तु उसके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हुए हैं । फिर भी यह सुझाव है और इस पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या वहां सैनिक कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो क्या हम पूर्ण शक्ति से सैनिक कार्यवाही नहीं कर सकते ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वहां सैनिक कार्यवाही की गई थी । परन्तु यह सैनिक कार्यवाही उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार कि हम दुश्मनों के विरुद्ध करते हैं । इसके अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं जिनका मैंने जिक्र किया था । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मिजो के लोग हमारे अपने ही भाई हैं ।

श्री हेम बरुआ : मिजो विद्रोहियों के पाकिस्तान से आधुनिक अस्त्र तथा युद्ध सामग्री प्राप्त करने के बाद विद्रोही आन्दोलन तेजी पकड़ गया है । इसकी भी सूचना मिली है कि विद्रोही

मिजो को गुरीला युद्ध की पाकिस्तान कैम्पों के अन्दर शिक्षा दी गई थी जिसका प्रबन्ध पाकिस्तानी अधिकारियों ने किया था। दुर्भाग्यवश हमारा असैनिक प्रशासन मिजो पहाड़ी जिले के सात सौ गावों तक नहीं पहुंच पाया है। इस संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान कब से सक्रिय रूप से उन लोगों को हमारे देश की प्रभुसत्ता को उखाड़ फेकने के लिये भड़का रहा है ? हमारे गृह-मंत्री ने यह वांछनीय क्यों नहीं समझा कि वह पाकिस्तानी प्राधिकारियों से युद्ध शिक्षा कैम्पों को जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में चल रहे हैं; समाप्त करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो माननीय गृह-मंत्री का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इन कैम्पों को समाप्त करने के लिये सेना को पाकिस्तानी क्षेत्र में जाने का आदेश दें। हमें इस पर दृढ़ रहना है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : काश कि आप गृह-मंत्री या प्रतिरक्षा मंत्री होते और इसका निर्णय आपको करना होता।

जैसा कि मैंने कहा कि हमने इस ओर ध्यान दिया है और पाकिस्तान सरकार का बार-बार इस ओर ध्यान दिलाया है। परन्तु उन्होंने इस तथ्य से इन्कार किया है।

इन मामलों में हमें अन्त में अपने ही लोगों का विश्वास प्राप्त करना होगा और वहां शान्ति स्थापित करनी होगी। आप इस प्रश्न को लेकर युद्ध आरम्भ नहीं कर सकते।

श्री हेम बरुआ : मुझे गलत समझा गया। मेरे कहने का अभिप्राय यह कदापि नहीं था कि अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाये। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि पाकिस्तान के विरुद्ध सीमित युद्ध छेड़ दिया जाये।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि गावों में दल बनाने से उन पर सामाजिक और आर्थिक आघात होगा, इसके अलावा, क्या मैं यह जान सकता हूं कि विद्रोही मिजो गावों में घुसपैठ करके आतंक न फैलायें इसके लिये पूरी सतर्कता ली गई है। यदि हां, तो इस दशा में क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मिजो विद्रोही भी हममें से ही हैं। इसमें घुसपैठ का प्रश्न ही नहीं उठता। यही मुख्य प्रश्न है जिसका हमें ध्यान रखना है।

Shri Jagannath Rao Joshi : What steps have been taken by the Government to check the growing rebellion attitude among the Mizo hostiles due to its open favour by Pakistan ? In addition to that I want to know whether this attitude of Pakistan is not against Tashkent principles ?

Shri Y. B. Chavan : It has already been replied. It is quite contrary, there is no doubt in it.

मोहित चौधरी का जासूसी का मामला

+

*111. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री मधु लिमये :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहित चौधरी के जासूसी के मामले में की जा रही जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) अभी तक जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें इस बात की सूचना मिली है कि मोहित चौधरी और सुनील दास के जासूसी के मामले में, इस सदन के पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व सदस्य, जो सौभाग्य से पराजित हो गये हैं, शामिल हैं। उनके विरुद्ध न तो पश्चिम बंगाल सरकार—वर्तमान नहीं भूतपूर्व और न ही केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में क्या कोई जांच केन्द्र के किसी विभाग द्वारा की गई है ? यदि हां तो किस विभाग द्वारा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : क्या आप मोहित चौधरी के मामले में कह रहे हैं या किसी और मामले में ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मोहित चौधरी और सुनीलदास के मामले में कह रहा हूं जिसमें श्री अतुल्य घोष भी सम्मिलित हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आपने श्री अतुल्य घोष का नाम भी लिया है। यह एक जाली दस्तावेज था जिसे प्रसारित किया गया था। यहां तक कि पाकिस्तानी दूतावास ने भी कहा है कि वह एक जाली दस्तावेज था। उन्होंने इस दस्तावेज का विरोध किया है। (**बाधाएं**)

Shri Ram Sewak Yadav : I have got a point of order.

श्री हेम बरुआ : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो अभी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। उन्हें उत्तर तो दे लेने दीजिये।

श्री हेम बरुआ : वह इस प्रकार नहीं कह सकते कि यह विचाराधीन है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं तो केवल तथ्यों को बता रहा हूं जो सर्वविदित हैं। जहां तक जांच करने वाले विभाग का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल का गुप्तचर विभाग इस सम्बन्ध में जांच कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्य मंत्री ने इस विषय में केन्द्र से सहायता मांगी थी क्योंकि जो जांच पश्चिम बंगाल में आरम्भ की गयी थी वह पूरी नहीं हो सकी थी उसका कारण यह था कि गवाह देने वालों तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति, इस सदन के कुछ सदस्यों ने बहुत से प्रतिबन्ध लगाये थे तथा धमकी का रवैया अपनाया था। वे यह चाहते थे कि इस मामले की जांच केन्द्र द्वारा की जाये।

जब इस प्रश्न को सभा में उठाया गया था तो उस समय भूतपूर्व गृह-मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि इस मामले की उचित जांच की जायेगी। वर्तमान गृह-मंत्री ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया है, मुझे विश्वास है कि वो इसका आश्वासन आज दे देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में केन्द्र जांच क्यों नहीं कर रहा जबकि यह जासूसी का मामला है—इस सभा के भूतपूर्व सदस्य की उपेक्षा के कारण पाकिस्तान को एक दस्तावेज दिया गया।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वास्तव में भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न आरोप होते हैं। एक बड़ी पार्टी के विरुद्ध गुप्तचर विभाग ने एक मामला दर्ज किया है और वह इस मामले की पूरी जांच कर रहा है। जब भी पश्चिम बंगाल के पुलिस विभाग को केन्द्र की एजेन्सी से सहयोग की आवश्यकता होगी, उनको यह सहयोग हमेशा मिलता रहेगा।

Shri Madhu Limaye : I do not want to ask questions. I want to raise a point of order. There has been changes in the Cabinet. The present Home Minister does not know what did his predecessor say. In this very House the State Minister in the Ministry of Home Affairs, Shri Hathi had to apologise because he made some wrong statement.

He assured the House at that time that the Centre would take the work of investigation in case of Mohit Chaudhuri and Sunil Das—Please see the old proceedings—Therefore, the question raised by Shri Banerjee was absolutely proper, and an appropriate reply thereto that what the Centre Government is doing in this regard should have come? Perhaps the Home Minister has forgotten that he wrote a letter to me in this regard before the election, but I could not reply due to lack of time. That assurance must be fulfilled.

Shri K. N. Tiwari : I have to raise a point of order. At that time there was Congress Government in West Bengal and these people believed that the member, they are referring to, had an influence over the Government. Now there is no Congress Government in West Bengal and so this matter could not be raised because everything is being done according to their sweet will.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I want the information in detail in this regard. You are disallowing my question.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय मंत्री नहीं दे सकेंगे। व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय अध्यक्ष को देना होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में एक पवित्र आश्वासन दिया गया था। क्या उन सब आश्वासनों को हम खोखले ही समझें ?

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि श्री मोहित चौधरी बिहार में किसी कांग्रेस समिति के पदधारी थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सिंघभूम

श्री स० चं० सामन्त : और वह उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से व्यापार कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उत्तर प्रदेश से भी

श्री स० चं० सामन्त : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि केन्द्र सरकार इसका दायित्व स्वयं क्यों नहीं ले लेती ?

श्री हेम बरुआ : उन्होंने 6 लड़कियों से शादियां की हैं ।

श्री य० ब० चह्वाण : फिर कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि इन कुछ विशेष आरोपों का किस प्रकार उत्तर दूं। जब कि जांच जारी है, तो इन आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करने की मेरे से कैसे आशा की जा सकती है ?

श्री स० मो० बनर्जी : चाहे माननीय गृह-मंत्री करें चाहे केन्द्र सरकार करे ।

श्री य० ब० चह्वाण : हम कर रहे हैं । केन्द्र का गुप्तचर विभाग कर रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : अब किस बात का डर है । अब वे सिन्डिकेट के सदस्य नहीं रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह न तो आरोपों को स्वीकार और न ही अस्वीकार करने की स्थिति में हैं । उनकी अभी जांच चल रही है अत: उनके लिये इन आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करना सम्भव नहीं है । जब कि जांच जारी है वह इस विषय में क्या कह सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the attention of the Hon. Home Minister has been invited to the fact that Shri Sunil Das has written a letter to Shri Prafulla Sen, the Ex-Chief Minister of West Bengal in which he has mentioned that :

'Again, I do not know whose influence he wielded and utilised to get his industrial licence application recommended by the State Government and how in less than a year or so he obtained the industrial licence. You know this could not be done in a normal way and how long it takes to get an industrial licence from the Government of India. Who were the people that backed him ? by 'he' means Mohit Chaudhuri.

He further says:

'The persons responsible to grant him fertiliser distributorship, responsible for allotment of fertiliser, responsible for releasing the document without getting the payment, responsible for recommending his industrial licence application, responsible for backing him in Delhi.....

Then he threatens.

'What I am afraid of is, once the case comes up before the Court, I shall have to speak out for my defence, particularly, when everybody left me in the lurch'.

I also want to know whether this letter has been received by the Hon. Minister, if not, what steps have been taken by him to collect the information since Shri Sunil Das is prepared to place all the facts ?

श्री स० मो० बनर्जी : यह सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं आशा करता हूं कि वे इस मामले में जरा सब्र से मुझे सुनेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा नियम 369 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिये ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वे फिर एक पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, जो कुछ लोगों ने मुख्य मंत्री को लिखा था; चाहे वह सुनील दास हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति । इसमें भी बहुत से स्पष्ट आरोप हैं । उसने केवल इतना ही कहा है कि उसे न्यायालय में अपनी सफाई में सच बताना होगा । संभवत: यह पत्र केन्द्रीय जांच विभाग के पास होगा.....

Shri Madhu Limaye : Has the Hon. Minister seen that letter ? Has he received it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है । माननीय सदस्य को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि गृह-कार्य मंत्री स्वयं जांच करें और सब दस्तावेजों को स्वयं देखें । ऐसा करना मेरे लिए असंभव है । इसलिये इस मामले में मैं कोई राय नहीं व्यक्त कर सकता । उस जांच के बारे में कहना मेरे लिये नासमझी अथवा गलत होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न 'उद्धृत पत्रों का सभा-पटल पर रखे जाने' के बारे में नियम 368 के अन्तर्गत है । नियम में मंत्री के बारे में कहा गया है :

> "यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धृत करे जो सभाके समक्ष न रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा ।"

नियम 369 (1) में कहा गया है :

> "पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा ।"

अब श्री मधु लिमये ने श्री सुनील दास द्वारा अपने मामले के बारे में लिखे गये एक खत का उल्लेख किया है । उन्होंने इसको प्रकट कर दिया है ; यह समाचार पत्रों में चला गया है । इस नियम के अन्तर्गत श्री लिमये को इसे विधिवत प्रमाणित करने और सभा-पटल पर रखने के लिये कहा जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I am prepared.

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

Shri Madhu Limaye : The point raised by the Hon. Member, Shri Banerjee is perfectly all right. Whenever a document is quoted in the House, the Members have a right to demand the laying of the original document on the Table of the House. I am prepared for it and you may kindly allow me to do so.

अध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरा व्यवस्था का प्रश्न भी सुन लेने दीजिए ।

Shri Ram Sewak Yadav : When questions are put in the House, it is necessary that a direct answer should be given and for that we seek your indulgence. Just now names of Mohit Chaudhuri and Sunil Das were mentioned with reference to some documents and when a question was put to the Hon. Minister he evasively replied that Pakistan High Commission

had stated that these were forged documents and had contradicted it. I want to submit that spying was being done for Pakistan. As such this useless statement should not be made rather a direct reply should follow. I am unable to follow why a reference is made by the Home Minister to the Pakistani certificate that the documents were forged.

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has not answered the question. Is the statement of Pakistan High Commission a gospel truth for him ? He should express his own opinion whether this document is genuine or forged.

Shri Y. B. Chavan : I will give my opinion also.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न श्री यादव द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न से उत्पन्न होता है । एक सप्ताह अथवा दस दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने राज्य विधान परिषद को बताया कि इस दस्तावेज के मामले में, जिसे गृह-मंत्री ने जाली बताया—यहां पर मेरे पास एक प्रति है; इसका व्यापक परिचालन हुआ है—राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पूछा है कि वे इस मामले में कार्यवाही करें अथवा नहीं और उत्तर की प्रतीक्षा है लेकिन दिल्ली से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस दस्तावेज के मामले में, जो दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लिखा गया पत्र बताया जाता है और जिसमें अतुल्य घोष के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में गंभीर आरोप हैं, इस दस्तावेज के असली अथवा जाली होने के बारे में स्वयं अथवा राज्य सरकार द्वारा जांच कराना चाहते हैं ? अथवा वे पाकिस्तान अधिकारियों के इन्कार करने से सन्तुष्ट हैं, जिन्हें इसका खण्डन करना ही है ? वे यह बात नहीं स्वीकार करेंगे कि वे ऐसा करते रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पत्र तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में उत्तर भेज दिया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने यह पूछा था कि क्या वे ऐसे मामले में सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों का प्रयोग कर सकते हैं । यह एक पहलू था । हमने उत्तर दिया कि 'नहीं' । इसका कारण यह है कि हमने इस सभा को आश्वासन दिया था कि सीमावर्ती राज्यों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारत रक्षा नियम लागू नहीं किये जायेंगे। दूसरे पहलू के बारे में पाकिस्तान का कहना वेद वाक्य नहीं है—यह एक मित्र मामला है। लेकिन यह एक दस्तावेज है, जो स्वयं पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा लिखा गया माना जाता है । इस मामले में निश्चय ही इसका महत्व है, आप न मानें । साथ ही हम आगे जांच कर रहे हैं और अवश्य ही पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि यह सही है अथवा नहीं, लेकिन हमारा प्राथमिक निष्कर्ष यह है कि यह एक जाली दस्तावेज है ।

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, are we to understand from the reply of the Hon. Minister that action will not be taken under Defence of India Rules even against such persons who are alleged to be involved in espionage cases and who are a danger to the security of the country ? Is it due to the fact that Shri Atulya Ghosh is involved in this case or Government will not care for the security of the country and will refuse to take action under Defence of India Rules even when definite charges of espionage are made out ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह किसी जासूस के विरुद्ध अथवा जासूसी के मामले में इस

दस्तावेज के प्रयोग करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह था कि जांच करने के बाद जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में यदि गिरफ्तारी करनी हों, तो क्या उसके लिये भारत रक्षा नियमों का प्रयोग किया जा सकता है, और मैंने इसका नकारात्मक उत्तर दिया था। निश्चय ही हमारे पास जाली दस्तावेज है। मेरा आशय यह नहीं था कि जासूसी के मामलों में इन शक्तियों का प्रयोग न किया जाये।

श्री के० के० चटर्जी: नियम 42, जो निम्न प्रकार है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है :

"जिन विषयों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो, उनके बारे में तथ्य विषयों को छोड़कर, कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा, और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा।"

Shri Madhu Limaye : We are only asking the facts.

श्री के० के० चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। इस विषय पर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है। माननीय मंत्री द्वारा तथ्य कथन के बाद क्या वे इस प्रकार पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार, यदि मंत्री गुप्त पत्र-व्यवहार को प्रकट नहीं करना चाहते, वे ऐसा कह सकते हैं। कोई भी उन्हें इसके लिये बाध्य नहीं कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पुलिस ने इस विषय में श्री अतुल्य घोष से पूछताछ की है; यदि हां, तो क्या परिणाम निकाला ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस दस्तावेज के बारे में इस रूप में जांच चल रही है कि हम इस आधार पर चल रहे हैं कि यह एक जाली दस्तावेज है।

Shri Madhu Limaye : Why do you proceed with this presumption ?

Shri Y. B. Chavan : We do not proceed with this presumption.

हमारी प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि यह एक जाली दस्तावेज है, लेकिन इससे आगे जांच तो समाप्त नहीं हो जाती। यदि जांच के दौरान कोई और चीज साबित होती है, तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : क्योंकि श्री अतुल्य घोष ने स्वयं स्पष्ट रूप से मुझे लिखा कि यह एक जाली दस्तावेज है और उन्होंने आगे जांच किये जाने की मांग की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पुलिस श्री अतुल्य घोष से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस विषय पर सभा में पूर्ण रूप से वाद-विवाद के बाद एक निश्चित आश्वासन दिया गया था कि जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों द्वारा की

जायेगी । माननीय गृह-मंत्री के उत्तर से मैं तो यह समझा हूं कि कुछ मामलों की जांच केन्द्रीय जांच विभाग कर रहा है और अन्य मामलों की जांच संभवतः राज्य सरकारें कर रहीं हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मामले की जांच केन्द्रीय जांच विभाग कर रहा है और किन अन्य मामलों से यह सज्जन सम्बन्धित हैं ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कई आरोप हैं । जासूसी की गतिविधियों में एक ही कार्यवाही तो नहीं होती; यह तो कई वर्षों के दौरान एक व्यक्ति का आचरण है । सारे मामले की जांच करनी है और यह केन्द्रीय जांच विभाग की जिम्मेवारी है । वे आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय खुफिया पुलिस की सहायता ले सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या उनके विरुद्ध अन्य मामले भी हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : समझने के लिये महत्वपूर्ण बात यह है कि जासूसी में कई कार्य, कई आरोप होते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि जासूसी के मामले की जांच केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की जायेगी । साथ ही उन्होंने बताया था कि और भी अनेक मामले हैं, जिनकी जांच राज्य सरकार कर रही थी । ये व्यक्ति बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी काम करते हैं । उनके विरुद्ध अनेक मामले हैं । क्या इन मामलों की भी जांच केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : केन्द्रीय जांच विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Are there other persons also involved in this case; as well in other cases; if so, who are the persons, whose names have come to light so far during the investigations ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास जांच सम्बन्धी सारे कागजात नहीं हैं । मेरे पास जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाये मैं कोई नाम नहीं बता सकता ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने कहा कि इन श्री मोहित चौधरी के विरुद्ध कई निश्चित आरोप थे । क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन श्री मोहित चौधरी के विरुद्ध एक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक चैक जारी करने के आरोप में, जो बैंक ने वापस कर दिया था, मुकदमा दायर किया है । यह चैक पिछली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा श्री मोहित चौधरी को उर्वरकों के वितरण का एकाधिकार दिये जाने के भुगतान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के नाम लिखा गया था । क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई और क्या सरकार ने पता लगाया है कि इस व्यक्ति को पिछली पश्चिम बंगाल सरकार से उर्वरकों के वितरण का एकाधिकार किस प्रकार मिल सका ? क्या केन्द्रीय सरकार ने—पश्चिम बंगाल सरकार नहीं, क्योंकि वे अधिकारी मिले हुए हो सकते हैं—इस पर ध्यान दिया है ? क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य इस समय जो बातें बता रहे हैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह मामला न्यायालय में है ; फिर हमें न्यायालय में विचाराधीन मामला नहीं उठाना चाहिए। मैं यह पुनः स्पष्ट कर दूं कि जासूसी में कई प्रकार की कार्यवाही होती, जो कई वर्षों में होती है। हो सकता है इसका भी जासूसी की गतिविधियों से सम्बन्ध हो और यह भी किसी जासूसी की गतिविधि का परिणाम हो, यह एक सामान्य प्रश्न है, जिस पर केन्द्रीय जांच विभाग विचार करेगा। कानून तोड़ना स्वयं एक अलग बात है। लेकिन केन्द्रीय जांच विभाग इस विशेष पहलू पर ध्यान दे रहा है।

श्री वीरेन्द्र कुमार जीवनलाल शाह : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : यह कहा गया है कि मोहित चौधरी ने छः लड़कियों से विवाह किया, जिनमें से अंजली नाम की एक लड़की श्री अतुल्य घोष की भतीजी बताई जाती है। क्या यह श्री अतुल्य घोष की सक्रिय सहायता और सहयोग से किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : जासूसी के मामले में लड़कियों का उल्लेख न करें।

संसद-सदस्य, श्री मधु लिमये पर आक्रमण

+

*112. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सेझियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने आम चुनावों में संसद-सदस्य, श्री मधु लिमये पर किये गये आक्रमण के बारे में जांच का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच कौन कर रहा है और क्या जांच पूरी हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग), प्रधान मंत्री ने गृह मंत्रालय से इस मामले की जांच करने के लिए कहा था और गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को यह सलाह दी कि आक्रमणकारियों तथा उनको उकसाने वालों का भी पता लगाने के लिए प्रत्येक चेष्टा की जाय। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह सलाह भी दी कि राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग को अनुसंधान कार्य में सहायता करनी चाहिये और बिहार

सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग ने पहले ही अनुसंधान कार्य अपने हाथ में ले लिया है। बिहार के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अनुसंधान-कार्य अभी तक चल रहा है।

(घ) अभी तक 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि इस सभा के सदस्य, श्री मधु लिमये पर चुनावों के दौरान आक्रमण राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता आदि के कारण किया गया था। यह प्रश्न प्रधान मंत्री के सामने पेश किया गया था और हम यह जानना चाहते हैं। यह भी सच है कि विभिन्न चर्चाओं के दौरान श्री मधु लिमये ने अनेक व्यापार-गृहों, जिनमें अमींचन्द प्यारेलाल भी शामिल हैं, का पर्दाफाश किया है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ये व्यापारी लोग उनकी जान लेना चाहते थे और क्या यह भी सच है कि बम्बई और कलकत्ता में तमानी हॉल यह चाहते थे कि उन्हें समाप्त कर दिया जाये और केन्द्र इस सारे मामले की जांच क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह मामला बिहार खुफिया पुलिस के सामने है और अगर वे यह समझते हैं कि केन्द्रीय जांच आवश्यक है और यदि वे कोई सहायता मांगते हैं, हम अवश्य वह सहायता देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं पहले स्पष्टीकरण चाहता हूं और बाद में मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री रणधीर सिंह : श्रीमान्, अब तक हम चौथे प्रश्न तक पहुंचे हैं। हमें अनुपूरक पूछने का मौका मिलना चाहिए। मैं दूसरी बार यह बात उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन प्रश्नकर्ता को पहले अनुपूरक प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आप नये सदस्य हैं और इसलिए आपको प्रक्रिया मालूम न हो। मुझे माननीय सदस्य, श्री बनर्जी को बुलाना चाहिए ; अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रश्न उनके नाम में है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे मार्ग दर्शन चाहता हूं। मुझे मालूम है कि यदि यह कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न होता, तो यह प्रश्न गृहीत नहीं होता। जब हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि प्रधान मंत्री ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है, यह प्रश्न गृहीत किया गया और यहां रखा गया। अब हमें यहां पता लगता है कि गृह मंत्रालय ने यह सारा मामला बिहार सरकार को वापस भेज दिया है। क्या यह सच नहीं है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि वे श्री मधु लिमये पर इस आक्रमण के पीछे एक गहरे षड्यन्त्र की ओर ले जाती हैं और उसका पता लगाया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को, न कि बिहार राज्य को क्यों नहीं जांच करनी चाहिए ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रश्न का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं। हमने बिहार खुफिया पुलिस से मामले की जांच करने के लिये कहा है और यदि उन्हें यह पता चलता है कि इस प्रश्न का बिहार के बाहर भी सम्बन्ध है और यदि वे सहायता मांगते हैं, हम उन्हें अवश्य यह सहायता देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा कि अब तक आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। वे कौन लोग हैं और क्या उचित जांच के बाद क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इसमें देश के बहुत बड़े व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों का छिपा हाथ है, जो बाद में बम्बई अथवा कलकत्ता अथवा बिहार में हार गये और क्या यह सच है कि श्री मधु लिमये को समाप्त करने की कोशिश में एक भूतपूर्व मंत्री का हाथ था ? इसकी जांच केन्द्र द्वारा होनी चाहिए, न कि राज्य द्वारा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। अब तक आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और जांच जारी है।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the student leader, Shri Ramdev Singh, who saved the life of Shri Madhu Limaye, has received letters threatening his life ? Are Government aware of it and what steps have been taken by Government to protect his life ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारा ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया है।

श्री हेम बरुआ : श्री लिमये पर आक्रमण हुआ और हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भी आक्रमण हुआ था और उन्हें नाक से खून बहते हुए एक सभा छोड़कर जाना पड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस देश में खुले आम गुण्डागर्दी तेजी से बढ़ रही है। इस प्रसंग में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में खुले आम इस गुण्डागर्दी को भयंकर रूप धारण करने से रोकने के लिये गृह मंत्री ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक सामान्य प्रश्न, जिसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बाबूराव पटेल : श्री मधु लिमये ने 5 मार्च को बम्बई की एक सभा में इस सदन के एक सदस्य पर—जो एक मंत्री हैं—एक निश्चित आरोप लगाया था कि उनको मारने का एक षड़यन्त्र था। सम्बन्धित व्यक्ति श्री बली राम भगत थे। क्या श्री बली राम भगत के लिये यह उचित, सम्मानप्रद और नैतिक दृष्टि से मंत्री पद पर रहना ठीक है जब तक कि वे बम्बई की एक सभा में 5 मार्च को लगाये गये इस गम्भीर आरोप से अपने आपको दोषमुक्त सिद्ध नहीं कर देते कि श्री मधु लिमये की हत्या करने के षड्यन्त्र में उनका हाथ था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : क्योंकि यह मामला मेरे बारे में है मैं निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाये। इस प्रश्न के कारण मैं कई हफ्ते से परेशान था और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने मुझे इस सभा को मेरी परेशानी में हाथ बटाने का अवसर दिया है। मुझे इस सभा में 17 वर्षों से लगातार

बैठने का सौभाग्य रहा है। मैं समझता हूं कि दोनों ओर के सदस्य जानते हैं कि मैं किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखता। सदस्यों ने द्वेष भावना से कुछ लोगों को जान से मार डालने की कोशिशों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। जैसे ही मुझे इसका पता लगा मैंने 14 मार्च को प्रातः श्री मधु लिमये को उन पर इस डरपोक और घातक आक्रमण किये जाने पर अपनी सहानुभूति और सदमा प्रकट करते हुए एक तार भेजा था। यह द्वेषपूर्ण प्रचार भी चल रहा है। यह सभा स्वयं समझ सकती है कि सार्वजनिक जीवन का स्तर कैसा हो गया है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, राजनीतिक द्वेष के कारण इसके साथ जोड़ा जा रहा है। जब बम्बई के कुछ समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मुझे यह विश्वास नहीं हुआ कि श्री लिमये ने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। मैंने तुरन्त यह पता लगाने के लिये तार भेजा कि क्या उनका वक्तव्य ठीक छपा है। जब वे 16 तारीख को यहां आये, तो मैं उनसे लॉबी में मिला और उसके बाद हमें डाक्टर लोहिया के घर पर मिलने का मौका मिला। वहां पर हमने इस पर चर्चा की। मैं माननीय सदस्य, श्री लिमये का बहुत आभारी हूं ; मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरी सद्भावना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। इसमें जिन दो व्यक्तियों को नुकसान हुआ, वे हैं श्री लिमये और मैं। उन्हें तो शारीरिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया और मेरा नाम जोड़कर मुझे राजनीतिक दृष्टि से समाप्त करने का प्रयास किया गया था। गत सायंकाल ही मुझे उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ और उसके कुछ अंश पढ़ने के लिये मैं सभा की अनुमति चाहता हूं। उनकी हत्या करने के षड्यन्त्र में मेरा हाथ था, समाचार-पत्रों में उनके द्वारा इस कथित आरोप के समाचार के बारे में पत्र में उन्होंने कहा है :

"I had referred to this issue in a general meeting in Bombay. The newspaper report of my speech was not correct.

"You had stated at the house of Dr. Lohia that you had no connection with those persons.....You had also further stated that you always hated such bad acts and it was totally against your nature. I (Shri Limaye) have accepted your statement fully and will forget it totally and will have no ill-feeling at all. As stated by you I want to close this chapter. It appears from talks with you that you were very much pained to know of such rumours. I was also very much upset by all these things, but now it is a closed chapter for me".

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : एक बात स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या उन्होंने सभा में यह कहा था कि नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia : It would be better if the letter is read in full. Apart from this, I have a point of order to raise. Stones were hurled on me also on several occasions. The Ministers and this House should note that there is lot of difference in throwing stones and in taking somebody's life. An attempt was made to murder Mr. Madhu Limaye and not that stone was thrown on him.

Shri B. R. Bhagat : If you allow it may be laid on the Table.

Shri Madhu Limaye : It may be laid on the Table of the House.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"गो-हत्या पर प्रतिबन्ध" आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तारियां

*113. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "गो-हत्या पर प्रतिबन्ध" आन्दोलन के सिलसिले में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) क्या उनमें से कुछ व्यक्तियों की जेल में मृत्यु भी हुई और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि 7 नवम्बर, 1966 की घटना के बाद दिल्ली में जनसंघ के प्रमुख नेताओं को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ;

(घ) क्या उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश पर जेल से रिहा किया गया और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मजिस्ट्रेट और पुलिस की निन्दा की है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 23.3.67 तक 15999

(ख) श्री किशन चन्द नामक एक व्यक्ति की 8.1.67 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हृदय की गति बन्द होने के कारण हुई। श्री सोहन सिंह नामक एक व्यक्ति की मृत्यु 21.3.67 को कुछ बन्दियों के बीच झगड़े में लगी चोटों के कारण हुई।

(ग) 7 नवम्बर, 1966 की घटना के बाद जनसंघ के कुछ नेताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

(घ) श्री बलराज मधोक तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा उनकी लिखित याचिका स्वीकार किये जाने पर रिहा कर दिया गया। अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकादाताओं की गिरफ्तारी तथा निरोध विधि-संगत नहीं था। माननीय न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों द्वारा अपने शपथ-पत्रों के कार्यवाही चलाने वालों के हाथ में सौंपे जाने की भी निन्दा की।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों का ध्यान इस मामले में सामने आने वाली गलतियों तथा विधि के उपबन्धों को लागू करते समय अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया है।

शिमला में दिल्ली उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच

*114. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 सितम्बर, 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक पर बहस के दौरान, गृह-कार्य मंत्रालय में तत्कालीन राज्य-मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल करने के लिये राजी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो शिमला में दिल्ली उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच स्थापित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश की विभिन्न (बार एसोसियेशनों) ने न्यायपालिका में सुधार के हेतु शीघ्रता से ऐसा किये जाने की मांग की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1 मई, 1967 से हिमाचल प्रदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल करने और शिमला में उच्च न्यायालय की एक स्थायी बैंच रखने का विचार है । इस विचार को पहले लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अभी हाल ही में पूरी हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

Rehabilitation of Refugees from East Pakistan

*115. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that refugees from East Pakistan have been rehabilitated at 11 places under Police Station, Motihari in District Champaran in Bihar.

(b) if so, whether no clear demarcation of the land given to them has been made so far so as to distinguish it from the land where the villagers have been living for a long time.

(c) whether it is also a fact that there are frequent conflicts in the absence of clear demarcation of land ; and

(d) whether Government propose to avoid conflict by clearly demarcating the land after its measurement ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तार

*116. **श्री बलराज मधोक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में जनवरी और फरवरी, 1967 में अंग्रेजी और हिन्दी के कितने

आर्डिनरी, एक्सप्रेस और प्रेस तार डाक द्वारा भेजे गये ;

(ख) इतनी अधिक संख्या में तारों के डाक द्वारा भेजे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा चार वर्ष पहले जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का वायदा किया गया था, उसे प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जनवरी और फरवरी में डाक से भेजे गये तारों की कुल संख्या 19,22,491 थी। इनके अलग-अलग खुलासा आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अधिकांशत: तार संकेतकों के "धीरे काम करो" आन्दोलन और एक साथ गैर-हाजिर होने के कारण।

(ग) तारों में होने वाली देरी को कम करने के लिये हाल ही में जो कुछ कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में और अधिक तार शाखायें खोली जा रही हैं।

(ii) जहां तक संभव है तारघरों के काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं।

(iii) मोर्स कार्य-प्रणाली के स्थान पर टेलिप्रिंटरों पर शीघ्रता से कार्य करने वाली प्रणाली और सीधे परिपथों पर गड़बड़ी होने पर परियात का निपटान करने के लिये विकल्प परि-पथों की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) खुले तार की मुख्य लाइनों के स्थान पर, जिन पर मौसम में होने वाले परिवर्तनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता रहता है, सहधुरीय केबल और सूक्ष्म तरंग प्रणालियां लगाई जा रही हैं।

(v) तांबे के तार की चोरियां होने के कारण परिपथों पर लम्बे समय तक गड़बड़ी न बनी रहे, इस दृष्टि से उन क्षेत्रों में जहां चोरियां होती हैं, तांबे के तार के स्थान पर तांबे से झला तार लगाया जा रहा है।

(vi) बेहतर किस्म की स्वर आवृत्ति तार प्रणालियों के (जिनमें वाक्आवृत्तियों तथा टेलीफोन सरणियों का इस्तेमाल करके तार परिपथों की व्यवस्था की जाती है) नमूने तैयार करके उन्हें उत्तरोत्तर लगाया जा रहा है, जो कि अधिक स्थायी है।

(vii) भारत के प्रमुख नगरों में उत्तरोत्तर टेलेक्स सेवा प्रारम्भ की जा रही है।

(viii) बड़े-बड़े नगरों में क्षेत्रीय वितरण कार्यालय खोले गये हैं। इस प्रणाली के अन्त-र्गत वितरण-कार्य विकेन्द्रित कर दिया जाता है और किसी एक क्षेत्र में रात-दिन चौबीसों घंटे एक ही कार्यालय से वितरण किया जाता है।

(ix) वितरण-स्थलों पर पर्यवेक्षण-व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और उनका निपटान करने की क्रियाविधि में सुधार कर वह दोषरहित बना दी गई है ।

(x) तारों के वितरण में होने वाली देरी की जांच करने और देरी समाप्त करने के लिये जांच करने की परीक्षण-विधि प्रारम्भ की गई है ।

(xi) संचारण की आधुनिक प्रणाली द्वारा बढ़े हुये परियात का निपटान करने के लिये प्रचालकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(xii) तारघरों में प्रचालक-कर्मचारियों की मंजूरी देने के मानकों को हाल ही में उदार बना दिया गया है जिससे तारों का निपटान करने के लिये अधिक व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे ।

(xiii) ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे तारघरों में अतिरिक्त वितरण कर्मचारियों का प्रबन्ध करने की व्यवस्था की गई है ।

(xiv) न केवल विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये ही बल्कि तारों पर सही पता किस प्रकार लिखा जाये, उन्हें यह सिखाने के लिये भी एक प्रचार कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है ।

(xv) 15 अगस्त, 1965 से राज्यों की राजधानियों में स्थित तारघरों में प्रायोगिक रूप से एक नया "सी" संदेश फार्म चालू किया गया है ताकि पता लेखन स्थल पर विलम्ब को कम किया जा सके ।

(xvi) 1 जुलाई, 1965 से शिकायतों की प्रतीक्षा किये बिना खुद विभाग द्वारा अपनी ओर से उन तारों की रकम वापस करने की एक प्रणाली चालू की गई है, डाक द्वारा निपटान होने के कारण जिनमें असाधारण देरी हो जाती है । इस नियम का समूची सेवा पर प्रभाव पड़ने की आशा है जिसके परिणामस्वरूप यह प्रवृत्ति बनेगी कि इस तरह कम से कम रकम वापस करने की जरूरत पड़े ।

निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा दिल्ली के विद्यार्थियों को धोखा देना

*117. **श्री नि० चं० चटर्जी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री कंसारी हलदार :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की कुछ शिक्षा संस्थाओं (शाप्स) ने दिल्ली में दसवीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो जाने वाले बहुत से विद्यार्थियों को, यह आश्वासन देकर धोखा दिया कि वे उन्हें मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की हायर सेकन्डरी परीक्षा में बैठा देंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से कितने विद्यार्थियों को ठगा गया और इन संस्थाओं ने उनसे कितनी रकम वसूल की ; और

(ग) ऐसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस बारे में रिपोर्ट एक व्यक्ति से प्राप्त हुई है। इस प्रकार के समाचार अखबारों में भी छपे हैं।

(ख) छात्रों की संख्या अथवा उनसे कितनी रकम वसूल की गई, इस बारे में किसी प्रकार की सही-सही सामग्री इकट्ठी करना सम्भव नहीं है।

(ग) छात्रों या उनके अभिभावकों ने निजी शिक्षा संस्थाओं (शाप्स) से निजी तौर पर व्यवस्था की होगी। जब कभी वे इन शिक्षा संस्थाओं (शाप्स) के विरुद्ध धोखा देने की रिपोर्ट करेंगे, तो दिल्ली प्रशासन कानून के अन्तर्गत कार्रवाई करेगा।

इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

*118. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी राज्यों में सभी इंजीनियरी कारखानों ने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दे दी है, जिसकी इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यवार कितने कारखानों ने अन्तरिम सहायता नहीं दी है; और

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर यह सभा में प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारें सम्बन्धित नियोजकों को उतनी अन्तरिम सहायता देने के लिये सहमत कराने हेतु सभी प्रयत्न कर रही हैं जितनी के लिये मजूरी बोर्ड ने सिफारिश की है।

Police Firing on 7th November, 1966

*119. **Shri Atal Behari Vajpayee** :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri S. C. Samanta :
Shri K. N. Tiwary
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the enquiry instituted into the happenings of the 7th November, 1966 in Delhi has been completed ;

(b) if so, the authority under whom the enquiry was conducted ;

(c) the result thereof ; and

(d) whether a copy of the report will be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). Investigation under the Code of Criminal Procedure into the cases arising out of the incidents of November 7, 1966 in Delhi conducted under the supervision of a Deputy Inspector General of Delhi Police has been completed. As a result of these investigations 5 cases involving 91 persons charged with various offences like rioting, attempt to murder, causing hurt to deter public servant from his duty etc. have been put in Court. There has been no general inquiry into the happenings of 7th November and the question of laying on the Table a copy of any report does not arise.

राजनीतिक कारणों से अनशन और आत्मदाह को रोकने के लिये कानून

*120. **श्री च० चु० देसाई :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिससे लोगों को विभिन्न राजनैतिक मामलों पर अनशन तथा आत्मदाह करने से कानूनन रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता

*121. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उन मंत्रालयों, विभागों तथा उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये अनुशासन संहिता लागू कर दी है, जहां वह पहले लागू नहीं थी ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). अनुशासन संहिता अभी रेलवे, पत्तनों और गोदियों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (कम्पनियों के रूप में पंजीकृत) पर लागू नहीं की गई है।

रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार की गई पुनरीक्षित संहिता पर रेलवे बोर्ड और कर्मचारियों के संघों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। एक संघ की यह राय है कि जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है स्थायी वार्ता की व्यवस्था से संहिता बेकार हो जाती है।

पत्तनों और गोदियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच मजदूर संघों को, जो संहिता का एक अभिन्न अंग हैं, मान्यता देने की कसौटी के बारे में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। अतः संहिता पत्तनों तथा गोदियों पर लागू नहीं की गई है। इस बात पर समझौते कराने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संहिता लागू करने के मामले में कुछ प्रगति हुई है।

निजी थैलियां

*122. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी थैलियां पाने वाले भूतपूर्व रियासतों के राजा-महाराजाओं द्वारा दिये गये इस सुझाव का पता है कि वे अब निजी थैलियां लेने के इच्छुक नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार इन भूतपूर्व राजा-महाराजाओं तथा/अथवा उनके आश्रितों और उत्तराधिकारियों की निजी थैलियां बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) निजी थैलियों का दिया जाना प्रारम्भ करने के समय से अब तक निजी थैलियों के रूप में प्रति वर्ष कुल कितना धन दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत सरकार को निजी थैलियां पाने वाले राजा-महाराजाओं की ओर से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) निजी थैलियां देने के लिये 1 अप्रैल, 1950 से केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी हो गई है। सदन के सभा-पटल पर उन राशियों का एक विवरण रख दिया गया है जो निजी थैलियों के रूप में दी गईं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-135/67]**

अहिन्दी भाषी लोगों को आश्वासन

*123. **श्री सेझियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू, द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों को दिये गये आश्वासन को संविहित रूप देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी राज्यों से परामर्श करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का सभा में एक उपयुक्त विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व, यदि आवश्यक हो तो, और भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

(ग) संघ की राज्य-भाषा के बारे में आश्वासनों को संविहित रूप देने के लिये विधि-व्यवस्था, संघ द्वारा शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत की जायेगी ।

विद्रोही मिजो लोगों का जेल से भाग जाना

*124. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौबीस मिजो विद्रोही, जिनमें अवैध घोषित किये गये मिजो नेशनल फ्रंट के कुछ नेता भी थे, 7 मार्च, 1967 को ऐजल जेल से भाग गये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 6/7 मार्च, 1967 की रात को ऐजल की जेल से 22 बन्दी भाग निकले ।

(ख) राज्य सरकार ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिये हैं और साथ ही सुरक्षात्मक उपायों को भी दृढ़ किया गया है ।

इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

*125. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरी उद्योगों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार मजूरी बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है ; और

(ग) उन नियोजकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया है । बोर्ड के अन्तिम प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं । किन्तु बोर्ड अपने कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों के माध्यम से बड़े अनुनय से लागू की जा रही हैं ।

जलपाईगुड़ी जिले में पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

*126. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मार्च, 1967 को जलपाईगुड़ी जिले में दक्षिण बेरुबाड़ी पर पूर्वी-पाकिस्तान से आये हुये कुछ शरारती लोगों ने धावा किया था ;

(ख) क्या उन्होंने श्री त्रिणी राम के मकान पर आक्रमण किया था ;

(ग) क्या श्री राय को उन शरारती लोगों ने पीटा था और उनका सामान लूट लिया था ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 9/10 मार्च, 1967 की रात को एक बजे के लगभग बन्दूकों तथा अन्य भयंकर शस्त्रों से लैश लगभग 15 पाकिस्तानी अपराधियों ने जलपाईगुड़ी जिले में दक्षिण बेरुबाड़ी निवासी तरणी राय (न कि त्रिणी राम) के मकान पर आक्रमण किया था। शरारती आक्रामकों द्वारा उनके परिवार के कुछ सदस्यों को पीटा गया और वे 450 रुपये मूल्य की नगदी तथा जेवर ले गये।

(घ) इस अपराध के अनुसंधान की दृष्टि से मामला दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों को एक विरोध पत्र दिया गया। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है।

आगरा में बोइलेवगंज डाकघर में गबन

*127. **श्री बालगोविन्द वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस विभाग द्वारा आगरा में बोइलेवगंज डाकघर में हुये गबन के मामले में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या उन सम्बन्धित खातेदारों के दावों का, जिन्हें अपनी बचत की राशि की अदायगी न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी है, इस बीच निपटारा हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में और कितना समय लिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) विशेष पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). एक जमाकर्ता के दावे का, जिसके लेखे से धोखादेही की गई थी, निपटान पहले ही किया जा चुका है और दूसरे दावों के निपटान की कार्रवाई तेजी से की जा रही

है। ऐसे मामलों में दावों के निपटान के लिये क्रियाविधि में शीघ्रता बरतने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध अदालती कार्रवाई शुरू की जायेगी।

कलिंग एयरवेज के साथ संविदा

*128. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंग एयरवेज के साथ सरकार की संविदा इस वर्ष समाप्त हो रही है ;

(ख) इस निर्णय के परिणामस्वरूप कितने लोगों के बेरोजगार होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इन लोगों को सरकारी सेवा में लिया जायेगा ; और

(घ) उन्हें दूसरा क्या कार्य दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस प्रश्न की अभी जांच की जा रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Off Saturdays

*129. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Dhuleshwar Meena :**
Shri Ramchandra Ulaka : **Shri Khagapathi Pradhani :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees have been demanding that, according to the recommendations made by the Pay Commission, two Saturdays in a month should be declared as holidays ; and

(b) the reasons for the rejection of their request?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs' (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under negotiation with the National Council set up under the scheme for Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration for Central Government employees.

श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

*130. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्डों ने अपने

प्रतिवेदन दे दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ नियोजकों तथा समाचारपत्रों के मालिकों ने मजूरी बोर्डों के सही ढंग से काम करने के मार्ग में बाधायें उत्पन्न की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) मजूरी बोर्डों को ऐसे जटिल प्रश्नों को हल करना पड़ता है जिनके बारे में विस्तृत जांच अपेक्षित होती है और उन्हें विभिन्न हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है ।

(ग) और (घ). बोर्डों के सदस्यों को कहा गया है कि वे सिफारिशों को अन्तिम रूप देने में और उन्हें सरकार को प्रस्तुत करने में बोर्डों से पूरा-पूरा सहयोग करें।

मिजो लोगों द्वारा त्रिपुरा में लोक निर्माण विभाग के शिविर पर आक्रमण

*131. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1967 को मिजो लोगों ने त्रिपुरा में लबचरी गांव में स्थित लोक निर्माण-कार्य विभाग के शिविर पर आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय मिजो लोगों ने मिजो भाषा में प्रकाशित पुस्तिकायें बांटी और उनके बारे में यह कहा गया कि उन्हें मिजो नेशनल फ्रन्ट द्वारा निकाला गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन पुस्तिकाओं में क्या-क्या लिखा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) त्रिपुरा में लोक निर्माण-कार्य विभाग के लालजुरी स्थित शिविर पर 21-2-1967 को लगभग 10 मिजो लोगों ने आक्रमण किया था ।

(ख) और (ग). जम्पुई पहाड़ी क्षेत्र के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को लुशई भाषा में धमकियां प्राप्त हुई थीं । कहा जाता है कि ये धमकियां मिजो नेशनल फ्रन्ट से जारी की गई थीं और इनमें प्राप्ति-कर्ताओं को उनके "मिजो सरकार के कर्मचारियों" के प्रति व्यवहार के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टियां

*132. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के

श्रमिक संगठनों ने इन द्वीप समूहों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ द्वारा पारित किये गये संकल्प प्राप्त हो गये हैं। एक मांग का सम्बन्ध अन्य बातों के साथ-साथ द्वीप समूहों में नियोजित औद्योगिक कर्मचारियों को ग्राह्य अर्जित छुट्टियों में वृद्धि करने से है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

एक नागा व्यक्ति के पास से बरामद विस्फोटक पदार्थ

*133 **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मार्च, 1967 के प्रात: आसाम में अमगुड़ी नामक स्थान पर एक नागा से तेज विस्फोटक पदार्थ से भरे हुए दो ट्रन्क बरामद किये गये थे :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) आसाम राज्य के गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 14 मार्च, 1967 को एक नागा से विस्फोटकों से भरे हुए दो ट्रंक उस समय बरामद किये गये जब वह सिबसागर जिले में अमगुड़ी के पैट्रोल पम्प पर परिवहन की प्रतीक्षा कर रहा था। उक्त नागा को तथा पैट्रोल पम्प के चौकीदार को जिसके उससे मिले होने का सन्देह था गिरफ्तार कर लिया गया।

(ग) राज्य सरकार ने सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक उपाय किये हैं।

केन्द्रीय छात्रवृत्तियों का वापिस लिया जाना

*134. **श्री उमानाथ :** **श्री अनिरुधन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री वी० विश्वनाथ मेनन : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन में कथित भाग लेने के कारण मद्रास

राज्य में विभिन्न छात्रों को दी जाने वाली केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्तियां वापिस ली गई हैं अथवा रोक दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने छात्रों को नुकसान हुआ है; और

(ग) क्या इस कार्यवाही पर फिर से विचार करने का ख्याल है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस कारण से न तो कोई छात्रवृत्ति वापिस ली गई है और न रोकी गई है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये समुद्र पार छात्रवृत्तियां

*135. **श्री कंसारी हलदर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को कई वर्षों से समुद्रपार छात्रवृत्तियां देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं तो विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तीसरी आयोजना अवधि के दौरान 26 अनुसूचित जातियों तथा 17 अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयी थीं । ये इस प्रकार हैं :

राज्य	अनुसूचित जातियों के लिये संख्या	अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2	–
असम	–	8
बिहार	–	5
मद्रास	5	–
महाराष्ट्र	5	1
पंजाब	1	3
उड़ीसा	1	–
उत्तर प्रदेश	1	–
पश्चिम बंगाल	11	–
योग	26	17

Maharashtra-Mysore-Kerala Border Dispute

*136. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Commission appointed for the settlement of border disputes between Maharashtra, Mysore and Kerala has begun its work ; and

(b) if so, the time likely to be taken by the Commission for completing its work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Commission may be able to submit its report by the end of June, 1967.

कालेज अध्यापकों के वेतन-मान

*137. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कालेज अध्यापकों के लिये नये वेतन-मान निश्चित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश की क्रियान्वित के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सिफारिश को पूरी तरह से क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के विश्वविद्यालय तथा कालेज-अध्यापकों के संशोधित वेतन मानों के सम्बन्ध में सिफारिशों को लागू करने के बारे में अपना निर्णय अभी तक सूचित नहीं किया है ।

(ग) राज्य सरकार वेतन-आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है, जिसकी नियुक्ति उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के संशोधन के लिए की थी ।

विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल

*138. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1966 की अवधि में विदेशों को कितने सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे गये तथा इन शिष्टमंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ख) इन शिष्टमंडलों के इन दौरों का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल बाहर भेजने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) शिष्टमंडलों की संख्या—8

जिन देशों का दौरा किया : आस्ट्रेलिया, फिजी, बर्मा, नैपाल, अफगानिस्तान, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य ।

(ख) हमारे कलाकारों के काम की बहुत प्रशंसा की गई थी। भाषणों, प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों द्वारा भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया था। इन दौरों से पारिस्परिक सूझ-बूझ और सौहार्द बढ़ाने तथा विदेशों के साथ सम्बन्धों को अच्छा बनाने में भी सहायता मिली है।

(ग) जी, हां।

संत फतह सिंह को आश्वासन

93. **डा० कर्णी सिंहजी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने संत फतह सिंह को लिखित अथवा मौखिक रूप में क्या आश्वासन दिये हैं जिनके आधार पर उन्होंने हाल में अपना अनशन तथा आत्म-दाह करने का विचार त्याग दिया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : भारत सरकार ने घोषित किया था कि यदि दोनों राज्य सरकारों में से किसी एक ने भी पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना या प्रथम राज्य-पालों की नियुक्ति की सिफारिश की तो तदनुसार कार्यवाही की जायगी। इसके बाद पंजाब तथा हरियाना के मुख्य मंत्रियों ने अपनी घोषणाओं में जितनी जल्दी व्यवस्था की जा सके पृथक राज्यपालों की नियुक्ति तथा पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिये इच्छा व्यक्त की थी। पंजाब तथा हरियाना के मुख्य मंत्रियों के इस सुझाव की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार की ओर से संत फतह सिंह को भेज दी गई थी कि चण्डीगढ़ के प्रश्न पर प्रधान मंत्री को मध्यस्थता करनी चाहिए। प्रधान मंत्री को निर्णय देने में सहायता करने की दृष्टि से क्षेत्रों के पुनःनिर्धारण के दावों और जवाब दोनों पर विचार करने के लिये पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की सलाह से एक समिति नियुक्ति करने का भी विचार है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने संत फतह सिंह को कोई लिखित अथवा मौखिक आश्वासन नहीं दिया।

कोयला खान भविष्य निधि

94. **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में कोयला खान भविष्य निधि के खाते में कितनी राशि जमा की गई ;

(ख) कितने कर्मचारी इस निधि में धन दे रहे हैं ; और

(ग) इस निधि की राशि का विनियोजन किस ढंग में किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) 8,72,00,000 रुपये।

(ख) 4,38,565;

(ग) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाण-पत्र तथा प्रतिरक्षा निक्षेप.....20 प्रतिशत

(दो) भारत सरकार की अन्य प्रतिभूतियां.....80 प्रतिशत

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

95. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 को उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की क्या संख्या थी ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) उड़ीसा राज्य के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर 31 दिसम्बर, 1966 को 13,402 शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे ऊपर) व्यक्ति रोजगार पाने वाले थे ।

(ख)	अनुसूचित जाति	398
	अनुसूचित आदिम जाति	366

उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रिक्त पद

96. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 तक उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा रोजगार कार्यालय में कितने रिक्त पद अधिसूचित कराये गये थे ; और

(ख) दिसम्बर, 1966 के अन्त तक इन प्रतिष्ठानों में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने पद भरे गये थे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना नीचे लिखे अनुसार है :-

संस्थापन का रूप	**1966 में अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या**	**1966 में पूरित स्थानों की संख्या**
सरकारी क्षेत्र	31,524	17,671
निजी क्षेत्र	2,752	872

भारत और पाकिस्तान के बीच दूर-संचार सम्पर्क की पुनः स्थापना

97. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच दूर-संचार सम्पर्क पुनः स्थापित करने के प्रश्न

पर विचार करने के लिये सरकारी स्तर पर एक बैठक बुलाने के पाकिस्तानी प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (ग). दोनों देशों के बीच सभी किस्म की संचार सेवाओं को सामान्य रूप से पुनः चालू करने के लिये भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को बहुत से प्रस्ताव भेजे थे। पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के बीच कुछ किस्म की संचार सेवाएं सामान्य रूप से पुनः चालू करने के लिये बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत सरकार ने बातचीत होने की संभावनाओं का स्वागत किया है और वह इस मामले में राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं।

विदेशों के छात्रों द्वारा ब्रिटेन में दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क में वृद्धि

98. **श्री नाथ पाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने विदेशों के छात्रों द्वारा दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से पूछा है कि यह वृद्धि किस आधार पर की गई है ; और

(ग) शिक्षा शुल्क में कितनी वृद्धि की गई है और कितने भारतीय छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। वृद्धि अक्टूबर, 1967 से आगे लागू होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) नये छात्रों के लिये फीस में वृद्धि लगभग 70 पौंड से 250 पौंड तक प्रति वर्ष होगी और पुराने चालू रहने वाले छात्रों के लिये 50 पौंड प्रति वर्ष।

उम्मीद है कि 1100 भारतीय छात्र ब्रिटेन में अक्टूबर, 1967 से आगे अपना अध्ययन चालू रखेंगे। इस समय उन भारतीय छात्रों की संख्या बताना संभव नहीं है, जो भविष्य में ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिये जाएंगे।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय अधिनियमों का लागू किया जाना

99. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कौन-कौन से केन्द्रीय अधिनियम लागू किये गये हैं ;

(ख) इस राज्य क्षेत्र में अन्य राज्य क्षेत्रों के समान एकरूपता लाने के लिये चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अन्य केन्द्रीय अधिनियम संभवत: किस अवधि तक लागू किये जाने वाले हैं ; और

(ग) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में किराया प्रतिबन्ध अधिनियम को लागू करने का यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 में की गई व्यवस्था के अनुसार ऐसे सभी केन्द्रीय अधिनियम जो 1 नवम्बर, 1966 से ऐन पहले चंडीगढ़ क्षेत्र में लागू थे, जो उस समय संयुक्त पंजाब राज्य का भाग था, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़पर भी लागू रहेंगे । उसके बाद संसद द्वारा अधिनियमित केन्द्रीय अधिनियम, यदि वे विशिष्ट क्षेत्रों में लागू होने वाले स्थानीय अधिनियम न हों, चंडीगढ़ में भी लागू होंगे । स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 को जो अभी हाल ही में संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था, 1 अप्रैल, 1967 से लागू करने का विचार है । फिलहाल अन्य किसी केन्द्रीय अधिनियम को इस क्षेत्र में लागू करना आवश्यक नहीं पाया गया ।

(ग) पंजाब के वे सभी अधिनियम, जो उस समय चंडीगढ़ में लागू थे, जब वह संयुक्त पंजाब राज्य का भाग था, अब भी चंडीगढ़ में लागू होंगे । किन्तु पूर्वी पंजाब नागरिक क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1949 केवल नागरिक क्षेत्रों पर ही लागू होता है । नागरिक क्षेत्रों के अन्तर्गत वे क्षेत्र ही आते हैं जिनका प्रशासन नगरपालिकाओं, कैंटोन्मेंट बोर्डों, टाउन समितियों, नोटीफाइड एरिया समितियों द्वारा होता है अथवा कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे इस उद्देश्य के लिये नागरिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाय । इस अधिनियम को चंडीगढ़ में इस आधार पर लागू नहीं किया गया कि यह राजधानी प्रायोजना क्षेत्र के विकास को हतोत्साहित करने वाला सिद्ध होगा । सरकार के सामने इस अधिनियम को चंडीगढ़ में लागू करने का कोई सुझाव नहीं है ।

विदेशियों से भारत से चले जाने के लिये कहा जाना

100. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने विदेशियों से, देशवार, भारत से चले जाने के लिये कहा गया है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा कहे जाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-136/67**]

राष्ट्रीय संग्रहालय, मुर्शिदाबाद

101. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद स्थित महल को अपने नियंत्रण में लेने तथा उसे एक राष्ट्रीय

संग्रहालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अब अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

Naga Hostiles

102. **Shri Balraj Madhok :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of attacks made by hostile Nagas on the posts manned by Indian Armed Forces since December, 1966 ;

(b) the number of soldiers killed and injured as a result thereof ; and

(c) the steps taken to prevent such attacks ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Nil.

(b) and (c) . Do not arise.

शिक्षा आयोग की सिफारिशें

103. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री च० चु० देसाई :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री फ० हु० मोहसिन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) इन पर भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्र विज्ञान सम्बन्धी भारतीय संस्था

104. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र विज्ञान सम्बन्धी भारतीय संस्था द्वारा भारत के तटीय समुद्रों में तेल

की जोरशोर से खोज करने के लिये तैयार की गई योजना क्रियान्वित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) योजना के कार्यान्वियन का कार्य रुका हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान इस कार्य के लिए आवश्यक उपयुक्त अनुसंधान जहाज अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है ।

विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों की नियुक्ति

105. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालयों के उपकुलपति नियुक्त करने के बारे में एक अखिल भारतीय नीति बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं का अब भी इंतजार है । शिक्षा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में उपकुलपतियों की नियुक्ति के बारे में सिफारिश की है । आयोग की अन्य सिफारिशों के साथ, इन सिफारिशों पर भी राज्य शिक्षा मंत्रियों की अप्रैल 1967 में होने वाली बैठक में विचार करने का प्रस्ताव है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग

106. **श्री नि० चं० चटर्जी** :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री सूपकार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग का पुनर्गठन करने का विचार है क्योंकि इसके कुछ सदस्य, जो संसद सदस्य थे, चुनाव में हार गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्रोही नागाओं तथा मिजो लोगों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

107. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री विश्वनारायण शास्त्री :**
श्री च० चु० देशाई :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छिपे हुए नागाओं तथा मिजो लोगों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही की है जोकि गत कुछ समय से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिये की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) नागा विद्रोही

(i) सशस्त्र कार्यवाहियों को बन्द करने के बारे में नागाओं के साथ एक समझौता 6 सितम्बर, 1964 को हुआ जो नागालैंड राज्य तथा मनीपुर के उखरूल, तामेंगलांग तथा माओ (सदर तहसील को छोड़कर) नामक तीन उपखण्डों पर लागू था । इस समझौते की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है । भूमिगत नागाओं के साथ शांतिपूर्ण समझौते के प्रयत्न करना जारी रहा ।

(ii) सशस्त्र कार्यवाही को बन्द करने के समझौते के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लगातार सतर्कता जारी रखी गई और आसाम तथा मनीपुर के उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है जहां नागा विद्रोहियों द्वारा कुछ कार्यवाहियां की गई थीं ।

मिजो विद्रोही

(i) पुनर्व्यवस्था योजना के अधीन मिजो पहाड़ी जिले में सिलचर से ऐजल होते हुए लंगलेह तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर 10 मील दूर तक की सारी जनसंख्या को चुने हुए केन्द्रों में स्थानांतरित किया जाना था । इस कार्यवाही के अभी हाल ही में ही पूरा कर लिये जाने के बाद संगठित केन्द्रों की जनसंख्या 46,868 है ।

(ii) मिजो विद्रोहियों के विरुद्ध सुरक्षा दलों की कार्यवाहियां बढ़ा दी गई हैं ।

दिल्ली बीकानेर ट्रंक टेलीफोन तथा तार सेवा

108. **डा० कर्णी सिंहजी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और दिल्ली के बीच ट्रंक टेलीफोन सेवा, सरकार द्वारा इस सेवा को सुदृढ़ आधार पर चलाने के दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी बार-बार ठप्प हो जाती है;

(ख) क्या इन नगरों के बीच तार सेवा भी ठप्प हो गई है जिसके परिणामस्वरूप एक्सप्रेस तारों को भी आर्डिनरी डाक से भेजा जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि चौथे आम चुनावों में बीकानेर से ट्रंक टेलीफोन करने और तार बाहर भेजने की व्यवस्था काफी दिन तक ठप्प रही; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा सीमावर्ती क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था को ठीक रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (घ). नई दिल्ली और बीकानेर के बीच संचार-व्यवस्था संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही है और विभाग ने एक जोड़ी नई तार लाइनें लगाने और आठ सरणि की एक नई कैरियर प्रणाली स्थापित करने जैसे कुछ कदम उठाये हैं। दुर्भाग्य से इन कार्यों को क्रियान्वित करने के कारण सेवा में कुछ गड़बड़ी हो गई। नवम्बर, 1966 में लगाई गई आठ सरणियों की नई कैरियर प्रणाली के कारण रतनगढ़ और लोहारू में दो रिपीटर केन्द्र खोलना जरूरी हो गया जहां कि स्थानीय बिजली की सप्लाई की स्थिति बहुत ही अस्थिर बनी रही, जिससे संचार-व्यवस्था में बार-बार गड़बड़ी होती रही। विभाग ने अब बिजली की सप्लाई के लिए खुद अपनी आपातकालीन व्यवस्था कर ली है। दुर्भाग्य से चुनावों और तार-संकेतकों के 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन की अवधि भी यही थी जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ साधारण और कुछ तुरत तारों को डाक द्वारा भेजा गया।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

109. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, दिल्ली में फरवरी, 1966 से तालाबन्दी घोषित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है :

(ग) क्या एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की कर्मचारियों की मांग को मान लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान लीवर लि० की मैनेजमेंट ने तथाकथित काम न करो हड़ताल तथा कार्यालय के अहाते के अन्दर श्रमिकों की अन्य उत्तेजनात्मक गतिविधियों के कारण (जिनमें भूख हड़ताल भी शामिल है) 27.2. 1967 से तालाबन्दी घोषित कर दी।

(ग) जी नहीं।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने इस विवाद को 10-3-1967 को अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिरण, दिल्ली, के पास न्यायनिर्णय के लिये भेज दिया।

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश

110. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कालेजों में प्रवेश लेने की समस्या को हल करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सरकार द्वारा आगामी विद्या सम्बन्धी वर्ष में दिल्ली के कालेजों में प्रवेश के लिए अग्रिम आयोजन करने हेतु नियुक्त किये गये कार्यकारी दल द्वारा शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है। इस बीच दो गैर-सरकारी संगठनों को दिल्ली में अगले विद्या सम्बन्धी वर्ष से लड़कियों के लिये दो कालेज स्थापित करने की अनुज्ञा दे दी गई है। दिल्ली प्रशासन ने भी नरेला में एक कालेज खोलने का निर्णय किया है।

Attack on Aligarh Muslim University Vice-Chancellor

111. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the enquiry instituted in respect of the attack on the Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University has been completed ;

(b) whether it is a fact that some Officials of the University were involved in the attack on the Vice-Chancellor ;

(c) whether such elements as provoke agitations from time to time still exist in the University ; and

(d) if so, the preventive measure taken ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d). The Government of Uttar Pradesh have been requested to give the necessary information. Their reply is awaited.

अस्पृश्यता के मानने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

112. **श्री सेझियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अस्पृश्यता मानने के दोषी पाये जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का उपबंध करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस बारे में 1961 में अनुदेश जारी किये गये थे । सदन के सभा-पटल पर एक प्रति रख दी गई गई है । [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये । संख्या एल० टी०**-137/67]

तेल कम्पनियों द्वारा मद्रास में छंटनी

113. **श्री सेझियान** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तेल कम्पनियों ने मद्रास के अपने कार्यालयों में बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) छंटनी तथा कर्मचारियों को उससे होने वाली परेशानी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते । इस शिकायत को मद्रास सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ।

फरवरी, 1967 में उड़ीसा के दौरे में प्रधान मंत्री की सुरक्षा

114. **श्री सेझियान** :
श्री अ० क० गोपालन
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० दीपा :
श्री गु० च० नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि 8 फरवरी, 1967 को उड़ीसा के दौरे में प्रधान मंत्री के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी ;

(ख) क्या कोई जांच की गई थी तथा गड़बड़ी के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच अभी भी चल रही है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

115. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों का एक सामान्य 'पूल' बनाने के बारे में

हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें हिन्दी आफिसरों के पद पर पदोन्नत किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों तथा उनसे नीचे के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण हो जाने के कारण, ऐसा पूल बनाना कठिन प्रतीत हुआ। फिर भी यह मामला विचाराधीन है। भरती के एक से नियम बनाये गये हैं ताकि हिन्दी अधिकारी के पद के लिये चुनाव हिन्दी सहायकों, अनुसंधान सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों आदि में से चयन किया जा सके।

(ख) ऐसी नियुक्तियों पर केवल प्रस्तावित भरती नियमों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों का संवर्ग

116. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2745 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की उपसमिति की सिफारिश जो विचाराधीन थी के अनुसार हिन्दी स्टेनोग्राफरों को अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों के संवर्ग में शामिल करने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो निर्णय लेने में और कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . मामला अभी तक विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय कर लिया जायगा।

दिल्ली में कार चुराने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

117. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 नबम्वर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार चुराने वाले गिरोह के पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनसे कारों के कितने पुर्जे मिले हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) उनके पास से कारों के कोई पुर्जे बरामद नहीं हुए। किन्तु उनके जरिये चोरी की 9 कारें बरामद हुई हैं।

(ग) पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है।

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

118. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-नागालैंड सीमा-विवाद पर, जो केन्द्र के विचाराधीन था, इस बीच अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जैसा कि 2.11.1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर में बताया गया था, नागालैंड के मुख्य मंत्री ने आसाम और नागालैंड के बीच सीमा निर्धारित करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव देते हुये प्रधान मंत्री को लिखा था। यह मामला अभी तक सरकार के पास विचाराधीन है।

(ख) नागालैंड राज्य का निर्माण, जिसमें नागा पहाड़ियां-आसाम का त्यूनसेंग क्षेत्र सम्मिलित है, नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन किया गया था।

House Collapse in Dharmpura, Delhi

119. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Balraj Madhok :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 43 on the 2nd November, 1966 and state :

(a) whether the Enquiry Commission has completed its report regarding the collapse of a house in Dharmpura, Delhi on the 15th August, 1966 which resulted in a major tragedy ;

(b) if not, the reasons therefor ?

(c) the stage at which the enquiry is at present ; and

(d) when it is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Evidence had to be recorded at several hearings. There was a brief interruption when the single member of the Commission was appointed as a Judge of the Delhi High Court.

(c) Evidence has been completed and arguments are to be heard.

(d) The term of the Commission has been extended till 30th April, 1967 and the enquiry is expected to be completed by that date.

Theft in National Museum, Delhi

120. **Shri Vishwa Nath Pandey :** **Shri K. P. Singh Deo :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri A. Dipa :**
Shri P. K. Deo : **Shri Baburao Patel :**
Shri G. C. Naik :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ornaments worth Rs. 2,500 have been stolen from the

National Museum, New Delhi ;

(b) if so, whether any arrests have been made in this connection ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) Modern tribal and folk ornaments of debased silver and gold, valued at Rs. 2,080 approximately have been stolen from the National Museum, New Delhi.

(b) and (c). The matter is under investigation by the Police.

तार बाबुओं का प्रशिक्षण तथा वेतनक्रम

121. **श्री बलराज मधोक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्रपार संचार सेवा और डाक तथा तार विभाग में काम करने वाले जूनियर और सीनियर तार बाबुओं के वेतनक्रम क्या हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को इनके विभागों द्वारा इन्हें संवर्ग में नियुक्त करने से पूर्व अथवा बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) इनका प्रशिक्षण काल कितना होता है, इन्हें कितना वेतन दिया जाता है तथा किन-किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (ग) . लोक-सभा के पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-138/67]**

तार बाबू (टेलीग्राफिस्ट)

122. **श्री बलराज मधोक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तार विभाग तथा समुद्रपार संचार सेवा के तार बाबू एक समान कार्य करते हैं जब कि डाक तथा तार विभाग के तार बाबुओं की अर्हताएं समुद्रपार संचार सेवा के तार बाबुओं की अर्हताओं से काफी अधिक है;

(ख) क्या इन दोनों के वेतनक्रमों में बहुत अधिक अन्तर है; और

(ग) यदि हां तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (ग) . डाक-तार विभाग के तार-संकेतक का काम समुद्रपार संचार व्यवस्था के तार-संकेतक द्वारा किये जाने वाले काम के समान नहीं है । अतः उनके वेतनमानों में अन्तर होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वेतन आयोगों ने डाक-तार विभाग के तार-संकेतकों को विभाग के उन दूसरे सम्बद्ध संवर्गों के कर्मचारियों के समान माना है जो वेतन के उसी समय-मान में काम करते हैं ।

नई दिल्ली सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस से भेजे गये तार

123. **श्री बलराज मधोक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1967 में नई दिल्ली के सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस से कितने तार डाक द्वारा भेजे गये, कितने मूलतः डाक द्वारा भेजे गये और कितने स्थानीय सब-आफिसेज को हस्तांतरित किये गये;

(ख) इस कार्य पर कुल कितने व्यक्ति लगाये गये तथा वेतन और अधिक समय तक काम करने के भत्ते के रूप में कुल कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) प्रति कर्मचारी द्वारा प्रति घंटा औसतन कितना कार्य किया गया ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) से (ग). सूचना लोक-सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

		जनवरी, 1967	फरवरी, 1967
(क)	(i) डाक द्वारा भेजे गए तारों की संख्या	98146	81705
	(ii) डाक द्वारा भेजे गए मूल तारों की संख्या	43440	37883
	(iii) स्थानीय तारघरों को हाथ से भेजे गए तारों की संख्या	49432	44421
(ख)	(i) इस काम में लगे कुल व्यक्ति-घंटे	2536 घंटे	1962 घंटे
	(ii) वेतन और समयोपरिभत्ते के रूप में हुआ कुल खर्च	8991.26	7083.56
(ग)	नीचे दिये गए संदेशों के सम्बन्ध में एक कर्मचारी का एक घंटे का औसत काम :		
	(i) उन संदेशों की संख्या जिनकी पूरी नकल की गई और डाक से भेजे गए	12.5	
	(ii) डाक से भेजे गए मूल-संदेश	75.0	
	(iii) खाका नकल रखने के बाद हाथ से भेजे गए अन्तरित संदेश	30.0	

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

124. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री काशी नाथ पाण्डे :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुधन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री वी० विश्वनाथ मेनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी श्रम समिति द्वारा नियुक्त बोनस संबंधी द्विपक्षीय समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोनस अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों पर कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि नहीं तो कर्मचारी संगठनों के प्रस्तावों को दृष्टि में रखते हुए बोनस अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले पर 25 अप्रैल, 1967 को होने वाली स्थायी श्रम समिति की आगामी बैठक में विचार किया जायगा ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

125. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का हरिद्वार कारखाना प्रमाणीकृत स्थायी आदेशों (सर्टिफाइड स्टैंडिंग आर्डर्स) के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं कर रहा है; और

(ख) क्या प्रबन्धकों ने हाल में प्रमाणीकृत स्थायी आदेशों के उपबन्धों के विरुद्ध एक मजदूर संघ (यूनियन) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). प्राप्त अभ्यावेदनों पर तहकीकात की जा रही है । यथा शीघ्र सदन की मेज पर सूचना रख दी जायगी ।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में महंगाई भत्ते में वृद्धि

126. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

होने के बाद सरकारी कारखानों में (कोयला और इस्पात को छोड़कर) महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या किसी कारखाने ने इस आधार पर कि उन्होंने अन्तरिम सहायता के संबंध में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है, गजेन्द्रगडकर आयोग के निर्णय के अनुसरण में महंगाई भत्ते में वृद्धि करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड के अन्तर्गत आने के बावजूद भी कपड़ा उद्योग में महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार बम्बई इंजीनियरी उद्योग में प्रति मास महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी जाती है; और

(घ) क्या समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के मामले में सरकारी कारखानों में काम करने वाले इंजीनियरी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

7 नवम्बर, 1966 की घटना के फलस्वरूप हुई क्षति

127. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 नवम्बर, 1966 को गो-हत्या विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाये जाने के परिणामस्वरूप जिन लोगों की सम्पत्ति तथा कारें आदि जल गई थीं उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों समेत सम्पत्ति की हानि का मुआवजा दिया जाये;

(ख) इस प्रकार अब तक कुल कितनी राशि के दावे पेश किये गये हैं तथा इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) क्या इस बारे में अनुमान लगा लिया गया है कि उस दिन सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानि हुई और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) उन केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के 62 दावे अनुग्रहार्थ सहायता की मंजूरी के लिए प्राप्त हुये थे, जिनकी कारों को सरकारी दफ्तरों या भवनों की सीमा में खड़े हुए 7 नवम्बर, 1966 की व्यवस्था भंग के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था । इन दावों के विरुद्ध लगभग 1,83,000 रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई है । दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को प्राप्त 7 दावों में से केवल चार में दावों की राशि का उल्लेख था जिसका योग केवल 5,090.75 रुपये था । इनमें से तीन दावों पर विचार किया गया और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया । चौथा मामला विचाराधीन है । दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा किया गया दावा भी विचाराधीन है ।

(ग) घटनाओं के फलस्वरूप डी० टी० यू० की 25 बसों, डाकखाने की 4 गाड़ियों तथा 45 सरकारी गाड़ियों को अंशतः या पूर्णतः क्षति पहुंची थी । सरकारी गाड़ियों को पहुंची क्षति

का मूल्य 1,99,405.06 रुपये आंका गया है। सरकारी भवनों को पहुंची क्षति का मूल्य 2,20,375 रुपये आंका गया है।

सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष

128. **श्री च० चु० देसाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में, विशेषकर असिस्टेंटों, अपर डिवीजन क्लर्कों तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों में, पदोन्नति की सम्भावना के संबंध में बहुत असंतोष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन द्वारा हाल में किये गये (तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित) सर्वेक्षण से ऐसी स्थिति का पता चलता है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). कर्मचारियों के जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से पदोन्नति की अपर्याप्त सम्भावनाओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन पर सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया, किन्तु मितव्ययिता के कारण उच्चतर ग्रेडों में पर्याप्त संख्या में पदों की अनुपलब्धि, अवकाश-प्राप्ति की आयु में वृद्धि तथा अन्य तत्वों के कारण इस मामले में कुछ भी करना सम्भव नहीं हो सका।

(ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही सरकार को कोई अन्य सर्वेक्षण किये जाने का पता है।

असिस्टेंटों की शिकायतें

129. **श्री च० चु० देसाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के असिस्टेंटों की, जिनमें ऐसे असिस्टेंट भी सम्मिलित हैं जिनकी वरिष्ठता के बारे में कहा जाता है, कि वह गलत तरीके से निर्धारित की गई है, शिकायतों के बारे में अध्ययन करने के हेतु मार्च, 1966 में संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या प्रगति की है; और

(ग) इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक पेश करने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). असिस्टेंट ग्रेड में वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का प्रश्न इस समिति के पास विचार के लिये भेजे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों में से एक था। यह विशेष प्रश्न इस समय समिति के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी।

मिजो पहाड़ी के गांव

130. **च० चु० देसाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से सेना द्वारा पहाड़ी गांवों की पुनर्व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नागरिकों को इन विद्रोहियों के आतंक से बचाने की दिशा में इससे कहां तक सहायता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) इस व्यवस्था की योजना में मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्चर-लांगलेह सड़क के दोनों ओर 10 मील दूर तक के क्षेत्रों की सारी आबादी को कुछ चुने हुये केन्द्रों में स्थानान्तरित करना था। यह कार्य तीन प्रावस्थाओं में बांट कर पूरा किया गया और कार्यवाही की समाप्ति के बाद व्यवस्थित केन्द्रों की जनसंख्या 46868 है।

(ग) व्यवस्था योजना अभी हाल ही में पूरी हुई है और इसका पूरा प्रभाव केवल कुछ समय बाद ही दिखाई देगा। फिर भी व्यवस्थित जनसंख्या की मिजो नेशनल फ्रन्ट के विद्रोहियों के आतंक से रक्षा करने के उपाय किये गये हैं।

कछार जिले में विद्रोही मिजो लोगों द्वारा हमला

131. **श्री च० चु० देसाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 नवम्बर, 1966 की रात को 150 मिजो विद्रोहियों के एक गिरोह ने कछार जिले में चारमुरा बाजार पर आक्रमण किया था तथा वहां की प्रायः सभी दुकानों को लूटा और बाजार में आग लगाने के बाद लूट का माल ले गये; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 9 नवम्बर, 1966 को लगभग 150 सशस्त्र मिजो विद्रोहियों ने कछार जिले के घारमुरा बाजार की 15 दुकानें लूटीं जिनमें से 14 को उन्होंने आग भी लगा दी।

(ख) लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिये उक्त क्षेत्र में पहले से स्थापित पुलिस चौकियों की जनशक्ति को और बढ़ाया गया है।

जयपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

132. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर में मार्च, 1967 में पुलिस ने जनता पर गोली चलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये; और

(घ) क्या इस संबंध में न्यायिक जांच का कोई आदेश दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) कहा जाता है कि पुलिस ने एक हिंसक भीड़ को नियन्त्रित करने में आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई थी ।

(ग) आठ व्यक्ति ।

(घ) न्यायिक जांच की जायेगी ।

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली

133. **श्री स० चं सामन्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 मार्च, 1967 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के असफल रहने का एक कारण अत्यधिक केन्द्रीयकरण भी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). देश के सरकारी प्रशासन की जांच के लिये नियुक्त प्रशासन सुधार आयोग के भी इस समस्या की ओर ध्यान देने की सम्भावना है ।

इस सम्बन्ध में यदि आयोग कोई सिफारिशें देगा तो सरकार द्वारा उन पर यथोचित ध्यान दिया जायगा ।

बेरोजगारी बीमा योजना

134. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों के लिये बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है जो नौकरी कर रहे हों परन्तु जिनकी नौकरी छूटने की सम्भावना हो; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हथी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले को 25 अप्रैल, 1967 को होने वाली स्थायी श्रम समिति की आगमी बैठक में रखे जाने का विचार है।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया जाना

135. **श्री सेझियान :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में संघीय ढांचे की सरकार बनाने का निर्णय किया है, जिसके अन्तर्गत आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों आसाम (हिल्ज) को विशेष दर्जा दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . आसाम राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर एक वक्तव्य 13 जनवरी, 1967 को जारी किया गया था उस वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

आल पार्टी हिल लीडर्ज कान्फ्रेंस के नेताओं से प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री की हुई बातचीत की समाप्ति पर केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय ने आज निम्नलिखित बयान जारी किया है :

प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने आल पार्टी हिल लीडर्ज कान्फ्रेंस के नेताओं के साथ ब्योरेवार विचार विमर्श किया है। भारत सरकार आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की उमंगों की सराहना करती है और उसने आसाम के राज्य को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा सुरक्षा और समन्वित विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, गृह-कार्य मंत्री ने आल पार्टी हिल लीडर्ज कान्फ्रेंस के नेताओं के साथ इस

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था कि इस पुनर्गठन का आधार एक संघी ढांचा हो जिसमें सामान दर्जे के संघीय एकक हों जो एक दूसरे के अधीन न हों। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत एक सीमित संख्या में अत्यावश्यक विषय खण्डीय संघ को सौंपे जायेंगे और शेष विषय संघीय एककों को सौंपे जायेंगे जिनमें उनकी अपनी विधान सभायें, मंत्री-परिषद आदि होंगी। इस योजना का ब्योरा, जिसमें खण्डीय संघ को सौंपे जाने वाले विषय भी शामिल होंगे, एक समिति द्वारा, जिसमें सभी सम्बन्धित एककों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, 6 महीने के अन्दर-अन्दर तैयार किया जायेगा। बाद में पूर्वी क्षेत्र में अन्य प्रशासनिक एकक भी इस खण्डीय संघ में शामिल हो सकते हैं।

दार्जिलिंग जिले में पाई गई नवपाषाण बस्तियां

136. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य के भूतत्वीय निदेशालय को उस राज्य में दार्जिलिंग जिले के कालीपोंग पठार के निकट हिमालय की तलहटी क्षेत्र में खुदाई करते समय भारत के पाषाण युग की सबसे अधिक बड़ी बस्तियों में से एक नवपाषाण बस्ती मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). 1962 में कालिंपोंग की तराई में की गई खुदाई में बहुत सी नवपाषाण कुल्हाड़ियां मिली थीं। राज्य पुरातत्व निदेशालय ने सितम्बर 1966 में दार्जिलिंग जिले में खोज का काम शुरू किया तथा अन्य वस्तुओं के अलावा वहां एक छिप्टीदार नवपाषाण कुठार भी मिला था।

इस क्षेत्र में नवपाषाण औजारों के पाए जाने की यह पहली घटना नहीं है। फिर भी, इन स्थलों की पुरातत्वीय संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है।

गांधी हत्या कांड

137. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री सूपकार : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी हत्या काण्ड के कारणों की जांच करने के लिये एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां तो इस आयोग का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है :

(i) क्या किसी व्यक्ति, विशेषत: पूना के डा० गजानन विश्वनाथ केतकर, को नाथूराम विनायक गोडसे तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के षडयन्त्र की पूर्व सूचना थी;

(ii) क्या ऐसे किसी व्यक्ति ने बम्बई सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किन्हीं अधिकारियों को यह सूचना दी थी; विशेषत: क्या उपरोक्त डा० केतकर ने स्व० बाछकाका कानेतकर के जरिये यह सूचना स्व० बाल गंगाधर खेर को दी थी;

(iii) यदि ऐसा था, तो बम्बई सरकार द्वारा और विशेषत: स्व० बाल गंगाधर खेर द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा उक्त सूचना के आधार पर क्या कार्यवाही की गई थी ।

आशा है कि आयोग अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को 30 सितम्बर, 1967 तक दे देगा ।

उड़ीसा में काम दिलाऊ दफ्तर

139. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1961-62 से लेकर 1966-67 की अवधि में (वर्ष-वार) उड़ीसा के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे;

(ख) उनमें बेरोजगार स्नातकों, इण्टर-पास तथा मैट्रिक-पास व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) जिन बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरणपत्र में अंकित हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-139/67**]

डाक तथा तार सर्किल, लखनऊ

140. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार सर्किल आफिस, लखनऊ में 1 जनवरी, 1953 से अपर डिवीजन कल्कों के चौदह पद खाली पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पद पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं अपितु डाक और तार के महानिदेशालय द्वारा भरे जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो महानिदेशक के पत्र संख्या पी० ई० 18-6/53 दिनांक 28 अगस्त, 1953 के अन्तर्गत दिये गये निदेश के अनुसार इन पदों को, उन कर्मचारियों को स्थायी करके न भरने के क्या कारण हैं जो 1 जनवरी, 1953 को स्थानापन्न पदों पर थे ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश में सेवाओं का विभाजन

141. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों से (राज्य-वार, संघ राज्य-क्षेत्र-वार, सेवा-श्रेणीवार) , पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के संघ राज्य-क्षेत्रों के अपने-अपने अधिवासी राज्य में नियुक्ति के बारे में सेवा नियतन समिति को कितनी अपीलें प्राप्त हुईं ;

(ख) अब तक कितनी अपीलों का निबटारा किया जा चुका है ; और

(ग) शेष अपीलों पर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

142. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना देश भर में लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किन राज्यों में इसे लागू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). स्कूलों में अनिवार्य हाजिरी लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों ने विधान पारित कर दिये हैं । किन्तु दण्डात्मक उपायों को काम में लाने की बजाय समझाने, प्रचार करने और प्रोत्साहन देने पर अधिक जोर दिया जाता है। इन कार्यवाइयों के फलस्वरूप तीसरी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के अन्त तक 6-11 और 11-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के क्रमश: 80 प्रतिशत और 32 प्रतिशत के स्कूल में ले आने की सम्भावना है।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

143. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियमों की भिन्न-भिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में आज तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, नजरबन्द किये गये और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये ; और

(ख) उनको दिये गये दण्डों का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

होम गार्ड

144. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में होम गार्डों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

145. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक कर्मचारियों में तपेदिक तथा आंख की बीमारियां बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन बीमारियों की रोकथाम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान (1961-66) तपेदिक का प्रकोप लगभग स्थिर रहा ।

आंख की बीमारियों में इस काल में थोड़ी-सी वृद्धि होती रही ।

(ख) ब्योरे नीचे दिये जाते हैं

प्रति हजार बीमाकृत व्यक्तियों की बीमारियों की घटनायें

वर्ष	श्वास-प्रश्वास की तपेदिक	दूसरे प्रकार की तपेदिक	आंख की बीमारियां
1961-62	10.0	3.6	88.6
1962-63	12.4	5.2	96.0
1963-64	12.6	4.9	97.1
1964-65	13.6	5.3	98.0
1965-66	12.7	4.7	101.3

(ग) (i) **तपेदिक :** निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :

निरोधक उपाय : सामुहिक लघु एक्स-रे चित्रण, ट्यूबर क्यूलीन परीक्षण और बी० सी० जी० टीके ।

रोग निदान उपाय : इस योजना के अन्तर्गत रोग जांच केन्द्रों / विशेषज्ञ केन्द्रों में तपेदिक विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं। 50,000 या उससे अधिक बीमा योग्य आबादी के लिये इस योजना के अन्तर्गत अलग तपेदिक रोगनिदान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

अंतरंग इलाज : तपेदिक के मरीजों को कर्मचारी राज्य बीमा तपेदिक अस्पतालों / अनुबद्ध कक्षों या राज्य सरकारों के तपेदिक अस्पतालों / वार्डों तथा अन्य अस्पतालों के आरक्षित के पलंगों में अंतरंग इलाज की सुविधायें दी जाती हैं ।

घर पर इलाज : अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज्यादा न बढ़े इसलिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत घर पर इलाज की सुविधायें दी जा रहीं हैं।

(ii) **आंख की बीमारियां** : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे सारे क्षेत्रों में जहां यह योजना लागू है, आंख के विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध हैं और ऐसे सब मरीज जिनका विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण तथा इलाज आवश्यक हो, उनके पास भेजे जाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा और राज्य सरकार के अस्पतालों में अंतरंग इलाज के लिये पलंगों की व्यवस्था की जाती है।

यदि काम पर चोट लगने से आंख की ज्योति कम हो जाय तो बीमा शुदा व्यक्तियों को निगम के ही खर्च पर ऐनकें भी दी जाती हैं ।

देश में रोजगार की स्थिति

146. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार की स्थिति के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 1. चतुर्थ पंचवर्षीययोजना के आरम्भ (अप्रैल,1966 में अनुमानित बेरोजगारी — 90 लाख से 1 करोड़ तक

2. चतुर्थ पंचवषीय योजना काल में श्रम शक्ति में अनुमानित वृद्धि — 2 करोड़ 30 लाख

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्णित विकास कार्यों से एक करोड़ 90 लाख रोजगार कार्य उत्पन्न होने की आशा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित मानवीय शक्ति को पूरा करने के लिए कुशलता बढ़ाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

उड़ीसा में नये विश्वविद्यालय

147. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री० के० पी० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव : **श्री अ० दीपा :**
श्री० गु० च० नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उड़ीसा में स्थापित किये गये दो नये विश्वविद्यालयों को, एक सम्बलपुर में और दूसरा बहरामपुर में, कोई अनुदान दिया है और यदि हां, तो कितना;

(ख) क्या इन दो नये विश्वविद्यालयों को धन के रूप में अनुदान के अतिरिक्त कोई अन्य सहायता दी गयी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोनों विश्वविद्यालयों को अनुदान या कोई और सहायता देने के सवाल पर विचार ही नहीं किया है, क्योंकि ऐसी सहायता के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

New Colleges in Delhi

148. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state.

(a) the number of new Colleges proposed to be opened in the Union Territory of Delhi ;

(b) whether it is a fact that a College is to be opened at Narela also during the next academic year ; and

(c) if so, whether Science classes would be started in that College ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Permission has been given to private organisations to start two girls colleges from the next academic session. The question of starting more colleges by Delhi Administration is under consideration.

(b) and (c). The Delhi Administration has decided to start a college at Narela. It may not be possible to start science classes in the college in the beginning.

Section Officers

149. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of the Section Officers who have been working in officiating capacity for more than 7 years continuously ;

(b) whether it is a fact that there is a feeling of discontentment amongst them on account of being not confirmed in that scale ; and

(c) if so, whether his Ministry is considering the proposal that a person who has worked in an officiating capacity for more than seven years continuously should be confirmed in his pay-scale in the normal course ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) About 439.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. Confirmations in a grade are related to the existence of permanent vacancies and not to the completion of any minimum length of service in that grade. Instructions are already in force for an annual review and refixation of the authorised permanent strength of each grade and for conversion of temporary posts into permanent, subject to fulfilment of certain conditions. To the extent an increase in the authorised permanent strength is achieved by above process, a larger number of officiating officers will get confirmation.

चमड़ा उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

150. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड का अंतरिम प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के कई कारखानों में क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये नियोजकों से कहने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) बोर्ड की सिफारिशों को कितने कारखानों ने क्रियान्वित नहीं किया तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) राज्य सरकार, जिसके द्वारा कि सिफारिशों को कार्यान्विति के लिये कार्रवाई की जा रही है, क्रियान्विति शीघ्र करवाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये चमड़ा और चमड़े के सामान के उद्योगों का एक त्रि-दलीय सम्मेलन बुलाने के लिये विचार कर रही है । इस बीच सरकार के क्षेत्रीय कर्मचारी सिफारिशों का स्वेच्छापूर्वक परिपालन करवाने के लिये पूरे प्रयत्न कर रहे हैं ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट

151. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विम्को फैक्टरी पोर्ट ब्लेयर तथा अंडमान टिम्बर इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों तथा उनके अपने-अपने प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक झगड़े के मामले में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट का पता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस पंचाट को सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में भी क्रियान्वित करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से मंगवाई गई है, सरकार द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

नाविक द्वारा राष्ट्र-ध्वज का अपमान

152. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को मिनिकाय द्वीपसमूह में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित नाविक ने राष्ट्र-ध्वज का अपमान किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तार बाबुओं और टेलीप्रिन्टर आपरेटरों के वेतन

153. **श्री सत्य नारायण सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में तारबाबू के लिए क्या-क्या अर्हताएं तथा प्रशिक्षण अपेक्षित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग में तारबाबू के लिये वही अर्हताएं और प्रशिक्षण अपेक्षित हैं जो अन्य विभागों में टेलीप्रिन्टर आपरेटर के लिए अपेक्षित हैं;

(ग) क्या अन्य विभागों में टेलीप्रिन्टर आपरेटरों की तुलना में डाक तथा तार विभाग में तार बाबुओं के वेतन कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल): (क) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा / प्रशिक्षण अवधि नौ महीने की है ।

(ख) किन्हीं दूसरे विभागों के नाम बताये बिना कोई तुलनात्मक विश्लेषण करना संभव नहीं है ।

(ग) डाक-तार विभाग में तार संकेतकों का वेतन-मान 110 रु० से 240 रु० तक है और प्रशिक्षण पूरा होने पर तीन वेतन वृद्धियां पेशगी दी जाती हैं । दूसरे विभागों के नाम बताये बिना कोई तुलनात्मक विश्लेषण करना संभव नहीं है ।

(घ) भाग (ग) में दिये गए उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला तारघर, वाराणसी

154. **श्री सत्य नारायण सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला तारघर, वाराणसी की नई इमारत के लिये वाराणसी की हेठुआ कोठी को अर्जित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) कोठी को शीघ्रातिशीघ्र अर्जित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जायदाद की कीमत के बारे में मालिक से बातचीत करने के लिए एक वार्त्ता-समिति नियुक्त की गई है और ऐसी संभावना है कि समिति मई के शुरू में मालिक से बातचीत करेगी ।

तार कर्मचारी

155. **श्री ई० के० नयानर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग द्वारा पालघाट सर्किल में कुछ तार कर्मचारियों अथवा मजदूरों को सेवा से निकाला गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को निकाला गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उनकी मांगों तथा उनके छंटनी सम्बन्धी आदेश को रद्द करने के बारे में पुनर्विचार करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) पालघाट नाम का कोई सर्किल नहीं है । ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य का मतलब पालघाट के विभागीय तारघर से है । अगर ऐसा है, तो वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति

156. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका सरकार के साथ भारत-मूलक व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में सन्धि होने के बाद से श्रीलंका से कितने भारत-मूलक व्यक्ति स्वदेश लौटे हैं; और

(ख) उनको किस स्थान पर तथा किस हद तक बसाया जा चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत-श्रीलंका करार 1964 के अधीन भारतीयों का स्वदेश लौटना अभी आरंभ नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Training for Man-Power Planning

157. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some training work for man-power planning has been started ; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Institute of Applied Man-power Research, New Delhi, organised a Training Course in Man-power Planning at the level of the undertaking, from 31-1-1967 to 11-2-1967. The Institute was set up by the Government of India in 1962 and one of the objects of this Institute is to provide advanced training in professional techniques for man-power planning and administration.

(b) Twenty-four participants nominated by undertakings in the public and private sectors attended the training course. The lectures, discussions and syndicate sessions were led by specialists in various aspects of man-power planning drawn from private and public sector undertakings, Government Departments and the Institute of Applied Man-power Research. The course was designed to give the participants an insight into the integrated nature of man-power planning, the various factors to be taken into account and the different techniques to be used for man-power planning in industrial undertakings.

Proscription of Books

158. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of books proscribed by his Ministry during the year 1966-67 ; and

(b) the titles of those books?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Proscription Orders were notified in respect of five books or publications in 1966-67 by the Ministry of Home Affairs.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

1. The Nagas-India's problem or The World's? The search for Peace.
2. GOA-INVOCADA NA ASSEMBLIA NACTONAL (LISBOA) E NA CAMARA DOS COMUNS (LONDRES).
3. JEHAD.
4. Tashkent Declaration and the Problem of Indo-Pak Minorities.
5. People of India, Defend Yourselves.

Corruption Charges against Government Employees

159. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state: (a) the number of Gazetted Officers of the Central Government against whom cases of corruption were investigated in 1966-67; and

(b) the number of those penalised in these cases?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) 1101 public servants of gazetted status were involved in the cases taken up by the S. P. E. during the period from 1.1.66 to 28.2.67 including cases of 600 which were pending on 1.1.66.

(b) In the cases where proceedings were completed during the same period, 11 officers were convicted by courts and 108 punished departmentally.

उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

160. **श्री प्र० के० देव :** **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री गु० च० नायक : **श्री अ० दीपा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में स्वचालित मशीनों के प्रयोग के बारे में कलकत्ता में औद्योगिक इंजीनियरों का हाल में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

भुवनेश्वर की सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता

161. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए **प्रार्थना-पत्र** प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी धनराशि की मांग की है ; और

(ग) इन संस्थाओं को अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भुवनेश्वर में सेंट्रल स्कूल

162. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक सेंट्रल स्कूल स्थापित किया गया है और यदि हां, तो स्कूल में कितने विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या स्कूल की अपनी स्थायी इमारत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । स्कूल की कुल प्रवेश क्षमता 74 है ।

(ख) और (ग) . जी नहीं । फिलहाल स्कूल के लिए आवास की व्यवस्था राज्य-सरकार ने कर दी है । नई इमारत के लिए भी एक स्थान देने को राजी हो गई है । वास्तविक स्थान अभी तय नहीं हुआ है । इस मामले पर राज्य सरकार के साथ आगे कार्रवाई चल रही है ।

संतानम समिति की सिफारिशें

163. **श्री अब्दुल गनी दर :** क्या **गृह-कार्य** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार आदि को दूर करने के सम्बन्ध में संतानम समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को किस हद तक लागू किया गया है ; और

(ख) शेष सिफारिशों के कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). संतानम समिति द्वारा की गयी 137 सिफारिशों में से (जिनमें सिफारिशों के भाग भी सम्मिलित हैं) 117 ज्यों की

त्यों या परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ली गई हैं। इनमें से 111 अब तक लागू की जा चुकी हैं। शेष सिफारिशों के लागू किये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

8 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और शेष 12 की अभी तक जांच की जा रही है। शेष सिफारिशों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र फैसले करने के लिए प्रत्येक चेष्टा की जा रही है।

अश्लील प्रकाशन

164. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसकी जांच करने के लिये कि कोई प्रकाशन अश्लील है अथवा नहीं क्या कोई किसी प्रकार का सरकारी तंत्र है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये विशेषज्ञ बोर्ड बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

अश्लील प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 292 तथा 293 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 521 के उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोज्य हैं। विधि के इन उपबन्धों को लागू करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हम कुछ मामलों में कानूनी सलाह के आधार पर राज्य सरकारों को कार्रवाही करने का सुझाव देते हैं।

विदेशों से आयात किये जाने वाले अश्लील प्रकाशन सीमाशुल्क अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 77—सीमाशुल्क दिनांक 22 सितम्बर, 1956 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या I—सीमाशुल्क दिनांक 18 जनवरी, 1964 के अधीन अभियोज्य हैं। इन अधिसूचनाओं के उपबन्ध सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा लागू किये जाते हैं जो इस बारे में साहित्य आदि के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों के सलाहकारों की एक तालिका की सलाह से निर्णय लेते हैं। ऐसे प्रकाशनों की, जो अश्लील प्रतीत होते हैं, जांच करने में सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता करने हेतु भारत सरकार ने एक तालिका बनाई है। संदिग्ध मामलों को निर्णय के लिये भारत सरकार को भी निर्दिष्ट किया जाता है।

गांधी भवन

165. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी चालीस विश्वविद्यालयों में गांधी भवन चालू हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में गांधी भवन चालू हो गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली, यादवपुर, कर्नाटक, नागपुर, पंजाब और राजस्थान ।

Dates of Hindu Festivals

166. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the fact that generally a controversy arises in the fixation of dates of Hindu festivals ; and

(b) if so, the calendar, organisation or the individual whose opinion is accepted by Government in the determination of gazetted holidays regarding Hindu festivals and the reasons therefor ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). The normal practice is to observe holidays on the dates as given in the Indian Ephemeris and Nautical Almanac (Rashtriya Panchang) for the relevant year. When, however the dates given in the Almanac differ from those on which the festivals are actually observed by the people in a particular place, Government of India offices are closed on the latter day. The actual dates on which festivals are to be celebrated in Delhi are determined in consultation with the Delhi Administration who in turn consult the local religious heads.

Sahitya Ratna Graduates

167. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state: (a) whether it is a fact that a decision was taken some time back to award Rs. 170—300 scale to those employees who are Sahitya Ratna Graduates of Hindi Sahitya Sammelan, Prayag ;

(b) if so, whether some Sahitya Ratna Graduates have not been given this grade so far ; and

(c) if so, when, they would be given that grade ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir, it was decided in April, 1966 that persons possessing the qualifications of Sahitya Ratna of the Hindi Sahitya Sammelan, Prayag with Matriculation in English would be eligible for appointment in the scale of pay of Rs. 170—380 (not Rs. 170—300 as stated in the Question) in Higher Secondary Schools in Delhi, subject to their fulfilling other prescribed conditions.

(b) Yes, Sir.

(c) The persons with the qualifications mentioned in (a) above do not become entitled to the scale of Rs. 170—380 automatically. They will be given the scale if and when they are appointed to the posts of Language teachers according to the prescribed recruitment rules.

School of International Studies, New Delhi

168. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Ved Pratap Vedic, a research student of the Indian

School of International Studies, New Delhi had been rusticated from the said institution because he took his pre-research examination through the medium of an Indian language ;

(b) whether it is also a fact that the said student has been asked to refund about Rs. 4,500, the amount he received in the shape of scholarship ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) According to the rules of the School, the medium of the Pre-Research Examination is English. Shri Vedic answered one of the papers in English and was declared to have passed in that paper. In the rest of the papers and the essay prescribed for the Pre-Research Examination, Shri Vedic answered them in Hindi in spite of the clear instructions given to him that the medium to be used for the purpose was English. His papers and essay were, therefore, not evaluated and he was given a chance to appear in the Supplementary Examination. On his declining to appear at the Supplementary Examination, his name was removed from the rolls of the School in December, 1966, since the passing of the Pre-Research Examination is essential for enrolling for the Ph. D. degree.

(b) Yes, Sir.

(c) No action is required on the part of the Government of India.

Expulsion of a Research Scholar of School of International Studies from Seminar

169. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 309 on the 16th November, 1966 and state :

(a) whether a research scholar of the Indian School of International Studies was expelled from the seminar because he had used an Indian language ; and

(b) if so, the nature of the enquiry conducted by Government in this case and the findings thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The student in question was not expelled from the Seminar because he used an Indian language, but himself declared that he would stage a walk-out when he was asked to speak in English in order that all the participants in the Seminar might be able to follow him. When told by the Chairman of the Seminar that he had no objection to his walking out, the student became argumentative and behaved badly. The Chairman of the Seminar then asked him to leave.

(b) Does not arise.

Sub-Post Office at Puran Chhapra (Bihar)

170. **Shri Kamla Mishra Madhukar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken in 1965 for opening a sub-post office with a telephone at Puran Chhapra, District Champaran in Bihar State ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Skri I. K. Gujral) : (a) and (b). No, Sir. The Extra Departmental Branch

Post Office does not fulfil the prescribed standards for being upgraded to a sub office. There is no proposal pending for the provision of a Public Call Office at the EDBO.

Publications brought out by the Ministry of Education

171. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of monthly and fortnightly publications brought out by his Ministry and the price per copy thereof ;

(b) the total number of their subscribers ; and

(c) the total annual expenditure on the pay and allowances of employees and officers engaged for bringing out these publications ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). None in the Ministry of Education proper. The information regarding the subordinate offices is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as possible.

पश्चिम बंगाल के 24 परगना में डाक व्यवस्था

172. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1949-50 से 1965-66 तक पश्चिम बंगाल के 24 परगना में (1) सोनपुर (2) बरनीपुर, (3) डाइमंड हारबर, (4) फल्ता, (5) विष्णुपुर और (6) बजबज थानों के अन्तर्गत डाकघरों से कुल कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) 1949-50 से 1965-66 तक उपर्युक्त क्षेत्र में कितने डाक तथा तार घर थे ; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र में डाक व्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस क्षेत्र के सभी डाकघरों का वार्षिक राजस्व उपलब्ध नहीं है । अत: केवल प्रायोगिक डाकघरों की सूचना इकट्ठी की गई है, स्थायी डाकघरों की नहीं ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) इस क्षेत्र में बेहतर डाक सुविधाएं देने की दृष्टि से 1-4-1950 से 1-4-1966 तक की अवधि में लगभग 82 नये डाकघर खोले गये ।

चम्पाहती डाकघर (पश्चिम बंगाल)

173. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 परगना जिले (पश्चिम बंगाल) में चम्पाहती डाकघर कई दिन तक बन्द रहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने दिन तक तथा इसके क्या कारण थे ; और

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा डाकघर को इस प्रकार बन्द रहने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) तथा (ख). अतिरिक्त विभागीय नायब पोस्टमास्टर के यकायक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तीन दिन तक बन्द रहा ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

डाकघरों में अंशकालिक रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी

174. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में (1) सोनपुर (2) बरनीपुर (3) डाइमंड हारबर (3) फल्ता (5) विष्णुपुर और (6) बजबज थाने के अन्तर्गत डाकघरों तथा टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) पूर्णकालिक और अंशकालिक कार्य करने वाले डाक कर्मचारियों द्वारा पृथक-पृथक कितने डाकघर चलाये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी डाकघरों में पूर्णकालिक कर्मचारी नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) 113 ।

(ख) 8 पूर्णकालिक कर्मचारी
105 अंशकालिक कर्मचारी

(ग) जी नहीं ।

(घ) भाग (ग) में दिये गये उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 2618 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION No. 2618

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल): 30 नवम्बर, 1966 को डा० सारादीश राय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2818 के उत्तर में लोक-सभा में यह बताया गया था कि वीरभूम मंडल में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 9 गांव थे, जिनमें अभी डाकघर नहीं थे । अब यह पता चला है कि 2,000 से अधिक जनसंख्या वाला पापुरी नाम का एक गांव और है, जहां निर्धारित मानकों के अंतर्गत एक डाकघर खोलना न्यायोचित है । फिर भी, मौजूदा आर्थिक संकट के कारण नये डाकघर खोलने पर पाबन्दी लगा दी गई है । अतः पापुरी में डाकघर खोलने के प्रस्ताव में अभी कुछ समय लग जायेगा । प्रश्न का उत्तर कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए—

(क) क्या वीरभूम डिवीजन (पश्चिम बंगाल) में उन सभी गांवों में, जिनकी जनसंख्या 2,000 से अधिक है डाकखाने खोले गये हैं ; और	(क) जी नहीं ।
(ख) यदि नहीं, तो उन गांवों के नाम क्या है ; और	(ख) 1. कनूतिया 2. मेहाग्राम 3. तेंतुलिया 4. अम्भुआ 5. मिटोरा 6. मखलिसपुर 7. दन्तूरा 8. दुमर ग्राम 9. मदीश्वर 10. पापुरी
(ग) उनमें डाकखाने न खोलने के क्या कारण हैं ?	(ग) पापुरी को छोड़कर डाकघर खोलना न्याय संगत नहीं है चूंकि दूरी का मानक पूरा नहीं होता । जैसे ही मौजूदा आर्थिक संकट दूर हो जायेगा पापुरी में डाकघर खोल दिया जाएगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में कुछ लड़कियों के अपहरण के समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Alleged abduction of some girls in Delhi for the last two months."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : समाचार पत्रों में हाल ही में दिल्ली में कुछ लड़कियों के लापता होने के समाचार मिले हैं। जनवरी, फरवरी तथा मार्च (25. 3. 67 तक) के महीनों में 54 लड़कियों तथा महिलाओं के अपहरण के समाचार मिले थे। उनमें से 41 का पता लगाया जा चुका है। शेष लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether lack of coordination between Delhi Administration and the Governments of neighbouring states like Uttar Pradesh is responsible for this large scale abduction. May I also know whether non-cooperation of the Central Government with the administration of Delhi, which is now being run by an opposition party i. e. Jana Sangh, is resulting in proper enquiry not being held in this matter.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार में असहयोग तथा गैर कांग्रेसी प्रशासन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी बातें काफी समय से हो रही हैं और गैर-कांग्रेसी प्रशासन आये हुए केवल दो अथवा तीन सप्ताह ही हुए हैं। ऐसे मामले असाधारण रूप से हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों के बीच किसी प्रकार का तालमेल बनाना होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Actual number of cases of kidnapping are much more than those registered with the police. The police do not have sufficient and proper vehicles, modern apparatus and laboratories. I would like to know the steps being taken by the Home Minister in this connection.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। पुलिस बल के आधुनिकीकरण में कुछ समय लगेगा।

Shri Ram Swaroop Vidyarthi (Delhi-Karol Bagh) : A similar case happened in Sarai-Rohilla and a girl was abducted on 22nd February, 1967. The case was registered only after three days and no action was taken until I drew the attention of D. I. G. Thereafter the girl was recovered next day. I would like to know from the Hon. Minister whether the Government is going to set up a cell for the recovery of abducted girls.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस मामले में सब से महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पुलिस

स्टेशनों को इस बारे में सजग किया जाये कि जब भी वे ऐसे मामले सुनें तो गम्भीरतापूर्वक उनकी जांच अपने हाथ में लेवें। तुरन्त कार्यवाही करने के लिए परिवहन आदि की अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : माता पिता अपनी पुत्रियों का अपहरण सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई सख्त कदम उठाने के लिए कार्यवाही करेगी और ऐसे लोगों को, जिनके विरुद्ध बच्चों के अपहरण के मामले सिद्ध हो चुके हों, प्राण दण्ड देने के मामले पर क्या सरकार विचार करेगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्राण दण्ड के प्रश्न में पड़े बिना मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में विधि के अधीन कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The crimes are inter-linked. Therefore, means should be devised to reinforce the whole police administration. Something should be done with regard to such clauses of Indian Penal Code or Code of Criminal Procedure, like Section 107 and 109, which are used to arrest the bad characters and also enable the police to harass the ordinary public.

यशवन्तराव चह्वाण : इससे अन्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्न भी सम्बन्धित हैं। विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न समाज की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठ भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता।

Shri Balraj Madhok (Delhi South) : Law and order in Delhi is the direct responsibility of the Central Government. The control of police in Delhi has not been vested in the Metropolitan Council. Certain police officers and some politicians are responsible for the increasing law and order problem. Politicians, bad characters and police officers have formed a ring. Nothing can be done until such a ring is broken. Enquiry should be conducted regarding personnel of local councils. An enquiry into the relations of registered goondas with the police should be conducted.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सुझाव तो बहुत ही अच्छे हैं परन्तु कठिनाई पंजी दर्ज गुन्डों के बारे में नहीं बल्कि ऐसे गुन्डों के बारे में है जिनका नाम पंजी में दर्ज नहीं है। चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे गुन्डा हो, चाहे कोई अपराधी हो मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ। नगर में विधि तथा व्यवस्था की जिम्मेवारी निश्चय ही केन्द्रीय सरकार की है परन्तु मैं माननीय सदस्यों से भी सहयोग की प्रार्थना करता हूँ।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : I would like to know the number of abduction cases which have been filed by the police. Should the parents of such girls take it for certain that their daughters will not be traced now and no further action will be taken in these matters.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम ऐसे मामलों को पुनः खुलवायेंगे और पुलिस से कहेंगे कि उन मामलों में जांच की जाये।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक द्वारा क्षमायाचना
APOLOGY BY EDITOR OF "HINDUSTAN TIMES"

अध्यक्ष महोदय : मैंने 27 मार्च को सभा में बताया था कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक से यह पूछा जा रहा है कि उन्हें अपने पत्र में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का भाषण इस प्रकार प्रकाशित करने, कि जिससे श्री जार्ज फर्नेन्डीज पर दोषारोपण होता है, के बारे में क्या कहना है ।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक ने अपने उत्तर में कहा है : "हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं । मैंने इस मामले की जांच की है और मुझे मालूम हुआ है कि कार्यवाही से विशेष संवाददाता द्वारा दिये गये श्रीमती सिन्हा के भाषण का औचित्य प्रमाणित नहीं होता है । जिस संवाददाता ने कार्यवाही का वृत्तान्त दिया है, उन्होंने श्रीमती सिन्हा का पूरा भाषण नहीं दिया ।"

सम्पादक महोदय ने यह कहकर क्षमायाचना की है कि संवाददाता ने उन्हें गलत सुना । यदि सभा सहमत हो तो क्षमायाचना स्वीकार की जा सकती है । परन्तु सम्पादक को यह कहा जाये कि वह अपने क्षमायाचना पत्र को सभा में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के वास्तविक वक्तव्य के साथ अपने समाचार पत्र के अगले अंक के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करें । इसके बाद यह मामला समाप्त कर दिया जायेगा ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re : POINT OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I had given notice of another question of breach of privilege.

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों के बारे में जो निर्णय लिये जा चुके हैं उन पर चर्चा नहीं की जा सकती । अध्यक्ष अपने कक्ष में जो निर्णय करता है यदि उस पर आपत्ति की जाये तो ऐसे निर्णय लेने का कोई लाभ नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Sir, I had already had a talk with you for about half-an-hour on this matter and I had already signed the notice of my privilege motion and placed the letter from Smt. Svetlana that I received yesterday. The letter clearly indicates that the Hon. Minister has knowingly and deliberately misled the House.....

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न को इस समय क्यों उठाना चाहते हैं ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Because I have already advanced my arguments before you in this regard and I can now explain the position before the House as to how it constitutes a breach of privilege.

अध्यक्ष महोदय : यह एक पूर्वोदाहरण बन जायगा । इस तरह हर रोज कोई न कोई सदस्य इसे उठाता रहेगा और इसका कोई अन्त नहीं होगा । और हम सारा दिन अस्वीकृत अथवा

स्थानान्तरित प्रस्तावों पर बहस करते रहेंगे। इस मामले में, इसे स्वीकृत किया जा चुका है और इसके लिए आधा घंटा दिया जा रहा है। अन्तर केवल इतना है कि इसे विशेषाधिकार-प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वह इस समय इस प्रश्न को नहीं उठा सकते। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो हम इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस तरह प्रश्न उठाने से कोई लाभ नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I am raising a point of order. If the Ministers tell a lie every day, naturally the motions of privilege and points of orders will be raised. You may advise the ministers not to make mis-statements. In this case the fact has been deliberately concealed. Smt. Svetlana had sought asylum in India and she was refused it, and she was forced to leave this country.

अध्यक्ष महोदय : इसे इस समय उठाने का कोई लाभ नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि इस प्रश्न को इस ढंग से नहीं उठाया जा सकता। मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है और यह सब कुछ वह उस समय कह सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I would like to invite your attention to Rule 225 and the proviso thereto. The matter, if interpretted in the light of the said proviso, involves four things, viz., mis-statements of facts, private citizen versus administration, Indo-Russia relations and Indo-U.S. relations. I will, therefore, request you to allow us to raise the matter now.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की स्वीकृति दे दी है। इसलिए इस मामले को कुछ समय पश्चात् लिया जा सकता है। इसके लिए मैं समय निर्धारित करूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम आदि की अधिसूचना

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री एम० चन्ना रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 124 की एक प्रति जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शोरे को लघु खनिज घोषित किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-118/67**]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-119/67]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल कोल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-120/67]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-121/67]**

भारतीय तारयंत्र (तीसरा संशोधन) नियम

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 313 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-122/67]**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 1964-65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-123/67]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (18वां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1770 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (19वां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1772 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (20वां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1858 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 166 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1967 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 167 में प्रकाशित हुई थी ।
[**पुस्तकालय में रखे गये देखिये । संख्या एल० टी०**-124/67]

(3) वर्ष 1965-66 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-125/67]

(4) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत कोयला खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2012 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०**-126/67]

(5) बोर्गाफाल लौह-अयस्क खान, गोवा में 2 अगस्त, 1966 को हुई घातक दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-127/67]

(6) दिल्ली दूकान तथा संस्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 47 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली दूकान तथा संस्थापना (संशोधन) नियम, 1966 की

एक प्रति जो दिनांक 19 जनवरी, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 20 (17)/60—एलएबी० में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-128/67]**

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पहला संशोधन) आदेश तथा भारतीय संग्राहलय का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पहला संशोधन) आदेश, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 3 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 764 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-129/67]**

(2) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-130/67]**

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 जुलाई, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (3) एल० आर० ओ०/66 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 30 जून, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (4) एल० आर० ओ०/66 में प्रकाशित हुये थे।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०131/67]

(2) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 479 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का निर्वाचन) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 जनवरी, 1957 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2 (2)/67—एलएसजी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली नगर निगम पार्षदों का निर्वाचन, दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 13 जनवरी, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2 (2)/67-एलएसजी० में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का निर्वाचन) तीसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 6 फरवरी, 1967 के दिल्ली राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2 (2)/67—एलएसजी में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-132/67]

(3) त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 198 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 39 (45)—आरईवी/64 की एक प्रति जो दिनांक 11 जनवरी, 1967 के त्रिपुरा राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-133/67]**

(4) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा तीन की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय वन सेबा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1672 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1966 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1774 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय वन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम 1966 जो दिनांक 7 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1767 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी०-134/67]

———

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

PANEL OF CHAIRMAN

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के उपनियम (एक) के अन्तर्गत मैं सभापति तालिका के लिये निम्नलिखित सदस्यों के नाम-निर्देशित करता हूं :

(1) **डा० द०स० राजू**
(2) **श्री प्र० के० देव**
(3) **श्री के० मनोहरन :**
(4) **श्री च० का० भट्टाचार्य**
(5) **श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों :**
(6) **श्री बलराज मधोक :**

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सैंतीसवाँ, अड़तीसवाँ तथा उन्तालीसवाँ प्रतिवेदन

सचिव : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक सभा) के निम्नलिखित तीन प्रतिवेदन, जो समिति के सभापति द्वारा 3 मार्च, 1967 को अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन ।

(2) पाइराइट्स एण्ड केमीकल्स डिवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन ।

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन ।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, कल उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान प्रतिपक्ष द्वारा सदन त्याग किये जाने के बाद प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो असत्य थीं और जिनसे मेरे प्रति द्वेषभाव उत्पन्न किया गया । उनका यह कहना गलत था कि मैंने उनसे यह कहा था कि प्रतिपक्ष के तीन ऐसे वर्ग हैं जो श्री कुण्टे की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करते हैं और उन्हें उन लोगों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । मैंने वास्तव में उनसे 27 मार्च को 11 बजे यह कहा था कि कांग्रेस को चाहिये कि वह उपाध्यक्ष-पद के लिये किसी को मनोनीत न करें

और मुझे इस सम्बन्ध में सात प्रतिपक्षी दलों ने आपसे बातचीत करने का अधिकार दिया है। उनको पूर्णरूपेण यह विश्वास दिलाया गया था कि इस बारे में प्रतिपक्ष में एकता है और इस बात की फिर से पुष्टि पांच बजे मध्यान्ह पश्चात् की जायेगी। प्रतिपक्ष के हम सभी लोगों द्वारा उनके साथ हुई बातचीत में उन्हें 5 बजे शाम को स्पष्ट रूप से यह बताये जाने के बाद कि श्री कुण्टे को प्रतिपक्ष का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, प्रधान मंत्री का यह कहना कि "कल रात स्थिति बिलकुल ही स्पष्ट नहीं थी" खेदजनक है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री मु० क० चागला की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) विनियम, 1958 को और अधिक कालावधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रस्तुत विधेयक में सशस्त्र बल के अधिकारियों को प्रदत्त विशेष शक्तियों को और अधिक समय तक जारी रखने की व्यवस्था है, जिसका मतलब यह है कि यह विधेयक नागा समस्या का सैनिक हल निकालने के प्रयत्न को जारी रखने का एक उपाय है। इस समस्या का राजनैतिक हल न ढूंढकर सैनिक हल निकालना सरकार के लिये खेदजनक है।

हम सभी लोग जानते हैं कि विद्रोही नागा सरकार के प्रतिनिधियों तथा भारत सरकार के बीच बातचीत का अन्तिम दौर चुनावों के पहले जनवरी के अन्तिम सप्ताह में किसी समय समाप्त हुआ था। उस वार्ता के पश्चात्, समाचार-पत्रों के अनुसार भारत सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों पक्षों में पारस्परिक सन्देह समाप्त होगया है। दूसरी ओर विद्रोही नागाओं की ओर से यह कहा गया कि वे भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर एक अलग तथा पूर्ण स्वतंत्र नागा राज्य बनाने की मांग को नहीं छोड़ेंगे, फिर भी इस सम्बन्ध में किसी समझौते के न हो जाने तक वार्ता जारी रखेंगे। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों पक्ष ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि वे फिर से उपद्रव आरम्भ करने की अपेक्षा शान्तिपूर्ण बातचीत को और आगे जारी रखने के उत्सुक हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार द्वारा नागाओं के प्रति समय-समय पर अपनाई गई / जा रही नीति का खुले आम तथा कड़ा विरोध करते हैं और कुछ लोगों की ऐसी राय है कि युद्ध विराम सन्धि की अवधि के समय-समय पर बढ़ाये जाने के कारण और इस सन्धि की आड़ में विद्रोही नागा लोगों की सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिये सरकार को उनके प्रति कड़ी तथा कठोर नीति अपनाने की आवश्यकता है। हाल के कुछ महीनों में, कुछ छुट-मुट घटनाओं के

अतिरिक्त, ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं कि विद्रोही नागा लोगों के साथ कोई गहरी मुठभेड़ हुई है अथवा वे हथियार प्राप्त करने के लिये चोरी-छिपे पाकिस्तान गये हैं और वहां से हथियार आदि लेकर वापस लौटे हैं। इन बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने अब पाकिस्तानी सहायता पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसलिये आम चुनावों के बाद इस नये वातावरण में सरकार के लिये नागा लोगों के साथ समझौता तथा मित्रता करने के बारे में पहल करने के लिये वर्तमान स्थिति उपयुक्त है। किन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया और मुझे इस बात का भी खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नागा समस्या को हल करने का कोई संकेत नहीं था और न ही उन लोगों से कोई अपील की गई थी। इसके प्रतिकूल, सरकार ने प्रस्तुत विधेयक सामने रखा है जिसमें सशस्त्र सेनाओं को दी गई विशेष शक्ति जारी रखने की व्यवस्था है। इस प्रकार सरकार ने अपने हाथ से उपयुक्त अवसर गवांया है जब कि इस सम्बन्ध में उसके लिये एक बिलकुल नया दृष्टिकोण अपनाना श्रेयस्कर था।

इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार को नागा विद्रोह के मनोवैज्ञानिक मूल को कभी नहीं भूलना चाहिये। उत्तेजना चाहे कितनी ही गंभीर क्यों न हो, यह समझना अत्यावश्यक है कि तथाकथित विद्रोही नागा सरकार नागाओं में निरन्तर व्याप्त असन्तोष की भावना का परिणाम है। नागाओं में निराशा तथा असन्तोष की भावना स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत पहले ही हो गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें वर्षों तक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक अलगाव की स्थिति में रखा था। दुःख की बात तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्षों के बाद भी हम उस अलगाव की स्थिति को समाप्त नहीं कर पाये हैं, इसीलिये आज भी यह समस्या बनी हुई है।

यह समस्या एक अन्य कारण से और भी ज्यादा पेचीदा बन गई है। भारतीय सेना ने उस क्षेत्र में लड़ाई-झगड़े के दौरान तथा विद्रोहियों को दबाने के लिये—जब कि विद्रोही नागा अपनी विरोधी कार्यवाहियों के शिखर पर थे—नागाओं पर ज्यादतियां कीं जिसकी लपेट में बहुत से निर्दोष आदमियों, स्त्रियों, बच्चों तथा गावों के लोगों को अत्याचार सहन करने पड़े और मुसीबतें उठानी पड़ीं। इससे इन लोगों के मन में और ज्यादा कटु भावना पैदा हो गई। भारत सरकार को अब ऐसा विशेष प्रयास करना चाहिये जिससे वे उन ज्यादतियों को भूल जायें और उनके मन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाये। वास्तव में नागा जनता अपने आपको भारत का अभिन्न अंग तब तक नहीं सोच सकती जब तक कि उनमें भावात्मक एकता के भाव पैदा नहीं होंगे और नागा क्षेत्र का केवल विकास करने मात्र से ही उनमें भावात्मक एकता की भावना पैदा नहीं की जा सकती। नागा समस्या की, जो कि मूलतः एक राजनैतिक समस्या है, जानबूझकर उपेक्षा करते रहने से उसका समाधान नहीं निकल सकेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Sir, the problem of Nagaland has to be dealt with from three angles : the people of India, the Hostile Nagas and the Frontier area. From the point of view of the people of India, the use of the armed forces against the people of our own land for internal security purposes is not only bad but harmful also and this tended to

weaken them when fighting foreign aggressors. Therefore, the use of army against the people of the country should always be avoided to the extent possible. Secondly a measure brought forward to provide special or additional powers to an officer must be condemned outright as it encroaches upon our rights and also tends to weaken our country.

Army should not be used for internal security and for suppressing our own people as it weakens its strength against external aggression. Army has also committed excesses on Naga women. From Manipur Jail I sent names of those women to President who were victimised by the Indian Army men. I do agree that the army should have full right to punish the rebel boys and girls and they should punish them, but it should not be forgotten that they are our own men and we should treat them likewise. Those who are not taking part in the rebellion should be treated well. Rebels are not chased in the jungles by the army or the police, when attacked, but on the other hand their revenge is taken upon the common man. Higher wages are being paid to the labourers in view of winning their hearts. Such methods and approaches can bring fruits temporarily but not on permanent basis. Therefore the use of such methods should be stopped.

The British for their own selfish and political motives had disintegrated the country on emotional basis. A faith to the effect that they have come from Southern China and that they have nothing to do with the India have been developed in the minds of Nagas by British. Our Government did not care to change the history to tell them the truth that by all means they are Indians. It is our misfortune that the Government have not cared to bring emotional integration in the country.

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न पश्चात् का कार्यक्रम यह है कि श्री रणजीत सिंह सशस्त्र सेना विधेयक पर बोलेंगे तथा इसके पश्चात् मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे । तत्पश्चात् खाद्य स्थिति पर चर्चा होगी और यदि समय हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी लिया जायगा । श्री रणजीत सिंह के पश्चात् यदि किसी अन्य सदस्य ने बोलना चाहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : यह नवां वर्ष है कि इस अधिनियम की अवधि को बढ़ाया जा रहा है । यह बड़े खेद की बात है कि इस आश्वासन के बावजूद कि इस समस्या को यथाशीघ्र गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया जाये, अभी तक वैदेशिक कार्य मंत्री ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे नागा लोगों में पृथकता की भावना उत्पन्न होती है ।

नागा समस्या जो कि एक चिंगारी के रूप में शुरू हुई थी अब जंगल की आग का रूप धारण कर चुकी और इस पर नियन्त्रण करना कठिन हो रहा है। मुझे इस समस्या के बारे में व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नागा समस्या को न तो पूरी तरह सैनिक समस्या और न ही राजनैतिक समस्या समझती रही है। नागालैंड में एक ग्रुप ऐसा है जो भारत संघ से बाहर अलग राज्य की मांग करता है। कोई भी सरकार इस बात को मान नहीं सकती और न ही ऐसे लोगों से बात चीत कर सकती है परन्तु हमारी सरकार ऐसे लोगों से भी बातचीत कर समस्या को और बढ़ावा दे रही है। इस समस्या की समाप्ति के लिए इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के बजाय हमें सेना की शक्ति बढ़ानी चाहिए। अन्यथा इस समस्या को सैनिक समस्या नहीं समझना चाहिए।

नागा समस्या में विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं। यह समस्या ईसाई प्रचारकों द्वारा उत्पन्न की गई है। यह प्रचारक अभी तक उस क्षेत्र में इधर-उधर घूम रहे हैं परन्तु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। नागालैंड में दो-तिहाई जनता ऐसी है जो विशेष अधिकार तो चाहती है परन्तु केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध विच्छेद नहीं चाहती। परन्तु सरकार शेष एक-तिहाई जनता से, जो कि विद्रोही है, बातचीत करके इस समस्या को बढ़ावा दे रही है।

सरकार इस बात से भी अवगत है कि नागा लोग पाकिस्तान जाते हैं। वहां उनको छापामार लड़ाई में प्रशिक्षण मिलता है और हथियार मिलते हैं। इस प्रकार वे वापिस आकर भारत में विद्रोह को जारी रखते हैं। फिर भी सरकार पाकिस्तान के इस स्पष्टीकरण को कि वह ऐसा नहीं कर रहा है, स्वीकार करती है। हमारे अपने अभिकरण हैं जिनसे हम नागाओं को, जो कि प्रशिक्षण के लिए वहां जाते हैं, रोक सकते हैं। परन्तु हम इन अभिकरणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

इसी क्षेत्र में जापानी छापामारों, जो कि पीछे हटती हुई जापानी सेना से बच गये थे, की समस्या को हल करने के लिये अंग्रेजों ने सोलह डिवीजन सेना तैनात की थी जबकि हमारी सरकार ने एक डिवीजन का कुछ अंश ही वहां पर लगाया है। प्रत्येक सेना में कुछ बुरे तत्व होते हैं। परन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सेना में विश्व के किसी भी देश की सेना के बुरे तत्वों के मुकाबले में बुरे तत्व कम हैं। जो थोड़ी बहुत घटनाएं वहां हुई हैं वे इस कारण कि सेना की टुकड़ियों को अधिकारियों के बिना ही काम करना पड़ता है।

इस विधेयक द्वारा सेना को प्राप्त शक्तियों से कुछ ही अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। सैनिक को केवल आत्म-रक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। परन्तु यह अधिकार तो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। सेना को तो आत्म-रक्षा तथा आक्रमण दोनों प्रकार की स्थिति से निपटना होता है। परन्तु सरकार केवल आत्म-रक्षा के लिए ही कार्यवाही कर रही है। नागालैंड में एक अद्भुत समस्या यह है कि इससे पूर्व कि सैनिक को मालम हो कि उसकी स्थिति क्या है उसको

चारों ओर से घेर लिया जाता है। इसलिए यदि सरकार इस समस्या से सैनिक दृष्टिकोण से निपटना चाहती है तो कम से कम सेना की दो कोर (कारप्स) वहां पर भेजनी चाहिए।

हमारी सरकार ने एक अन्य समस्या उत्पन्न कर दी है और वह यह कि सरकार राष्ट्रवादियों से सख्ती से बर्ताव करती है न कि विद्रोहियों से। रानी गुडेलो को, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा विदेशी प्रचारकों को वहां आने से रोका, जेल में डाल दिया।

नागालैंड की जनसंख्या का एक-तिहाई भाग ईसाई है तथा शेष दो-तिहाई गैर ईसाई हैं जो कि वास्तव में हिन्दू हैं। इन दोनों समुदायों में पादरी मायकल स्काट के आने से पूर्व पूर्ण मित्रता थी। दक्षिणी पश्चिमी में उसकी गतिविधियों से अवगत होते हुए भी हमारी सरकार उसके साथ एक प्रतिष्ठापित व्यक्ति सा सलूक किया। उसने वहां पर दो सम्प्रदायों को जन्म दिया तथा नागाओं की एक अलग सेना बना दी जिसके साथ हम अभी तक बात चीत कर रहे हैं।

इस समस्या के हल यह हैं कि इस समस्या को केवल सैनिक समस्या न समझा जाय परन्तु यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही हो और यदि यह समझा जाय कि सेना की सहायता के बिना इससे निपटा नहीं जा सकता तब जैसा कि मिजो के साथ किया गया है अर्थात् बिखरे हुए नागा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जमा करके उनको भूमि तथा अन्य सुविधाएं दी जायें तथा शेष लोगों को जो बाहर रह जायें विद्रोहियों जैसा व्यवहार किया जाय और उनको पकड़ने के लिए सेना का प्रयोग किया जाय। साथ-साथ सीमा को भी बन्द करने का यत्न करना चाहिए। गद्दार नागाओं के साथ बातचीत बन्द की जानी चाहिए। सीमा पर जनसंख्या रहित क्षेत्र बनाना चाहिए और वहां किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। या तो सेना को पूर्ण शक्तियां दी जानी चाहिए अन्यथा इस समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से निपटाना चाहिए।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : गत दस वर्षों से सरकार नागाओं के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर रही है। सरकार द्वारा नागाओं के विरुद्ध सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग की अवधि बढ़ाने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करना यह सिद्ध करता है कि सरकार न केवल नागाओं से बल्कि सभी आदिम जातियों की सयस्याओं से निपटने में असफल रही है।

सरकार देश की आदिम जातियों के प्रति संरक्षण का रवैया अपनाती रही है जिसका वे लोग विरोध करते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1952 में नागाओं ने भारत संघ के अन्दर एक अलग राज्य की मांग की थी परन्तु सरकार ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। परन्तु बाद में जब उन्होंने स्वतन्त्र राज्य के लिए विद्रोह किया तो सरकार ने स्थिति पर गम्भीरता से विचार किये बिना वहां पर सेना भेज दी और उनको दबाने का यत्न किया। परन्तु सेना भी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई और बड़े लम्बे समय तक सेना तथा नागाओं में संघर्ष चलता रहा। 1961 अथवा 1962 में नागाओं की पहली मांग अर्थात् नागाओं के लिए पृथक राज्य नागालैंड बना दिया गया। ऐसा करते समय भी सरकार ने एक गलती की और

वह यह कि सरकार ने उन लोगों से बातचीत की जो कि उसके पक्ष में थे परन्तु जिनको नागा लोग देशद्रोही समझते थे।

बहुत से नागा लोग नागालैण्ड से मिलते क्षेत्रों अर्थात् मणीपुर आदि क्षेत्रों में रहते हैं। अलग राज्य बनाते समय सरकार ने सभी नागाओं को एक राज्य में बसाने का यत्न नहीं किया। फलस्वरूप नागाओं तथा अन्य लोगों में तनाव बढ़ता रहा है। नागा, मिजो तथा अन्य आदिम जातियां हमारी सीमाओं पर रहती हैं अतः देश की सुरक्षा के हित में भी यह आवश्यक है कि उनको संतुष्ट रखा जाये। परन्तु सरकार की गलत नीति के कारण उन सब में असंतोष फैला हुआ है।

यह उपयुक्त समय है जबकि सरकार की सभी जनजातियों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सैनिक कार्यवाही समस्या का कोई हल नहीं है। इसका केवलमात्र हल यही है कि बातचीत द्वारा नागाओं से कोई समझौता किया जाय तथा उनको संतुष्ट किया जाय।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : नागाओं को हम अन्य राज्यों के लोगों की तरह अपना सगा सम्बन्धी समझते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी मानता हूं कि नागा समस्या को सैनिक आधार पर नहीं समझाया जा सकता। हम नागाओं के साथ समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के साथ उनकी पांच बार बातचीत हो चुकी है। मुझे पूरी आशा है कि समझौता हो जायेगा। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नागालैंड को भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात में मुझसे सहमत है।

भारत में कई संस्कृतियां आईं परन्तु अन्ततः वे सब भारतीय संस्कृति में मिल गईं। यदि नागाओं की अलग संस्कृति है तो उसको भारतीय संस्कृति में मिलाना है।

जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने इतिहास की पुस्तकों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखवाने का प्रयास किया था। ऐसी दो पुस्तकें एन्सियेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री छप चुकी है और ऐसी ही और भी पुस्तकें तैयार होंगी जो हमारे विद्यार्थियों को सही स्थिति बतायेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि नागालैंड के प्रश्न को राष्ट्रपति के भाषण में सम्मिलित नहीं किया गया। वास्तव में राष्ट्रपति के अभिभाषण को अधिक विस्तृत न करने के विचार से ऐसे कई मामले उसमें सम्मिलित नहीं किये गये। नागालैंड का मामला विदेश मंत्रालय में चलने का कारण यह है कि जुलाई, 1960 में नागा पीपल्स कन्वैनशन के नेताओं का एक शिष्ट-मंडल प्रधानमंत्री से मिला था और एक 16 सूत्री ज्ञापन उन्हें दिया था। उसी में नागालैंड का मामला विदेश मंत्रालय में रखने पर जोर दिया गया था।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : यह इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री नेहरू के पास था।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : नागालैंड के लोगों का श्री नेहरू पर विश्वास था इसलिए यह मामला विदेश मंत्रालय में चलता रहा । परन्तु अब यह मामला गृह मंत्रालय को हस्तान्तरित कर देना चाहिए । क्योंकि वर्तमान स्थिति से ऐसा आभास होता है कि नागालैंड राज्य भारत से बाहर का कोई भाग है ।

श्री मु० क० चागला : यह बात ठीक है परन्तु यह केवल एक कारण है । अप्रैल, 1966 में नागालैंड सरकार के विचार पूछे गये तो उनका विचार भी यही था कि वर्तमान स्थिति को बदलना नहीं चाहिए । हम नागालैंड की सरकार की सलाह पर ही इस मामले को विदेश मंत्रालय में रखे हुए हैं ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : उन्होंने इसके कोई कारण भी बताये थे ?

श्री मु० क० चागला : सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि इस हस्तान्तरण से नागालैंड में राजनीतिक प्रतिक्रिया होने की आशंका है । दूसरा कारण यह बताया गया कि विदेश मंत्रालय में तो केवल राजनैतिक स्थिति तथा कानून और व्यवस्था के मामलों पर तो कार्यवाही की जाती है और मामलों पर तो अलग-अलग मंत्रालयों में कार्यवाही होती है, नागालैन्ड सरकार का यह विचार है कि क्योंकि उनके राज्य की कुछ अपनी विशेष समस्याएं हैं जिन पर विदेश मंत्रालय में ही कार्यवाही की जानी चाहिए । जैसे ही नागालैंड हमें हस्तान्तररण के लिए परामर्श देगा हम इसे गृह मंत्रालय को हस्तान्तरित कर देंगे ।

हम नागालैंड के निवासियों को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे उनको यह प्रतीत हो कि वे राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं, भावनात्मक दृष्टि से भी भारत का ही अविभाज्य अंग हैं । इस दृष्टि से हम वहां के विद्यार्थियों को अपने स्कूलों आदि में आने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसीलिए किए जाते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात का ध्यान नहीं परन्तु मैं शिक्षा मंत्रालय तक इस सुझाव को भेज दूंगा ।

पाकिस्तान और चीन द्वारा अब भी घुसपैठ जारी है । बर्मा सरकार ने इस मामले में हमारी पर्याप्त सहायता की है । परन्तु इस क्षेत्र में ऐसे भूखण्ड हैं कि इस घुसपैठ को रोका नहीं जा सकता । विद्रोही नागा चीन और पाकिस्तान जाकर और प्रशिक्षण प्राप्त कर फिर भारत में लौट आते हैं और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां करते हैं । हमने इस प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिए बर्मा सरकार से भी बातचीत की है । उनका हमारे साथ पूरा सहयोग है परन्तु यह क्षेत्र ही कुछ ऐसा है कि जंगलों में से निकल कर चार या पांच व्यक्ति बर्मा के मार्ग से पाकिस्तान की ओर निकल जाते हैं जिन्हें रोकना असम्भव है । समस्त सीमा को बन्द करना असंभव कार्य है । हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान इन विद्रोहियों को उत्तेजित करता है और हमने इस पर आपत्ति भी की है परन्तु पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है ।

कुछ सदस्यों ने नागालैंड में विदेशी धर्म प्रचारकों के बारे में कुछ कहा था। आजकल वहां कोई विदेशी धर्म प्रचारक संस्था नहीं है। इसलिए यह बात गलत है कि वे नागा निवासियों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। यह बात भी गलत है कि रानी गुईडालो को हमने जेल में बन्द किया है। उन्हें तो हम 200 रुपया पेंशन देते रहे और वह वर्ष 1960 से छिपी हुई थीं। पिछले वर्ष ही वह सामने आईं और उनको उनके साथियों सहित अब फिर बसा दिया गया है।

श्री रणजीत सिंह : परन्तु समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि रानी गुइडालो के चलने फिरने पर पाबन्दी लगा दी गई है।

श्री मु० क० चागला : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब प्रश्न यह कि इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या है। नागालैंड की स्थिति अब धीरे-धीरे शान्तिपूर्ण होती जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : आपने उस क्षेत्र में रात को गाड़ियां चलाना तो बन्द कर दिया।

श्री मु० क० चागला : हम इसीलिए तो यह कानून बना रहे हैं। मूल अधिनियम में केवल राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां दी गई हैं कि वह राज्य में किसी गड़बड़ी वाले क्षेत्र को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित कर सकता है। परन्तु अब सभा से हम यह चाहते हैं कि हमें शक्ति दी जाय ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर नागालैंड के किसी क्षेत्रविशेष को या समस्त नागालैंड को गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित कर सकें। ताकि यदि राजनिष्ठ नागा लोगों पर कोई आक्रमण करे और वहां की पुलिस उस स्थिति का सामना न कर सके तो आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इस विचार से यह विधेयक बिल्कुल विवादास्पद नहीं है।

मैं चाहता हूं कि वहां पर शान्ति बनी रहे और हम शान्तिपूर्ण समाधान के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। सेना द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। परन्तु जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न हो जाता है तब हमें कठोर से कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं सभा से यह कहना चाहता हूं कि वह राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्रयोग करने की आज्ञा दे ताकि वह समस्त नागालैंड अथवा उसके किसी भाग में गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित कर सके और तब ये उपबन्ध लागू हो जायेंगे।

श्री रणजीत सिंह : क्या हम नागा विद्यार्थियों को दिल्ली के स्कूलों में बुलाकर उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देकर भारतीय संस्कृति में ढाल सकते हैं? दूसरी बात यह है कि अभी यह कहा गया था कि भारत में केवल चार विदेशी धर्म प्रचार संस्थाएं रह गई हैं परन्तु यहां तो नागालैंड में गड़बड़ करने के लिए माईकल स्काट अकेले ही पर्याप्त थे। क्या उन संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है या नहीं?

रानी गुईडालो को पेंशन दिया जाना तो उचित है परन्तु उन पर निगरानी रखना अनुचित है।

श्री मु० क० चागला : हम इस बात के लिए पूर्ण रूप में सतर्क हैं कि कोई भी विदेशी प्रभाव हमारे राष्ट्र हित को हानि न पहुंचाए। हम नागालैन्ड में विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की आज्ञा नहीं देंगे।

श्री हेम बरुआ : कुछ नागा विद्रोही श्री फिजो से, जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता अपना ली है, पत्रव्यवहार करते हैं और उनसे राजनीतिक मामलों पर परामर्श लेते हैं। सरकार इस पत्र-व्यवहार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : यह ठीक है कि श्री फिजो भारतीय नागरिक नहीं हैं परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ विद्रोही नागा उन्हें अपना नेता मानते हैं।

श्री हेम बरुआ : परन्तु आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। प्रधान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि वे श्री फिजो से परामर्श करना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

श्री मु० क० चागला : प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि वे इस समस्या के समाधान के लिए श्री फिजो से परामर्श करना चाहें तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे परन्तु उनको वहां जाने के लिए भारतीय पारपत्र लेना होगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want to know whether every Indian citizens is entitled to visit Naga Land when ban on entry into Naga Land has been lifted ?

Shri M. K. Chagla : Every Indian is free to go to Naga Land.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

" कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) विनियम, 1958 को और अधिक कालावधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

" कि खण्ड 1 से 3, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 से 3 तक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 1 to 3, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री मु० क० चागला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

देश में अनाज की स्थिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION Re : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं नियम 56 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ । एक सप्ताह पूर्व मैंने खाद्य स्थिति के बारे में एक 'काम रोको' प्रस्ताव रखा था । बाद में यही प्रश्न 'ध्यान दिलाने वाली सूचना' द्वारा भी सभा में उठाया गया था । अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को या तो स्वीकार करना चाहिए था अथवा अस्वीकार करना था । नियम 60 के अनुसार यदि अध्यक्ष महोदय 'काम रोको' प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उसके कारण बताने चाहिए । परन्तु उक्त दोनों विकल्पों में से किसी पर कार्यवाही नहीं की गई । मैंने कल भी पूछा था कि क्या 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' में उल्लिखित सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा । तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा । परन्तु आज खाद्य मंत्री के प्रस्ताव को पुर:स्थापित किया गया है । मैं यह निवेदन करता हूँ कि सभा के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के अनुसार सब सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : मरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदस्य ने अध्यक्ष महोदय के निर्णय के विरुद्ध आक्षेप लगाए हैं जो अनुचित हैं । अत: इन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं । उन्होंने केवल उन बातों को दोहराया है जो कल सभा में हुई थीं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मुझे यह कहने का अधिकार है कि अध्यक्ष महोदय ने सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार कार्य न करके इन नियमों का उल्लंघन किया है । कांग्रेस के इन सदस्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरे शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए । उनको ऐसा कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (नन्दयाल) : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं अनावश्यक तौर पर हस्तक्षेप कर रहा हूँ । यह फैसला करना पीठासीन व्यक्ति का काम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि पहले इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव था तथा उसके पश्चात ध्यान दिलाने बाली सूचना थी ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : स्थगन प्रस्ताव पर पहले व्यवस्था दी गई थी और उसके एक सप्ताह बाद ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। जहां तक ध्यान दिलाने वाली सूचना का सम्बन्ध है उसमें कई नाम थे और सबको अवसर देना सम्भव नहीं था इसलिए यह फैसला किया गया कि खाद्य स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए और माननीय मंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए दो घंटे दिये जायेंगे। यह कल सभा ने स्वीकार किया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would request that maximum number of Members should be provided an opportunity to speak. I would also request the leaders of the various party not to take more than four or five minutes.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : प्रत्येक राज्य को अवसर दिया जाना चाहिए।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would request you to give your ruling on the point raised by Shri N. Sreekanatan Nair.

उपाध्यक्ष महोदय : जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था तो सभा के समक्ष कुछ कार्य नहीं था। मैंने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि जिन सदस्यों ने ध्यान दिलाने वाली सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं उनको जहां तक सम्भव हो, अवसर दिया जाये। यह भी सुझाव आया है कि प्रत्येक सदस्य को पांच अथवा सात मिनट का समय दिया जाये। सभी ओर से यह सुझाव भी आया है कि चर्चा का समय पांच घंटे कर दिया जाये। इसलिए यह चर्चा चार अथवा पांच घंटे चलेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Ujjain) : Members from the Congress Party should be allotted five minutes and fifteen minutes should be given to the opposition Member because a good number of members want to speak from this side.

उपाध्यक्ष महोदय : खाद्य समस्या कोई दल समस्या नहीं है। इसलिए दल के आधार पर समय नहीं दिया जा सकता।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : माननीय मंत्री द्वारा दी गई प्रस्ताव की सूचना सामान्य शब्दों में है कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये। क्या हम स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है। मैं उनको कुछ समय दूंगा। यदि स्थानापन्न प्रस्ताव पांच बजे तक दिये जाते हैं तो ठीक होगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि देश में अनाज की स्थिति के बारे में विचार किया जाये।"

देश में खाद्य की सामान्य स्थिति के बारे में सभापटल पर एक प्रतिवेदन रखा गया है। ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में एक विवरण भी सभापटल पर रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई पूर्व) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि दस मिनट से अधिक समय न लें। दल के नेताओं के लिये पन्द्रह मिनट का समय है।

श्री के० एम० कौशिक (चन्दा) : देश में बिगड़ती हुई खाद्य स्थिति को यहां पर पुनः बताने के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह बिहार की स्थिति के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये बड़े-बड़े फोटो देखें जिनमें लोगों को पेड़ों के पत्तों तथा पेड़ों की छालों पर निर्वाह करते दिखाया गया है। दूसरे वहाँ के राज्यपाल ने कहा है कि वर्तमान स्थिति में एक साधारण व्यक्ति से एक कैदी अच्छा है क्योंकि उसे कम से कम दो समय का भोजन तो मिलता है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि देश में खाद्य स्थिति विषमरूप धारण कर गई है। सारा दोष सूखे पर नहीं डाला जा सकता। यह ठीक है कि ऐसी स्थिति कुछ हद तक सूखे के कारण भी हुई है परन्तु मुख्यरूप से इस स्थिति के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं। गत बीस वर्षों में सरकार ने इस्पात तथा मशीनरी की तुलना में कृषि की उपेक्षा की है। कृषि के लिये जितना धन दिया जाना चाहिये था उतना दिया नहीं गया है। सरकार यह भूल गई कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कि इस देश की 60 प्रतिशत जनता कृषि पर ही निर्भर करती है। इसलिये सरकार पर यह अनिवार्य था कि वह कृषि के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती परन्तु पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसी गलती न हो। पंडित नेहरू द्वारा बताए गये एक जर्मन विशेषज्ञ ने देश की यात्रा करने के पश्चात कहा था कि भारत ने कृषि की उपेक्षा कर एक घोर भूल की है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये ताकि कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो सके।

खेती सम्बन्धी बहुत से कानून केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं। परन्तु उनका अधिक लाभ नहीं हुआ है। इनमें से कुछ कानून आजकल के कठिन समय में कृषकों के लिए सहायक नहीं हैं। ऐसा ही एक कानून बम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि अधिनियम है जिसमें यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर भूमि देता है तो

उक्त कानून के अनुसार वह भूमि पट्टाधारी की हो जायेगी। ऐसे कानूनों को निलम्बित करने के लिए सरकार को छानबीन करनी चाहिए। इस समय कृषक प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित हैं और धन की प्राप्ति के लिए अपनी भूमि को पट्टे पर दे देते हैं।

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आजकल सभी प्रकार की घटनाओं के लिए बीमे की व्यवस्था है। जहां तक श्रम बीमे की भी व्यवस्था है। अतः किसानों की प्रकृति के प्रकोप से जो हानि होती है उसका मुआवजा दिलाने के लिए फसल बीमा योजना भी बनाई जानी चाहिये। कांग्रेस सरकार सदा किसानों के मतों से ही बहुमत प्राप्त करती रही है। इस बार उनके बहुमत में जो कमी हुई है वह इन्हीं कठिनाइयों के कारण हुई है। अतः सरकार को चाहिए कि वह किसानों को अधिक सुविधायें तथा प्रोत्साहन दे ताकि देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Although, the situation in Bihar is extremely serious yet it is a fact that whole country is passing through a difficult period. There is no provision for the irrigation of the major part of the land in my own district. There are only 125 tube-wells in the whole district. The charges for the water supplied by these tube-wells are 23 paise whereas in other parts of the country these are 7 or 8 paise. There is only one canal in an area of 1.25 lakh acres. There is no provision of wells. Government have not cared to dig wells during the last twenty years. As the Hon. Minister Shri Jagjiwan Ram has stated only twenty five rupees have been given to the farmers for digging of wells which is quite insufficient amount. Therefore the farmers are in great difficulty. The factory owners have not paid the farmers their dues. The payment of the Sugar-cane should be expedited.

The distribution of the foodgrain is being done on political basis. That is not being done properly. Supplies of foodgrains from Centre should be distributed under the supervision of the officers who are directly under Central Government. Distribution should be done fairly and properly.

Due to drought farmer could not grow anything and thus facing a famine and starvation. The situation in North Bihar is so serious that people have nothing to eat. Other crops such mango and potato have also failed and it will take some time to grow sweet potatoes. Thus famine conditions prevail there but the Government have not declared it a famine area. Some arrangement should also be made for the intervening period so that nobody dies with starvation.

Interest should not be charged on loans given to the farmers during the present difficult period. The arrangements for the fair distribution of fertilizers should be made. All the districts should get some share. Fertilizers should not be distributed on political consideration. So I conclude with the request that action should be taken to provide immediate relief to the farmers.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : The food situation in our country is deteriorating day by day. Today we are faced with famine conditions although it is said that India is primarily an agricultural country.

We should try to understand the cause of the deterioration in food position in India inspite of the assurance given in 1954 by Shri Jawaharlal Nehru that India would not only become self-reliant in food after completion of First Five Year Plan but would even export it. This

problem cannot be treated in isolation. Politics is connected with this problem. By the formation of Pakistan not only we have been deprived large areas of productive land but we got refugees also to feed. We have got refugees from Ceylon and Burma too.

Secondly this invidious distinction of a surplus state and a deficit state must go. So many times there was a demand at All-India Congress Committee sessions that the food zones in the country must go, yet nothing has been done to remove them. Unless and until this is done one cannot exactly know the increase in foodgrains. About 10 per cent of the grains is destroyed in the godowns and in transit, so if we have proper arrangements for the storage of food and then we distribute it equally, I can vouchsafe that no one will die of starvation in India.

Government has always stated that the food problem is due to increase in population. But this theory is falsified on the ground that an Indian today does not consume even one-fourth of what he consumed forty years ago. I therefore request the Government to frame a national policy on food. But I am sorry to say that the present Government is being tossed between the right and left. We should now give up this "left" and "right". Let us now do 'about-turn' and face the problem straight.

We should stop talking in terms of surplus state and deficit state. We should distribute equally amongst the people. The disparity in distribution should go. No state should think then that the centre is discriminating between states.

We should develop better relations with those countries who supply us food. For example we obtain rice from Thailand and the countries of east, we should be friendly to them.

We should give preference to the cultivation of foodgrains in India. We can afford import of sugar and cigarettes from abroad. They are available on cheap rates.

We should bring under plough all our cultivable land. So many suggestions relating to land reforms have come like Bhoodan, Gramdan, Van Mahotsav etc. but we have failed to implement any one of them.

U. P. and Bihar should be declared famine areas. A parliamentary consisting of members from all parties should visit that area. They should give assurance to the people there that their problem is the problem of the people of India and they will try to solve it.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Mr. Deputy Speaker, it appears that Shri Jagjiwan Ram has spoken in the language of a law minister. I may tell you that in Bihar from one thousand to two thousand people are dying either due to starvation or due to small-pox. The world small-pox organisation should be informed to quickly put an end to it here.

In foodgrains the chain between prices and production has broken down. The agricultural production has been going from bad to worse because on the one hand the bank rate of interest has gone up from 12 to 15 per cent. and on the other hand there is inflation and prices are going up.

[श्री च० का० भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

So these appear to be contradictory. If I had been in the Government I would have offered Prime Ministership to the person who would have a solution to this problem.

Secondly we should make all efforts to increase food production. We should utilise our machines, our people, All-India Radio and even students to that end. For that we should have people who may not be content with ministership but be able to change the entire structure of the country. It appears that I have annoyed the Prime Minister. When a member is speaking, the Prime Minister should not go out of the House like this. You should ask her as to why she has gone out..... Why has she gone out? They are impertinent people.

सभापति महोदय: सदस्य महोदय को तसल्ली होनी चाहिये कि खाद्य मंत्री तो यहां बैठे हुए हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Though I may be an ordinary member but will she insult us like this? She should be called back. She should leave the House only when the speech is finished.

चौ० रणधीर सिंह (रोहतक): यह आवश्यक नहीं कि प्रधान मंत्री यहां बैठी रहें।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh): Sir; Dr. Lohia while speaking has uttered unparliamentary word. He should be asked to withdraw it.

Dr. Ram Manohar Lohia: I did not use those words for an individual. I used it in a general way. I called them impudent because they were behaving in an impudent manner. Either the Prime Minister should not have come to the chamber or else she should not go out of the chamber when any member is speaking. I am not withdrawing my words.

सभापति महोदय: यदि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये था तो वे शब्द नहीं वापिस लेने चाहिये। चाहे वह किसी एक व्यक्ति के लिए बोले गये अथवा सामान्य रूप से बोले गये। रहा प्रधान मंत्री के यहां बैठने का प्रश्न तो बात यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें यहां बैठी रहने को कहा जाये। उन्हें और भी काम होते हैं। जब तक खाद्य मंत्री यहां बैठे हैं, वह सरकार की ओर से उपस्थित हैं। डा० लोहिया ने बंगला में कहा है कि उन्होंने वे शब्द यहां किसी व्यक्ति या समूह के लिये प्रयोग नहीं किये।

Dr. Ram Manohar Lohia: I am talking not only of the Central Ministers but of State Ministers too that they want to stick to their offices. They do not want to bring about fundamental changes. Unless that awakening is there of growing more food and distribute it equally and supply it to the general public, this problem will not be solved. I have told you that people are dying of starvation. In the next two months the position will still go worse. Hence grow more food by all means.

I may say about future also. The next two years will be spent on finishing of Congress Governments and then the next three to four years in the turmoil and after that we will be able to solve our problem. To solve this problem all our energies shouid be directed towards growing more food.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar): I want to ask of Dr. Lohia whether his suggestion for the Prime Minister to keep sitting in the House when some one or other member is speaking is practicable?

Dr. Ram Manohar Lohia: I am talking only for the Prime Minister to do so and not for other members.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रधान मंत्री ने सन्देश भेजा है कि उन्हें 4 बजे केरल के मुख्य मंत्री से मिलना था, इसलिए वह सदन में नहीं बैठी रह सकीं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Please convey our message also to the Prime Minister to learn fundamental etiquettes.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Mr. Deputy-Speaker, the states which are famine-stricken are Bengal, Bihar, Orissa, Madras, U. P., Kerala and Rajasthan. Even Maharashtra is also included in that. During the last two years the condition in Maharashtra has deteriorated due to unprecedented drought in that area and that centre has not supplied food to them in adequate quantity. The quota of foodgrains to be supplied to Maharashtra has been reduced such since September, 1966 which has affected rationing there adversely.

In Maharashtra the difficult areas in regard to food are Bombay, Poona, Sholapur and Nagpur. There is statutory rationing in these areas. The total requirement of rice and non-rice sereals in Maharashtra is 8.62 lakh tons. So far as the non-rationing areas are concerned i.e. villages, their demand is .5 lakh tons per month. So the total requirement of rationing and non-rationing areas in Maharashtra is 13.14 lakh tons per month.

So far as supply position in Maharashtra is concerned it was 16 lakh tons before zonal restrictions were imposed that is between 1960 and 1963.

Wherever there is Communistic method of farming the position of agriculture is not good whether it is Russia or some other country. Wherever the farmer has been given incentive the position of agriculture has improved.

In regard to distribution the wheat after procurement is sold at a high margin of profit.

There should be national policy in food and there should be state trading in food in every state and there should be national Food Budget.

In monopoly procurement the surplus food of a family should be procured, otherwise this policy will fail.

The Government should now take steps for crop insurance as indicated in President's Address.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मंत्री के वक्तव्य से यह आशा थी कि जिन राज्यों में अन्न की कमी है वहां अन्न मिलेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

यदि सूखा की स्थिति आगे भी रही तो सरकार अगले दो वर्षों में क्या करने वाली है ? बिहार में पानी बहुत निकट है । वहां सरकार का कर्तव्य है कि भूमि से पानी प्राप्त करे । उन्हें सूखा पर बात नहीं टालनी चाहिये ।

40 प्रतिशत नलकूप बेकार पड़े हैं । 60 प्रतिशत को बिजली नहीं मिल रही । इसलिये सूखा के नाम से टाला नहीं जा सकता ।

यह कहना गलत है कि जितना अन्न प्राप्त किया जाता है उसे बांट दिया जाता है । केरल में ऐसा नहीं किया गया ।

मंत्री के वक्तव्य के अनुसार केरल को आन्ध्र प्रदेश से लगातार 1,500 टन प्रतिदिन अन्न मिल रहा है। यह भी कहा गया कि वहां मांग 70,000 टन चावल तथा 20,000 टन गेहूं की आवश्यकता प्रतिमास है। फिर 25,000 टन चावल कहां से प्राप्त होगा ?

केरल के मुख्य मंत्री तमिलनाड, मैसूर तथा आन्ध्र गये परन्तु किसी ने कहा कि वहां कमी है और किसी ने कुछ और कहा। केन्द्र का अनुमान है कि आन्ध्र के पास 9 से 10 लाख टन अन्न है परन्तु वहां की सरकार कहती है कि यह अनुमान गलत है। ऐसा केन्द्र कहता है कि तमिलनाड में संतुलित अन्न होता है परन्तु वहां की सरकार कहती है कि वे अन्य राज्यों से अन्न मंगा रहे हैं।

जहां तक आन्ध्र, मैसूर और तमिलनाड में खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार का अंनुमान इन राज्यों के कथन से भिन्न है। फिर भी केन्द्र के अनुमान के आधार पर ही, जिसे इन राज्यों ने स्वीकार नहीं किया है, केरल से यह कहा गया है कि वह मैसूर, आन्ध्र और तमिलनाड से चावल की सहायता ले। फिर केरल की हदबन्दी कर दी गई है, यदि किसी घाटे वाले राज्य की हदबन्दी की जाती है, तो उस राज्य के लिये खाद्यान्नों की व्यवस्था करना केन्द्र का उत्तर-दायित्व हो जाता है क्योंकि केवल केन्द्र ही इस उत्तरदायित्व को निभा भी सकता है। किन्तु जब श्री नम्बूद्रिपाद ने केन्द्र से तुरन्त सहायता मांगी, तो केन्द्र से सहायता न मिलने पर वह अनाज प्राप्त करने के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में गये। कालीकट तथा कन्ननूर में पिछले दो सप्ताह में कोई राशन नहीं दिया गया जबकि केरल के अन्य जिलों में हफ्ते में दो बार राशन दिया जाता है। केरल में लोगों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। भूतपूर्व खाद्यमंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम् ने निश्चित रूप से इस बात को माना था चूंकि केरल भारत में सबसे अधिक घाटे वाला राज्य है, इसलिये इस राज्य को खाद्यान्न भेजना केन्द्र का उत्तरदायित्व है। अत: केन्द्र को अपना उत्तरदायित्व निभाना आवश्यक है।

यद्यपि केरल में पैदावार बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि खेती-योग्य सभी भूमि में खेती की जाती है। तथापि सिंचाई की सुविधाएं कुछ और बढ़ाई जाने पर वहां पैदावार थोड़ी बहुत और बढ़ाई जा सकती है। अच्छी खाद, अच्छे बीज तथा खेती के और अच्छे तरीके अपनाये जाने पर भी पैदावार कुछ ही हद तक बढ़ सकती है। फिर भी, खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में केरल का आत्म-निर्भर होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिये भविष्य में केन्द्र को ही केरल की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। केरल व्यापारिक फसलों के माध्यम से केन्द्र को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे रहा है यदि केन्द्र केरल के लिये खाद्यान्नों की व्यवस्था करने के उत्तरदायित्व को निभाने की स्थिति में नहीं है, तो वहां की व्यापारिक फसलों से प्राप्त होने वाली कम से कम आधी-आधी विदेशी मुद्रा केरल को दी जाने चाहिये।

मुझे यह कहने में गर्व है कि केरल समूचे भारत के विकास के लिये करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा दे रहा है जिसका उपयोग सभी राज्य कर रहे हैं। किन्तु इस राशि में से केरल को थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध हैं, राज सहायता बन्द कर दी गई है। सरकार यह बताये कि केरल में गैर-सरकारी कांग्रेस बनने पर राज सहायता क्यों बन्द कर दी गई ? जिस दिन इस नई सरकार के हाथ में सत्ता आई उसी दिन उसे इस आशय का एक नोटिस दिया गया कि वह चावल का भाव बढ़ावे और राज सहायता बन्द कर दी गई है। यह भाव पहली ही बार नहीं बढ़ाये गये हैं। पिछले दो वर्षों में चार बार भाव बढ़ाये गये हैं और भाव दुगने हो गये हैं। इसलिये लोगों के लिये अपना राशन खरीदना भी असंभव हो गया है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, या तो भाव घटाये जाने चाहिये या फिर राज सहायता बन्द नहीं की जानी चाहिये। केरल में गरीबी के साथ बेरोजगारी सबसे अधिक है। यदि भाव घटाया नहीं जा सकता तो उसे बढ़ाया भी नहीं जाना चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि केरल के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई के मामले में केन्द्र को टालबराई न करके सीधा उत्तरदायित्व ग्रहण करना आवश्यक है।

जहां तक केरल में खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, वहां की जनता भूख से मरना नहीं चाहती, वह केन्द्र की वर्तमान खाद्य नीति में परिवर्तन लाने के लिये आखिर दम तक लड़ेगी और यह आश्वासन लेकर रहेगी कि उसे भरपेट भोजन देने की जिम्मेदारी केन्द्र पर है। यदि सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया, तो हम, यदि आवश्यक हुआ, वहां के लोगों को सरकार की नीति के विरुद्ध लड़ने के लिये संगठित करेंगे जिसके बहुत गम्भीर परिणाम निकलेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, the country is facing a grave food situation and no solution appears to be in the offing. The statements, speeches and conferences will not solve the problem. It is only the farmer who can help the country in tiding over the food crisis. He could be enthused to put in his best provided the Government prepared itself to give him due respect and requisite facilities to increase agricultural production.

Like Industrial Finance Corporation which has been set up for the benefit of Industries, Agricultural Finance Corporation should also be set up to provide credit to farmers. The farmer should be provided credit at a very low rate of interest with terms to repay it in easy instalments. The other fundamental needs of the farmer are electricity and water. If these two essential requirements are met adequately, agricultural production will go up tremendously. But the Government is not paying adequate attention towards the needs of the farmer.

In Haryana there is a lot of cultivable wasteland. There is also the problem of water-logging, only one-third of the total land is brought under cultivation there. If the waste-land is reclaimed and the problem of water-logging is solved, I can assure that Haryana will be in a position to help the country to a great extent in tackling the food problem. The canal in the Rohtak area should be made pacca. Adequate flood control measures should be taken to save Haryana from the divastation caused by Drain No. 8.

So far as the question of pleasing the farmer is concerned, it is a good move to exempt the small cultivator from the payment of land revenue. Land revenue should be charged on the pattern of Income-Tax and the existing pattern should be abolished. At the same time farmers should be given adequate encouragement for reclaiming land. Incentive and encouragement can be given in the form of grants etc. The farmers should be paid remunerative price for his produce. In addition to this, agricultural inputs should also be made available to him at

lower prices. Arrangements should be made to see that adequate marketing facilities are given to the farmer so that he is not exploited by the middleman who makes a lot of money for himself. Electricity should be provided to farmers at cheap rates. Betterment levy which is hitting the farmers very hard particularly in Haryana, should be abolished. Crores of rupees are collected and realised in the form of betterment levy. In addition to this, the farmer has pay so many other taxes also. They are really in a miserable plight.

Ceiling of land holdings should be fixed throughout the country and eviction of tenents stopped. A fairly good amounts of various crops is damaged by diseases, and the country has to suffer every year a heavy damage thus caused. Every year new diseases are developing. Therefore research should be conducted to protect crops from diseases.

In the interest of the people and the nation as a whole, it is necessary to evolve a uniform Food Policy for the whole country, and vest more powers in the Centre in the matter of agriculture. The Government should not sleep over this matter. It is a very very serious thing.

In the end, I have one more suggestion to make. Food zones should be abolished as they are creating difficulties for the people.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : The food situation in Bihar is grave and the Hon. Minister has made no mention of it in his speech.

[श्री मनोहरन पीठासीन हुये
Shri Manoharan in the Chair]

There is acute shortage of water. There is no fodder for animals. People are leaving their homes. There is unemployment in the State and the economic condition of the people is deplorable. Their financial position does not allow them to purchase whatever little food that is available. Manual Labour Schemes also do not help them much in meeting their food requirements.

It is the responsibility of the Central Government to help the people of Bihar. At present an area of about 50,000 sqr. miles covering 63 thousand villages with a population 5 crores and 16 lakhs is in the grip of famine and scarcity. The Government should, therefore, declare the state as a famine-effected area. The famine code is very old and it should be changed.

The people of Bihar are migrating to Bengal, Nepal and other places. The cattle are dying as there is no fodder for them to eat. The people are also dying of starvation in the State. But it comes to us as an utter surprise when the Government contend that there were no starvation deaths and the deaths occurred were due to sickness. It is, no doubt, strange for the Government to argue like this. It is but natural for the starving people to fall sick.

The zonal policy is also responsible for the present state of affairs in the state. Food zones have created a lot of difficulty. It is because of these restrictions imposed on the movements of foodgrain from one state to another that foodgrains are rotting at certain places, while people are starving in other areas. The Food Zones should be abolished in order to enable the deficit states to get foodgrains from the surplus states :

Steps should also be taken by the Government to check hoarding which has also created an artificial and chronic scarcity in several parts of the country. The Government should procure foodgrains through its agencies and distribute them through the State Trading Corporation.

Steps should also be taken to reclaim cultivable wasteland in the state in order to increase agricultural production. The Government should deploy the army for tapping water resources in Bihar. Adequate modern equipment should be made available for making it possible to utilise water resources.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैंने मंत्री महोदय द्वारा परिचालित पत्र "भारत में खाद्य तथा सूखे की स्थिति की समीक्षा" तथा उनके वक्तव्य का गौर से अध्ययन किया है । यह कहने से कोई लाभ नहीं कि अनाज की अत्यधिक कमी है और इस विकट खाद्य स्थिति के लिये जिम्मेदार केवल सूखे की स्थिति है । भारत में सूखे की स्थिति असामान्य नहीं है; अतीत में ऐसा होता रहा है । वास्तव में हमारे आयोजकों में बुद्धि की कमी रही होगी जबकि वे सूखे और बाढ़ों से देश की रक्षा नहीं कर सके ।

अधिक अनाज पैदा करने के हमारे सभी प्रयत्नों पर हमारे अकुशल प्रशासन ने पानी फेर दिया है । पश्चिम बंगाल राज्य में मैंने देखा कि किसानों के लिये बीजों और पानी की सप्लाई करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अधिकतर प्रबन्ध इसलिए असफल हो गये हैं कि प्रशासन उन्हें क्रियान्वित करने में बुरी तरह नाकामयाब रहा है । बीज फसल बोये जाने के बाद मिलते हैं और पानी फसल काटने के समय दिया जाता है ।

देश में आज लाखों लोग भूखे मरने की हालत में हैं; खाद्य स्थिति में सुधार करने तथा सूखे की विशेष स्थिति पर काबू पाने के लिये यह आवश्यक है कि हम एक फालतू स्टॉक बनायें । यह बहुत खेद की बात है कि अनाज की अत्यधिक कमी हो जाने की स्थिति से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये फालतू स्टॉक इकट्ठा करने का हमने अब तक कोई प्रयत्न नहीं किया है । हमारे आयोजकों की ओर से यह एक भारी भूल तथा गलती हुई है ।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है जिसके कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये हैं; परिणामतः गरीब किसान दुःख पा रहा है । आम आदमी के पास बाजार से अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं है । इसलिए गरीब जनता को राहत देने के लिए यह अत्यावश्यक है कि चावल का मूल्य कम किया जाये ताकि वे खुले बाजार से अनाज खरीद सकें ।

जिन क्षेत्रों में कानूनी तौर पर राशन की व्यवस्था है, वहां पर बहुत ही घटिया किस्म का चावल सप्लाई किया जाता है और कभी-कभी तो चावल की किस्म इतनी घटिया होती है कि वह इन्सान के खाने के लायक नहीं होता । इस मामले की ओर ध्यान देना जरूरी है ।

आयोजन के मामले में पहले बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां की गई हैं । भारी उद्योगों और बड़े-बड़े इस्पात कारखानों का आयोजन करते समय हम इस बात को भूल ही गये कि देश में

कितना अनाज पैदा करने की आवश्यकता है जिसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं। जब तक पिछली गलतियां ठीक नहीं की जातीं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता और चौथी योजना को कृषि-प्रधान बनाना आवश्यक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह बड़े खेद की बात है कि भारत में अत्यधिक कमी की स्थिति की समीक्षा करते समय खाद्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं का उल्लेख केवल संक्षेप में किया है। वास्तव में, उन्होंने इस बात का कोई संकेत अथवा सुझाव नहीं दिया है कि वह पश्चिम बंगाल की आवश्यकताओं को किस तरह पूरी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े पांच बज चुके हैं। अब हमें आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करनी है। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

भारत-श्रीलंका करार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. INDO-CEYLON AGREEMENT

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत-श्रीलंका करार के क्रियान्वयन का प्रश्न 1964 से लटक रहा है। तीन वर्षों के बाद अब श्रीलंका की संसद् में विधेयक प्रस्तुत किया गया है और वह वहां की प्रवर समिति के सामने है। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री, श्री चागला, से प्रार्थना करूंगा कि वह यथाशीघ्र वहां का दौरा करें और श्रीलंका सरकार से उपरोक्त करार के क्रियान्वयन के बारे में बातचीत करें। उन्हें केवल पत्र-व्यवहार पर निर्भर नहीं करना चाहिये।

यह जो विधेयक श्रीलंका की संसद् की प्रवर समिति के सामने आजकल है और जिसमें श्रीलंका के तथाकथित राज्यहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है उसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बनाये गये हैं। विधेयक के उपबन्ध में कहा गया है कि नागरिकता के लिये दिये गये प्रत्येक आवेदन पर अन्तिम निर्णय का अधिकार सम्बन्धित मंत्री का होगा। यदि ऐसे किसी आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाये तो प्रार्थी किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता। मेरा यह विचार है कि न्यायालय में अपील करने के अधिकार से उन्हें वंचित करने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अतः हमें श्रीलंका सरकार से सावधानी से तथा परस्पर बातचीत करके यह तय करना चाहिये कि विभिन्न आयु वाले कितने-कितने व्यक्तियों को और किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जानी चाहिये। बातचीत के दौरान हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिये कि विधेयक में ऐसे आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध भी होना चाहिये।

विधेयक में यह उपबन्ध भी है कि यदि किसी आवेदक का आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह श्रीलंका का नागरिक बन भी जाता है तो भी उसके सभी नाबालिग बच्चों को बालिग होने पर फिर से ऐसे आवेदन-पत्र देने पड़ेंगे। ऐसे आवेदन-पत्रों को भी स्वीकार अथवा अस्वीकार करना सम्बन्धित मंत्री के हाथ में ही होगा। इस उपबन्ध से स्थिति बहुत खराब हो जायेगी क्योंकि यदि ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो बच्चों को अपने माता-पिता से अलग होना पड़ेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमारी सरकार को श्रीलंका की सरकार से बातचीत करनी चाहिये और उन्हें इस बात के लिये राजी कर लेना चाहिये कि नाबालिग बच्चों के बालिग होने पर उन्हें अपने आप ही वहां का नागरिक समझा जायेगा। उनको दोबारा आवेदन-पत्र नहीं देना पड़ेगा।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की जायेगी उनका नाम भारत-श्रीलंका करार नागरिकता पंजी नामक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। ऐसे लोगों के लिये अलग रजिस्टर रखने से यह आंशका उत्पन्न होती है कि वहां इन लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अलग रखा जा रहा है ताकि बाद में वहां पर एक अलग मतदाता क्षेत्र बनाया जा सके। इसलिए जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाये उन सबके नाम एक ही नागरिकता सूची तथा मतदान सूची में रखे जाने चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारी सरकार को श्रीलंका सरकार से अवश्य बातचीत करनी चाहिये।

ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग करार के अनुसार स्वदेश लौट रहे हैं वे अपनी इच्छा से यहां नहीं आ रहे हैं बल्कि जबरदस्ती वापिस भेजे जा रहे हैं। यह बात करार की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। करार में यह तय हुआ था कि लोगों का स्वदेश लौटना उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इस प्रकार लोगों को जबरदस्ती वापिस नहीं भेजा जाना चाहिये।

श्रीलंका सरकार को भी उतने लोगों को नागरिकता प्रदान करनी चाहिये जितने लोगों को हम स्वीकार करते हैं। राज्यहीन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक के पास होने से पहले ही हमने 9000 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी है। अतः नागरिकता देने का काम इकतरफा हो रहा है। मंत्री महोदय को इस बात पर भी अवश्य विचार करना चाहिये।

मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि श्री लंका की सरकार एक ऐसा कानून भी बनाने वाली है जिसके अनुसार वहां के प्रत्येक नागरिक को पहचानपत्र दिया जायेगा। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो इससे लगभग 1,50,000 तथाकथित ऐसे राज्यहीन लोगों को, जो इस करार के अन्तर्गत नहीं आते हैं; बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनके भविष्य के बारे में अभी बातचीत होनी है। वे लोग न तो श्रीलंका के और न भारत के नागरिक हैं।

अब मैं ऐसे लोगों को बसाने के प्रश्न पर आता हूं। ऐसे लोगों को बसाने की एक बड़ी समस्या है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें बतायें कि सरकार ने उनको बसाने के लिये कौन-कौन सी योजनायें बनाई हुई हैं।

विधेयक संसद् में प्रस्तुत होने से बहुत पहले छप चुका था। इसलिये सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहिये कि क्या उसने विधेयक के संसद् में प्रस्तुत किये जाने से पहले श्री लंका की सरकार के साथ विधेयक के उपबन्धों के बारे में बातचीत की थी। दिनांक-19. 10. 1966 के "हिन्दू" में छपे एक समाचार से पता लगता है कि श्रीलंका की सरकार ने विधेयक के सभी उपबन्धों पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त कर ली थी। सरकार को विधेयक के मुख्य उपबन्धों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिये।

श्री च० चु० देसाई (सबरकंठा): मैं इस विषय पर इसलिये बोल रहा हूं क्योंकि 1954 के प्रथम भारत-श्रीलंका करार के दौरान मुझे श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्यहीनता का प्रश्न उसके बाद उत्पन्न हुआ था। हमने श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत की थी। श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के राष्ट्रजनों और भारत के राष्ट्रजनों के बीच श्रीलंका में भारतीय मूल निवासियों के विभाजन के बारे में हमारे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हमने यह घोषणा कर दी कि ऐसे सभी लोग भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं अपितु श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूलनिवासी हैं और इसलिये इनकी जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार पर है। इस प्रकार राज्यहीनता की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके बाद यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार ने इन लोगों के विभाजन तथा 5,50,000 लोगों पर भारतीय नागरिकता थोपने सम्बन्धी करार को क्यों माना क्योंकि यदि यह करार नहीं होता तो ये सभी लोग श्रीलंका में ही रहते। वे लोग राज्यहीन होने के कारण श्रीलंका नहीं छोड़ सकते थे और कोई भी व्यक्ति तब तक श्रीलंका नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसके पास वहां की सरकार द्वारा जारी किये गये यात्रा सम्बन्धी कागजात न हों। यदि वहां की सरकार इन लोगों को यात्रा सम्बन्धी कागजात देती है तो वे श्रीलंका के राष्ट्रजन बन जाते हैं और यदि वह नहीं देती है तो वे श्रीलंका नहीं छोड़ सकते और वे शीघ्र ही या कुछ देर बाद श्रीलंका के राष्ट्रजन बन जाते। अब सरकार ने इस विशेष करार से 5,50,000 लोगों पर भारतीय राष्ट्रीयता थोपने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इस स्थिति में अब भारत सरकार उन लोगों को कैसे अपने यहां ले लेगी जबकि उनमें से बहुत से लोग भारत के राष्ट्रजन नहीं बनना चाहते हैं। अतः यह करार वास्तव में बहुत त्रुटिपूर्ण है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि इन 5,25,000 लोगों को कैसे स्वदेश लौटाया जायेगा ? क्या उन पर कोई दबाव डाला जायेगा या उन्हें उनकी स्वेच्छा पर छोड़ा जायेगा ?

श्री कंडप्पन (मैटूर) : मैं मंत्री महोदय से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि लोगों का प्रत्यावर्तन जबरदस्ती अथवा उनकी इच्छा के अनुसार किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार की नीति पहले तो स्वेच्छा से प्रत्यावर्तन करने की थी जैसा कि इस सभा में बताया भी जा चुका है। दिसम्बर 1964 में श्री सी० एस० झा ने भी यह बात स्पष्ट कर दी थी

कि प्रत्यावर्तन स्वेच्छा से किया जायेगा । परन्तु 25 अप्रैल, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में श्री सेनानायक ने कहा है कि यदि करार में निर्दिष्ट संख्या पूरी नहीं होती है तो सरकार अपेक्षित संख्या पूरी करने के लिये मार्गोपाय ढूंढ़ निकालेगी । इसलिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये मार्गोपाय क्या है तथा उनकी स्पष्ट नीति क्या है यह मेरा दूसरा प्रश्न है ।

जिन लोगों को श्रीलंका का नागरिक माना जायेगा उनके नाम एक पृथक् रजिस्टर में नहीं दर्ज किये जाने चाहिये क्योंकि ऐसा करने से उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझा जा सकता है । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर दृढ़ रहेगी अथवा नहीं ?

श्री० पी० राममूर्ति (मदुरै) : यह विधेयक गत छः महीने से भी अधिक समय से कसौटी पर है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विधेयक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया संसद् के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं की है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में समय-समय पर होने वाली बातचीत की प्रगति के बारे संसद् को सूचित करती रहेगी ?

श्री जी० विश्वनाथन् (वंडीवाश) : क्या सरकार को इस बात का पता है कि श्रीलंका सरकार तमिल भाषियों की संख्या कम करना चाहती है ताकि वह 'केवल सिंहल' नीति को बिना विरोध अमल में ला सके ? यदि यह बात सही है तो सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कुड्डलूर) : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री श्रीलंका जाने वाले हैं । क्या वह इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय किसी प्रतिशोध की भावना के बिना करार को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाता है ? क्या मंत्री महोदय श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शेष लोगों के नाम दर्ज कराने के लिये अपने सद्भाव का प्रयोग करेंगे ?

श्री एस० के० सम्बन्धन् (तिरुत्तनी) : करार का 1,50,000 लोगों से सम्बन्धित खण्ड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । क्या सरकार अन्य 3,00,000 लोगों के साथ-साथ इन 1,50,000 लोगों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में श्रीलंका की सरकार को राजी कर लेगी ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत-श्रीलंका करार विदेशों में रहने वाले भारतीयों अथवा अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से सम्बन्धित करारों का एक आदर्श करार होगा ? क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिये सरकार कोई आश्वासन देगी ?

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुच्चिरापल्लि) : क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार का ध्यान इस

बात की ओर दिलाया है कि श्रीलंका के संसद में प्रस्तुत किये गये विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध भी हैं जो दोनो सरकारों के बीच हुए करार के विरुद्ध हैं ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्री च० चु० देसाई ने यह टिप्पणी की थी कि हमने यह करार करके बहुत गलती की है । मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं । मेरे विचार से यह करार सर्वोत्तम करार हुआ है और ऐसा करार करने के लिये हमें श्री शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये । यह एक कठिन समस्या थी क्योंकि इससे बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ता था । परन्तु ऐसा सन्देह करना ठीक नहीं है कि हम ऐसे लगभग 500 हजार लोगों पर भारतीय नागरिता कैसे थोप रहे हैं जिन्हें हम लेने के लिये सहमत हो गये हैं । करार में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार जबर्दस्ती नागरिता थोपी जाये । करार इस प्रकार है । कुल संख्या 9,75,000 है । इनमें से 3,00,000 लोगों को स्वाभाविक वृद्धि सहित श्रीलंका सरकार श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करेगी । भारत सरकार 5,25,000 व्यक्तियों की वापसी स्वीकार करेगी इन लोगों में स्वाभाविक वृद्धि भी शामिल होगी ।

श्री के० मनोहरन : (मद्रास-उत्तर) : करार के अनुसार 5,25,000 लोगों का प्रत्यर्पण किया जायगा और 3,00,000 लोगों को वहां की नागरिकता के अधिकार दिये जायेंगे । क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन 5,25,000 लोगों में वे लोग भी होंगे जो भारत नहीं आना चाहते हैं और वे लोग जो भारत आना चाहते हैं वे 3,25,000 वाले लोगों की सूची में शामिल होंगे । इस प्रकार अन्ततोगत्वा सभी तमिलभाषी लोग यहां आ जायेंगे । हम इस बारे क्या कर रहे हैं ।

श्री मु०क० चागला : करार में यह भी व्यवस्था है कि उनके प्रत्यर्पण में 15 साल लगेंगे ।

एक प्रश्न करार की क्रियान्विति के बारे में भी पूछा गया था । श्रीलंका की सरकार भारत सरकार को सहयोग प्रदान कर रही है । करार की क्रियान्विति के लिये भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है जिसका प्रधान केन्द्र कोलम्बो में है । समिति की कई बैठकें हो चुकी है तथा भारत-श्रीलंका नागरिकता तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के लिये आवेदन-पत्र लेने के सम्बन्ध में चर्चायें हुई हैं । श्रीलंका की वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में बहुत सहानुभूति दिखा रही है और हमें कोई सन्देह नहीं है कि वह इस समस्या का हल निकालने के लिये पूरा प्रयत्न करेगी ।

जहां तक उनके पुनर्वास का प्रश्न है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उन लोगों के पुनर्वास की समस्या को, जिन्हें एक प्रकार से उजाड़ा जा रहा है और अपनी मातृभूमि को वापस भेजा जा रहा है, राष्ट्रीय समस्या समझते हैं । हमारे उच्चायुक्त ने एक अधिसूचना पहले ही जा कर दी है जिसमें उन लोगों को सूचित किया गया है कि हम उन्हें क्या क्या सुविधायें देने जा रहे

हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन लोगों को श्रीलंका छोड़कर भारत आने में कोई कठिनाई न होगी।

एक प्रश्न नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध के बारे में उठाया गया था। मैंने विधेयक के उस उपबन्ध को देखा है। उस उपबन्ध में मंत्री को पूर्ण विवेक का अधिकार दिया गया है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया है। मैंने इस बात को ध्यान में रख लिया है और मैं देखूंगा कि इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं।

9000 भारतीय के प्रत्यावर्तन के बारे में निर्णय कर लिया गया है तथा हमने श्रीलंका सरकार को भी कह दिया है कि वह उतने ही लोगों को नागरिकता प्रदान कर दे।

यह प्रश्न भी बहुत तर्क संगत उठाया गया था कि जिस व्यक्ति को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाये उसके नाबालिग बच्चे बालिग होने पर अपने आप ही वहां के नागरिक समझे जाने चाहिये।

श्री शास्त्री जी और श्रीमती बंडार नायके के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसमें श्री शास्त्री जी ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी थी कि भारतीय नागरिकों का एक अलग निर्वाचक मण्डल नहीं बनाया जायगा। प्रश्न तो यह है कि लोगों में एकता होनी चाहिये परन्तु यदि कुछ लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा गया तो एकता कहां रह सकती है। श्रीलंका की सरकार को यह बात बड़ी अच्छी तरह से समझा दी गई है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 1965 में श्रीलंका का चुनाव एक ही चुनाव सूची के आधार पर किया गया था न कि अलग रजिस्टर के आधार पर। हमें पूरी आशा है कि भविष्य में भी भारतीय मूल लोगों के लिये कोई अलग निर्वाचन मण्डल नहीं बनाया जायेगा।

अब मैं उस बात पर आता हूं जो मेरे माननीय मित्र ने कही थी और जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका की सरकार एक ऐसे विधान पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को पहचान-पत्र रखने के लिये बाध्य किया जायेगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं इस बारे में अवश्य जांच करूंगा।

जहां तक अन्य देशों में भारतीय नागरिकों का सम्बन्ध है हम उन भारतीय लोगों में सुरक्षा और संरक्षण की भावना उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी भी देश की सरकार को यह बताने का हमारा अधिकार है कि वे लोग भारतीय नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाये।

श्रीलंका में हमारा उच्चायोग है और वहां पर हमारी संयुक्त समिति भी है। वे लोग वहां की सरकार से हमेशा सम्पर्क बनाये रखते हैं। वे विधेयक की प्रगति की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। हम यह प्रयत्न भी कर रहे हैं कि इस करार को उसी भावना से क्रियान्वित किया जाये जिस भावना से इस पर हस्ताक्षर किये गये थे।

किसी माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया था कि मुझे यथाशीघ्र श्रीलंका जाना चाहिए । मैं यथाशीघ्र वहां जाने का प्रयत्न करूंगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 30 मार्च, 1967/ 9चैत्र 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, March 30, 1967/Chaitra 9, 1889 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—6-6-68—600.